लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 5th LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]
Second Session

[खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 45, शुक्रवार, 23 जुलाई, 1971/1 श्रावण, 1893 (शक)

No. 45, Friday, July, 23, 1971/Shravana 1, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता. प्र. संख्या S. Q. No.		
1322. मद्रास में आयकर प्राधिकारियों द्वारा मारे गये छापे	Raids by Income Tax authorities in Madras ...	1—3
1323. सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of General Insurance ...	3—4
1324. विकासशील देशों में कर प्रणाली के बारे में संयुक्त राष्ट्र 'पैनल' की सिफारिश	Recommendation of UN Panel on Tax Systems in Developing Countries...	4—7
1325. अन्तर्राष्ट्रीय अड्डों की टर्मिनल इमारतों का विस्तार	Expansion of Terminal Buildings of International Airports ...	7—8
1329. लाटरी टिकटों की बिक्री द्वारा करों का अपवंचन	Evasion of Taxes by sale of Lottery Tickets ...	8—9
1330. फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	Firestone Tyre and Rubber Company of India (Private) Ltd. ...	9—11
1331. पश्चिम बंगाल के स्कूलों के अध्यापक और गैर-अध्यापक कर्मचारियों के वेतनमानों को सुधारने और आठवीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा देने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन	Representation for Improvement of Pay Scales of Teaching and Non-Teaching staff of Schools in West Bengal and for Free Education upto Class VIII ...	11—14
1333. भारत में टकसालें	Mints in India ...	14—15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

a sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1334. राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध में कर्मचारियों को शामिल किया जाना	Worker's Participation in Management of Nationalised Banks	... 15—17
1335. पश्चिम बंगाल में पंजीकृत कम्पनियां	Registered Companies in West Bengal	... 17—20
1337. पश्चिम बंगाल में जेलों में नजरबन्द विद्यार्थी	Students detained in Jails in West Bengal	... 20—22
1339. गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमा किए गए जमाखाते	Deposits Cornered by Non-Banking Companies	... 22—24
1341. ऋण सुविधाओं के बारे में भारतीय रूई मिल संघ द्वारा दिया गया सुझाव	Suggestion made by Indian Cotton Mills Federation regarding credit facilities	... 24 - 26
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS		
ता. प्र. संख्या S. Q. No.		
1321. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्राचीन कलाकृतियों के व्यापार का विनियमन	Regulation of Antiques Trade through State Trading Corporation	... 26
1326. अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ द्वारा दिये गये सुझाव	Suggestions made by All India Insurance Employees Association	... 26—27
1327. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा एक प्राइवेट पार्टी को दी गई अग्रिम धन राशि	Amount Advanced by State Bank of India, New Delhi to a Private Party	... 27
1328. सोने का चोरी छिपे भारत लाया जाना	Smuggling of Gold into India	... 27—28
1332. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए औद्योगिक ऋण	Industrial Loans Advanced by Nationalised Banks	... 28
1336. कोचीन उपमार्ग का निर्माण	Construction of Cohin Bypass	... 29
1338. कम्पनी अधिनियम 1956 में संशोधन	Amendments to Companies Act, 1956	... 29
1340. एवरो विमानों को उड़ान भरने की मनाही	Grounding of AVRO Planes	... 29—30

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1342.	जहाजों और टैंकरों को गोदी में खड़ा करने के लिए पत्तन सुविधायें	Port Facilities for Berthing of Ships and Tankers ...	30
1343.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्राप्त भाषायी प्रयोगशाला उपकरण	Language Laboratory Equipment received by N.C.E.R.T. ...	30—31
1344.	देश में नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र	Civil Aviation Training Centres in the Country ...	31—32
1345.	पटना स्थित खुदाबख्श ओरियेंटल पब्लिक लायब्रेरी को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna ...	33—34
1346.	नगर प्रतिकर भत्ते के भुगतान के लिए नगरों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Cities for payment of City Compensatory Allowance ...	34
1347.	उड़ीसा के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन योजनाएं	Inland Water Transport Schemes for Orissa ...	34
1348.	इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा डी. सी. 10 लोकहीड 1011 तथा एयर बस 300 खरीदने का प्रस्ताव	Proposal to purchase DC-10, Lockheed 1011 and Airbus 300 by Indian Airlines ...	35
1349.	कोचीन में दूसरे शिपयार्ड के निर्माण के सम्बन्ध में एक विशेष दल का जापान का दौरा	Visit to Japan of an expert team on construction of Second Shipyard at Cochin ...	35
1350.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और उत्थान के लिए केवल केरल सरकार को ऋण	Loans to Kerala State for Education and uplift of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ...	35—36
5721.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंक प्रभार लगाना	Levy of Bank Charges by Nationalised Banks	36
5722.	ऋण पर सेवा शुल्क	Service charge on loan ...	36—37
5723.	विसकोस स्टेपल रेशों पर आयात शुल्क में कमी	Reduction in Import Duty on Viscose Staple Fibre ...	37

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

5724. विश्व युवक, बंगलौर को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Vishwa Yuvuk, Bangalore	...	37
5725. मैसूर में सोना पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Mysore	...	37—38
5726. कनारा बैंक के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताएं	Irregularities by officers of the Canara Bank	...	38—39
5727. पालम हवाई अड्डे पर राडार सुविधा	Radar facility at Palam Airport	...	39
5728. डा० भगवानदास स्मारक न्यास, नई दिल्ली को आय-भुगतान में छूट	Grant of Exemption from Income Tax Payment to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi	...	39
5729. करों का भुगतान	Payment of Taxes	...	40
5730. बकाया करों की वसूली	Realisation of Arrears of Taxes	...	40—42
5731. नवाब रामपुर के अधिकार में कुल लागत आभूषणों पर लगाये गए धन कर की अदायगी	Payment of Wealth tax on Heirloom Jewellery in Possesion of Nawab of Rampur	...	42
5732. युनिट ट्रस्ट योजना	Unt Trust Scheme	...	42—43
5734. नवाब रामपुर की मूल्यवान सम्पत्ति	Valuables belonging to Nawab of Rampur	...	43
5735. रामपुर के नवाब की मूल्यवान सम्पत्ति	Valuables belonging to the Nawab of Rampur		44
5736. जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loans Disbursed by LIC	...	44—46
5737. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये गए ऋण	Loans Disbursed by IFC		47
5738. पूना के भारतीय ऊष्ण कटिबन्धीय संस्थान द्वारा नये तरीके की खोज	New device explored by Indian Institute of Tropical Meteorology Poona	...	47
5739. छोटे शिल्पियों को ऋण के बारे में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अध्ययन	Study conducted by Punjab Agricultural University Regarding Credit for Small Artisans	...	48

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject		पृष्ठ/Page
5740.	बच्चों के लिए कल्याणकारी सेवाएं	Welfare Services for Children	...	48
5741.	कोचीन शिपयार्ड पर निर्माण कार्य-क्रम	Construction Programme at Cochin shipyard	...	48—49
5742.	रामपुर की बेगम के बहुमूल्य जवाहरात	Valuables belonging to Begum of Rampur	...	49
5743.	पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन का गिरता स्तर	Downward Trend of Tourism in the Eastern Region	...	49—50
5744.	आसाम के लखीमपुर बाढ़ग्रस्त जिले के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिये सहायता	Assistance for Flood affected People of Lakhimpur District of Assam	...	50
5745.	आसाम में पर्यटन केन्द्रों के विकास की योजनाएं	Schemes for Development of Tourist Centres in Assam	...	50—51
5746.	औद्योगिक विकास के लिए निधि	Funds for Industrial Development	...	51—52
5747.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद समारोह के लिए दल	Teams for International Athletic	...	52
5748.	भुवनेश्वर में भौतिक विज्ञान संस्थान	Institute of Physics in Bhubaneswar	...	52—53
5749.	पत्रकारों के लाभ के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बनाई गई योजनाएं	Schemes formulated by Nationalised Banks for the benefit of Journalists		53
5750.	गोआ के रास्ते तस्करी	Smuggling through Goa		53—54
5751.	हिमालय पर्वतारोहण संस्थान मनाली द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Earning Foreign Exchange by Himalayan Mountaineering Institute, Manail	...	54
5752.	उद्योगों में विकास छूट जारी रखने के लिए अखिल भारतीय निर्माता संगठन के प्रस्ताव	Proposals of All India Manufacturers Organisation for continuation of Development Rebate for Industries	...	54—55
5753.	ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licence for Manufacture of Tractors	..	55
5754.	कूच बिहार हवाई अड्डे पर कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Employees working at the Cooch Behar Airport	...	56

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
5755. इण्डियन एयरलाइन्स में जूनियर ट्रैफिक असिस्टेण्टों की भर्ती	Recruitment of Junior Traffic Assistants in Indian Airlines	... 56—57
5756. अफीम और पीनक लाने वाले पदार्थों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Opium and Narcotics	... 57—58
5757. बम्बई में रेजगारी व्यापारी गिरोह	Racket of change dealers in Bombay	... 58
5758. बांगू और सुगुरू पुलों के पूरा होने में विलम्ब	Delay in completion of Wango and Suguru Bridges	... 58—59
5759. नम्बुल नदी पर पुल	Bridge on Nambul River	... 59
5760. मनीपुर में थुम्बुथोंग पुल का निर्माण	Construction of Thumbuthong Bridge in Manipur	... 59—60
5761. नई दिल्ली में विक्लांगों के लिए अनुसंधान केन्द्रों को अनुदान	Grants to Research centres for the Handicapped persons in New Delhi	... 60—61
5762. विक्लांग अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली में कार्य कर रहे डाक्टर	Doctors working in the Research Centre for Handicapped, New Delhi	... 61—62
5763. अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना	Training of IAS Officers under USAID Programme	... 62
5764. दि इन्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रशन कारपोरेशन आफ इण्डिया का प्रबन्ध बोर्ड	Managing Board of the Industrial Reconstruction Corporation of India	... 62—63
5765. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गए ऋण	Loans given by Nationalised Banks in Madhya Pradesh	... 63—64
5766. मैसर्स जे० के० सिन्थैटिक्स कोटा द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर की अदायगी	Payment of Central Sales Tax by J. K. Synthetics, Kota	... 64
5767. चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खाद्यान्न का लक्ष्य न प्राप्त करने के सम्बन्ध में विश्व बैंक का प्रतिवेदन	World Bank Report on shortfall in achieving Food Target by the end of Fourth Plan	... 64—65

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S, Q. No.		
5768. शहरों का श्रेणीकरण	Gradation of Cities	... 65—66
5769. बाल अपराधी	Juvenile Offenders	... 66
5770. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बेरोजगार स्नातकों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Unemployed Graduates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	... 66
5771. भारत में विदेशी माल का तस्कर व्यापार	Smuggling of Foreign Goods into India	67
5772. बौद्ध धर्म में अनुसूचित जाति के धर्म परिवर्तित लोगों के लिये शैक्षणिक सुविधायें और सरकारी सेवा में आरक्षण	Educational facilities and reservation in Government service for Scheduled Caste converts to Buddhism	... 67—68
5773. शहीद चन्द्रशेखर आजाद की कुटिया का नवीकरण	Renovation of Cottage of Martyre Chandra Shekhar Azad	... 68
5774. सिंगापुर जाने वाले एयर इण्डिया के बोइंग 707 विमान को क्षति	Damage to Alr India's Boeing 707 bound for Singapore	... 68
5775. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विस्तार कार्य करने के लिए 11 करोड़ रुपये की योजना की प्रगति	Progress regarding 11 Crore plan for extension work at International Airports	... 68—69
5776. दिल्ली हवाई अड्डे पर लगे साज-सामान की सुरक्षा	Security of Installations at Palam Airport	... 69
5777. मदुरे में तस्करी के सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Gold in Madurai	... 70
5778. पालम हवाई अड्डे पर पशु चर्म का पकड़ा जाना	Seizure of Animal Skins at Palam Airport	... 71
5779. प्रौढ़ शिक्षा के लिए हरियाणा राज्य सरकार को दी गयी निधि का लेखा-परीक्षण	Auditing of Funds given to State Government of Haryana for Adult Education	... 71—72
5780. काले धन का पता लगाया जाना	Unearthing of Black Money	... 72

विषय	Subject		पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			

5781. तिरुमुल्लावरम, जिला क्वलोन (केरल) में एक पर्यटक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Tourist Centre at Shirumullavaram District	...	72—73
5782. वृद्धावस्था पेंशन	Old Age Pension	...	73
5783. बिहार में डुमरियाघाट में गंडक पुल पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on Gandak Bridge at Dumariaghat in Bihar	...	73
5784. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पटना और दानापुर में बेरोजगार स्नातकों को दिये गए ऋण	Loans advanced to unemployed Graduates in Patna and Danapur by Nationalised Banks	...	73—74
5785. सचेतक सम्मेलन	Whip's Conference	...	74
5786. केरल में उप-मार्गों का निर्माण	Construction of Bypasses in Kerala	...	74—76
5787. दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश की समस्या	Admission in Delhi University	...	76—77
5788. भारतीय परिवहन संचालक संघ की ओर से ज्ञापन	Memorandum from the Indian Federation of Transport Operators	...	77
5789. सीधी और सरगुजा (मध्य प्रदेश) के बीच सीधी सड़क का पूरा किया जाना	Completion of Road Link between Sidhi and Surguja (Madhya Pradesh)	...	77
5790. यूरोपीय मण्डियों को ताजा सब्जियों का निर्यात करने हेतु एयर इण्डिया द्वारा किसानों को दी गयी सुविधा	Facility provided to farmers by Air India for Export of fresh vegetables to European Markets	...	78
5791. एयर इण्डिया के विमानों में सामान के लिए स्थान	Cargo space on Air India Flights	...	78—79
5792. सीमा शुल्क विभाग द्वारा फलों और सब्जियों की निकासी	Custom's clearance of Fruits and vegetables	...	79
5793. केन्द्र द्वारा चालू की गयी योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूलों को मंजूर किया गया अनुदान	Grants sanctioned to High and Higher Secondary Schools in Rural Areas of West Bengal under Centrally Sponsored Scheme	...	79—80

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

5794.	पश्चिम बंगाल में अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारियों के वेतनमानों के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग और वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Education Commission and Pay Commission in respect of Pay Scales of Teaching and Non-Teaching Staff in West Bengal ...	81—82
5795.	शाजापुर (मध्यप्रदेश) में सिक्कों और प्राचीन प्रतिमाओं का पाया जाना	Discovery of Coins and ancient idols in Shajapur, Madhya Pradesh ...	83
5796.	अमरनाथ मन्दिर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिये आयु सम्बन्धी प्रतिबन्ध	Restriction Regarding Age for Pilgrims Visiting Amarnath Temple ...	83
5797.	गुजरात में औद्योगिक विकास बैंक की शाखा का खोला जाना	Opening of Branch Office of Industrial Development Bank in Gujarat ...	83
5798.	भारत द्वारा अन्य देशों के लिए सिक्के ढालना	Minting of Coins by India for other countries ...	84
5799.	पश्चिम बंगाल पर बकाया ऋण	Loans outstanding Against West Bengal ...	84
5800.	विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए अविराम ग्रेड	Running Grades for University Teachers ...	85
5801.	सड़क विकास में की गई प्रगति	Progress made in Road Development ...	85—86
5802.	कूच बिहार में लड़कियों के लिए कालेज	Girls College at Cooch Behar ...	86
5803.	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जिला कूच बिहार में विभिन्न लोगों को दिया गया ऋण	Money Advanced to Various persons in the District of Cooch-Behar since Bank Nationalisation ...	86—87
5804.	कलारिपयाट्टु को लोक प्रिय बनाना	Popularization of Kalaripayattu	87
5805.	कालेजों के सेवा निवृत्त प्रोफेसरों को अनुसंधान कार्य के लिए छात्र-वृत्तियाँ/वजीफे देना	Scholarships/Stipends to retired professors of Colleges for Research Work ...	87—88

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

5806. दीघा का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Digha as a Tourist Centre	...	88—89
5807. मिथिला विश्वविद्यालय	Mithila University	...	89
5808. विभिन्न राज्यों में समाज कल्याण योजनाएं	Social Welfare Schemes in Various States	...	89—92
5810. केन्द्रीय संरक्षण प्राप्त स्मारकों से प्राचीन वस्तुओं की चोरी	Theft of Antiques from Centrally protected Monuments	...	92
5811. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना	Widening of National Highways in Madhya Pradesh	...	93
5812. बुरहानपुर के निकट आसिरगढ़ फोर्ट में सुविधा की कमी	Lack of facilities at Asirgarh Fort near Burhanpur	...	93
5813. मध्य प्रदेश में कोयला खान मालिकों द्वारा कर अपवंचन	Evasion of Taxes by Coal Mine Owners in Madhya Pradesh	...	94
5814. बुरहानपुर मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थानीय शाखा द्वारा दिया गया ऋण	Loan advanced by the local branch of the State Bank of India in Burhanpur Madhya Pradesh		94
5815. भारत-नेपाल सीमा पर संश्लिष्ट रेशों का संचयन	Accumulation of Synthetic Fibres on Indo Nepal Border	...	95
5816. बम्बई में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा मोतियों के पार्सल पकड़ा जाना	Detention of parcels containing Pearls by Customs Authorities in Bombay	...	95
5817. विदेशी बैंकों में सावंधिक जमा राशियों पर रोक	Curbs on Term Deposits with Foreign Banks	...	96
5818. चौगुले भाप के जहाजों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Chowgule Steamships	...	96
5819. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा शैक्षणिक फिल्मों की खरीद	Purchase of Educational Films by NCERT		96—97
5820. शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद के अहाते में होस्टल का निर्माण	Construction of Hostel at NCERT Campus	...	97—98
5821. इम्फाल में संग्रहालय	Museum at Imphal	...	98

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

5822. औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्त विभागों के बीच समन्वय	Co-ordination between Industrial Finance Corporation and State Financial Corporation	...	99
5823. पटना संग्रहालय को अधिकार में लेना	Taking over of Patna Museum	...	99
5824. भारतीय पर्यटन विकास निगम की शाखायें	Branches of India Tourism Development Corporation	...	99
5825. श्रीनगर में हड़प्पा की तरह के खण्डहरों का पाया जाना	Discovery of Harappa Type Ruins in Srinagar	...	100
5826. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की संस्थाओं को पुस्तकालयों और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए दिये गये अनुदान	Grants by UGC to institutions in Madhya Pradesh for Libraries and Scientific Equipments	...	100—101
5827. जनता से जमा राशि प्राप्त करने वाली गैर-बैंकिंग कम्पनियां	Non-Banking Companies receiving Deposits from Public	...	101—102
5828. देश में बैंकिंग सुविधाओं से रहित केन्द्र	Unbanked Centres in the country	...	102
5829. उड़ीसा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक अलग सर्किल बनाना	Separate Circle of Archaeological Survey of India in Orissa	...	102—103
5830. हाल ही में खरीदे गये बोइंग विमानों की उड़ान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	Training programme for Flying the Newly Acquired Boeing/AVRO	...	103
5831. उड़ीसा के बालासोर जिला स्थित चूड़ामणि गांव के निकट गमेयी के नदी क्षेत्र पर एक प्रकाश स्तम्भ की स्थापना	Establishment of a light house on the River Belt of Gamei near Village Chudamani of Balasore District Orissa	...	103
5832. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और स्थल सीमा शुल्क विभाग की अराजपत्रिक कर्मचारी यूनियन, कलकत्ता से ज्ञापन	Memorandum from the Central Excise and Land Custom Non-Gazetted Employees Union, Calcutta	...	104
5833. रोजगार-प्रधान शिक्षा प्रदान न करने वाली शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान न देना	Witholding of Grants to Educational Institutions which do not impart Employment Oriented Education	...	104

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

5834.	निरक्षता समाप्त करने के लिए बेरोजगार स्नातकों से सहायता लेना	Help from Unemployed Graduates for Eradication of Illiteracy ...	105
5835.	आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में अन्तर्वेदी में लगाया गया प्रकाश स्तम्भ	Light house installed at Antervedi in East Godavari District of Andhra Pradesh ...	105
5836.	भावनगर के हरिजन संगठनों द्वारा पेश किया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Harijan Organisations of Bhavnagar ...	106
5837.	चटखनी ढिब्बरी और पेच पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on bolts, nuts and screws ...	106
5838.	स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं का बन्द किया जाना	Closure of branches of State Bank of India ...	107
5839.	मलमपुझा बांध, जिला पालघाट (केरल) पर पर्यटन केन्द्र का विस्तार करने की योजना	Plan to Expand the Tourist Centre at Malampuzha Dam, district Palghat (Kerala) ...	107
5840.	सीतामढ़ी जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) में पर्यटन सुविधाएं	Tourist facilities at Sitamarhi, District Muzaffarpur (Bihar) ...	108
5841.	मैसूर में समाज कल्याण संस्थाएं	Social Welfare institutions in Mysore ...	108
5842.	मैसूर राज्य में तुमकुर जिले में कुछ स्थलों का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of certain places in Tumkur District of Mysore State as Tourist Centers ...	108—109
5843.	हिमालय प्रदेश में कीरतपुर-बिलासपुर-मंडी—कुल्लु सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना	Declaration of Kiratpur-Bilaspur-Mandi—Kulu road in Himachal Pradesh as National Highway ...	109
5844.	दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा तथा पूर्णिया में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलने के लिये प्रस्ताव	Proposals for opening new branches of Nationalised Banks in Darbhanga, Muzaffarpur, Saharsa Purnea ...	109—110
5845.	भारत में परियोजना के लिये सयुक्त राष्ट्र बिकास कार्यक्रम से सहायता	Aid from United Nations Development Programme for Projects in India ...	110

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
तता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
5847. मैसूर में राष्ट्रीय राजपथों पर पुलों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था	Dilapidated condition of Bridges on National Highways in Mysore ...	110—111
5848. गोआ में नौका मालिकों द्वारा लिए जाने वाले भाड़े पर नियंत्रण लगाने का प्रस्ताव	Proposals to control Freight Charges by Barge Owners in Goa ...	111
5850. हिन्दु मन्दिरों के फालतू धन को समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में लगाया जाना	Diverting surplus fund of Temples for upliftment of poor classes of society	111
6851. बंगला देश के शरणार्थियों में हैजा फैल जाने के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी	Fall in Tourist traffic due to incidence of Cholera among East Bengal Refugees ...	112
5852. लेह में बौद्ध दर्शन का स्कूल	School of Buddhist Philosophy at Leh ...	112
5853. दिल्ली में नये कालेजों का खोला जाना	Opening of new Colleges in Delhi ...	112—113
5854. बाजपे (दक्षिण कनारा) हवाई अड्डे का बोईंग वायुयान उतरने के लिए उपयुक्त होना	Suitability of Bajpe (South Kanara) Airport for landing Boeing planes ...	113
5855. कन्या कुमारी और बम्बई के बीच राष्ट्रीय राजपथ का पूरा होना	Completion of National Highway between Kanyakumari and Bombay ...	113—114
5856. आंध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई अन्तर्देशीय जल परिवहन योजनाएं	Inland Water Transport Schemes sanctioned for Andhra Pradesh ...	114
5757. कराईकुड अलगप्पा चेट्टियार कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना	Upgrading of Karaikudu Allgappa Chettiar College into University ...	115
5858. कराची से उड़ने वाले ईराकी विमान को भारतीय सीमा पर से उड़ान	Iraqui Plane flown over Indian Air Space from Karachi ...	115
5859. जीवन बीमा निगम द्वारा सिनेमाघरों को ऋण/अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव	Proposal to grant loans/grants to Cinema Houses by LIC ...	116

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

5860.	इंडियन एयरलाइन्स में काम कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारी	Scheduled Tribes and Scheduled Castes Employees in Indian Airlines ...	116
5861.	राँची में एक फ्लाइंग क्लब स्थापित करने की माँग	Demand for a Flying Club at Ranchi ...	117
5862.	नेशनल बुक ट्रस्ट	National Book Trust ...	117—118
5863.	मैसूर में राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीकृत बैंक	Nationalised and non-Nationalised Banks in Mysore ...	118
5864.	लोक प्रशासन संस्था का कार्यकरण	Working of the Institute of Public Administration ...	119
5865.	राँची हवाई अड्डे का प्रस्ताव	Proposal to Develop Ranchi Aerodrome ...	119
5866.	जीवन बीमा निगम द्वारा समाचार पत्रों को दिया गया ऋण	Loans given by LIC to Newspapers ...	119—120
5869.	'रीडर्स डाईजेस्ट' के प्रकाशकों द्वारा विदेशों को भेजी गई धनराशि	Amount repatriated to Foreign Countries by the Publishers of of Reader Digists ...	120—121
5870.	पाँच स्टार वाले होटलों का निर्माण	Construction of Five Star Hotels ...	121—122
5871.	तमिलनाडु में कड्डालोर पत्तन में सुधार	Improvement in the Cuddalore port in Tamil Nadu ...	122
5872.	सलेम और कन्याकुमारी तथा वाराणसी और कन्याकुमारी को मिलाने वाले राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण	Construction of National Highway connecting Salem and Kanya-kumari and Varanasi and Kanyakumari ...	123
5873.	राष्ट्रीय राजपथों के रखरखाव और निर्माण कार्यों पर खर्च की गई राशि	Amount spent towards maintenance and other works on National Highways ...	123—124
5874.	संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी	Sangeet Natak Akadmi and Lalit Kala Akademi ...	124—125

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
5875. देश में नए होटल स्थापित करने की योजना	Plan to establish New Hotels in the country ...	125—126
5876. राष्ट्रीय राजपथों पर पड़ने वाले पुलों की मरम्मत	Repairs to Bridges falling on the National Highways ...	127
5877. अनुसूचित जाति के जाली प्रमाण पत्र प्राप्त कर दिल्ली के कालिजों में दाखिला लिए जाने का समाचार	Report regarding Admission to Colleges in Delhi by obtaining fake Scheduled Caste Certificates ...	127—128
5878. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का उत्थान	Upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ...	128—129
5879. राजधानी में सड़क दुर्घटनाएं	Road Accidents in the Capital ...	129
5880. उत्तर प्रदेश में तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू करना	Implementation of three year Degree Course in Uttar Pradesh ...	130
5881. दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के स्नातकोत्तर अध्यापक	S. C. and S. T. Post Graduate Teachers under Education Department, Delhi Administration ...	130
ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में	Re-Calling Attention ...	131—134
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	135—136
सभा का कार्य	Business of the House ...	136—137
निदेश 115 के अधीन सदस्य का वक्तव्य	Statement by Member under Direction 115 ...	137
कटक में आकाशवाणी केन्द्र के निर्माण के लिए भूमि	Land for Radio Station Building at Cuttak ...	137—140
समितियों के लिए निर्वाचन	Election to Committees ...	140
(क) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहाकार बोर्ड	(i) Central Advisory Board of Archaeology ...	140

विषय	Subject		पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
(ख) भारतीय खान विद्यालय धनबाद	(ii) Indian School of Mines, Dhanbad	...	140—141
गुजरात विनियोग विधेयक, 1971 पुर:स्थापित तथा पारित	Gujarat Appropriation Bill, 1971—Introduced and Passed	...	141—142
मैसूर विनयोग (संख्या 2) विधेयक 1971—पुर:स्थापित तथा पारित	Mysore Appropriation (No. 2) Bill, 1971—Introduced and Passed	...	142—143
पश्चिम बंगाल बजट, 1971-72 सामान्य चर्चा, अनुदानों की मांगें (पश्चिम बंगाल), पश्चिम बंगाल राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971 के संबन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प	West Bengal Budget, 1971-1972-General Discussion Demands for grants (West Bengal), Statutory Resolution re-Proclamation in relation to the State of West Bengal and west Bangal State Legislature (Delegation of Powers) Bill	...	144—162
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	...	150—152
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A. K. M. Ishaque	...	152—155
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	...	155
श्री एस० के० सरकार	Shri S. K. Sarkar	...	155—159
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	...	159—160
श्री देवेन्द्रनाथ महता	Shri D. N. Mahata	...	161—162
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent public Importance	...	163—166
पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लघंन	Vialation of Indian Air Space by Pakistani aircraft		
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	...	163—164
श्री जगजीवनराम	Shri Jagjivan Ram	...	163—166
पुरा: स्थापित विधेयक	Bills Introduced—		
(1) श्री शिब्बन लाल सक्सेना का स्वतंत्रता सेनानी (सेवाओं की सराहना) विधेयक 1971	(i) Freedom Fighter (Appreciation of Services) Bill, by Prof. S. L. Saksena	...	166

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. No.**		
(2) श्री डी० के० पंडा का चीनी उद्योग के लिए दूसरे मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें विधेयक 1971	(ii) Second Wage Board Recommendations for Sugar Industry Bill by Shri D. K. Panda	167
(3) डा० लक्ष्मी नारायण पांडे का आयुध (संशोधन) विधेयक 1971 (धारा 2 का संशोधन)	(iii) The Arms (Amendment) Bill, (Amendment of Section 2) by Dr. Laxminarain Pandey ...	167
(4) श्री सी० के० चन्द्रप्पन का संविधान (संशोधन) विधेयक 1971 (अनुछेद 58 66 आदि का संशोधन)	(iv) The Constitution (Amendment) Bill, (Amendment of Articles 58, 66 etc.) by Shri C. K. Chandrappan ...	167
श्री एस० सी० सामंत का दान कर सशोधन विधेयक, 1971 (धारा 22, 23 आदि का संशोधन) वापिस लिया गया	Gift Tax (Amendment) Bill—Withdrawn (Amendment of section 22,23 etc.) by Shri S. C. Samanta ...	168
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	168
श्री एस० सी० सामन्त	Shri S. C. Samanta	168
श्री एस० सी० सामन्त का भारतीय दण्ड सहिता (संशोधन) विधेयक, 1971 (धारा 309 का संशोधन)	Indian Penal Code (Amendment) Bill-withdrawn (Amendment of Section 309) by Shri S. C. Samanta	168-172
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री एस० सी० सामन्त	Shri S. C. Samanta	168
श्री जी० विश्वानाथन	Shri G. Viswanathan	170
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	170
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazra	170
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	170-171
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	171
श्री मल्लीकर्जुन	Shri Mallikarjun	171
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	171
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	171-172

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
श्री भोगेन्द्र झा का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (अष्टम अनुसूची का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Eight Schedule) by Shri Bhogendra Jha	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	173-174
डा० कैलाश	Dr. Kailas	174
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	174
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	174-175
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	175
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	175-176
श्री मूल चंद डागा	Shri M. C. Daga	176
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	176
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	176-177
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	177-178
गंडक परियोजना पर व्यय के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion re. Expenditure on Gandak Project	
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	179
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	180-182

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 23 जुलाई, 1971 / 1 श्रावण, 1893 (शक)
Friday, July 23, 1971 / Sravana 1, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रतिरक्षा मंत्री का भारतीय सेना में जाति सम्बन्धी वक्तव्य

मद्रास में आयकर प्राधिकारियों द्वारा मारे गये छापे

+

*1322. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयकर विभाग के खुफिया विभाग ने मद्रास में कई छापे मारकर लाखों रुपये की लेखा-बाह्य धनराशि बरामद की है तथा आय-कर, धन-कर तथा सम्पदा शुल्क अपवंचन से सम्बन्धित अन्य साक्ष्य पकड़े हैं :

(ख) यदि हां, तो उसमें वस्तुतः कितना धन अन्तर्ग्रस्त है, और

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). जी हाँ। आयकर विभाग द्वारा जून 1971 के अन्तिम सप्ताह में एक के बाद एक कई तलाशियां ली गयीं और कुछ लेखा-बाह्य धन तथा दोषारोपणीय दस्तावेज पकड़े गए हैं। जाँच-पडताल जारी है। इतना जल्दी यह नहीं बताया जा सकता कि कर- अपवंचन किस सीमा तक किया गया। तथापि प्रथम दृष्टया यह काफी बड़े कर-अपवंचन का मामला लगता है।

Shri Mohammad Ismail : I want to know the steps taken against the persons from whom the unaccounted money has been recovered by the Government in these raids ? Whether any suit has been filed against them ?

श्री के० आर० गणेश : ये तालाशियां हाल ही में ली गई हैं और बरामद किए गए सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सारी कार्यवाही इनकी जांच होने के पश्चात की जाएगी।

Shri Mohammad Ismail : Whether it is proposed to make similar searches at other places like Bombay, Calcutta, Delhi and other big cities ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मद्रास से संबंधित है।

श्री के० आर गणेश : जहाँ कहीं से भी कोई जानकारी प्राप्त होगी, वहाँ से इस प्रकार तालाशियां जारी रहेंगी।

श्री एस० आर० दामाजी : क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या हाल ही में महाराष्ट्र अथवा दिल्ली में ऐसे छापे मारे गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल मद्रास से संबंधित है, जिसका उत्तर उन्होंने पहले ही दे दिया है।

श्री एस० आर० दामाजी : महोदय, मैं केवल यही जानना चाहता हूँ कि क्या महाराष्ट्र अथवा दिल्ली में भी कोई छापे मारे गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न मद्रास से संबंधित है।

श्री जी० विश्वनाथन् : मैं मन्त्री महोदय से लेखा-बाह्य राशि पर छापे मारने के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। इसमें कितने औद्योगिक गृह तथा बड़े बड़े उद्योगपति शामिल थे और मद्रास में कुल कितनी धनराशि पकड़ी गई थी और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री के० आर० गणेश : साउथ इण्डियन फ्लोर मिल्स, प्राइवेट लि० के संबंध में तथा इसके दो निदेशकों के संबंध में केवल एक छापा मारा गया था। इस छापे में कई अभिशंसी दस्तावेज प्राप्त हुए ह। लेखा-बाह्य निधि से धार्मिक समारोहों पर कुछ उदारतापूर्वक खर्च किया गया है। चांदी, सोना तथा हीरे भी प्राप्त किए गए हैं। यह मिल तथा इसके दो भागीदार 56 एकड़ भूमि क्रय के दो मामलों में लिप्त पाए गए हैं जिसका मूल्य कम बताया गया है। यह जानकारी प्रश्न में उल्लिखित छापे के संबंध में ही है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सत्य है कि अधिकांश मामलों में ये लेखा-बाह्य धनराशि बैंकों के अन्तर्गत लाकरों में जमा कराई जाती है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन लाकरों की भी कोई तालाशी ली गई थी ?

श्री के० आर० गणेश : सरकार यह जानती है। जितनी भी तालाशियाँ ली गई हैं इनमें जाकरों की तालाशी भी शामिल है।

सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण

*1323. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य बीमा के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ख) सामान्य बीमा कम्पनियों की कुल परिसम्पित्तियाँ क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जब वित्त मंत्री ने 6 जुलाई 1971 को विविध बीमा कम्पनियों के अभिरक्षकों से भेंट की थी तो इन कम्पनियों के कार्य चालन में सुधार लाने के दृष्टि से विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया था, जैसे कर्मचारी-वर्ग के मामले, दावों का निपटान, जनता से प्राप्त शिकायतों की जाँच, नया कारोबार बढ़ाने के जरिये आदि।

(ख) हाल में सरकार ने जिन विविध बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है उनकी कुल परिसम्पत्तियाँ तारीख 31 दिसम्बर 1969 को 213 करोड़ रुपये के मूल्य की थीं।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या बीमा नियन्त्रक के साथ बैठक में वैज्ञानिक बीमा दरों की रूप रेखा पर चर्चा हुई थी और यदि हाँ, तो इससे हमें कहाँ तक सहायता मिलेगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस बैठक में सामान्य तौर पर बीमे से संबंधित सभी मामलों पर चर्चा हुई थी। इसकी अध्यक्षता वित्त मन्त्री ने की थी और इसमें समूचे देश के अभिरक्षक भारी संख्या में उपस्थित थे। माननीय सदस्य को पता है कि इतनी जल्दी यह नहीं बताया जा सकता कि इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायगा। परन्तु यह उन मामलों में से एक है जो अभिरक्षों के विचाराधीन हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : गत तीन वर्षों के दौरान बीमा कर्त्ताओं में कितनी वृद्धि हुई है, उनमें से कितने भारतीय तथा कितने गैर-भारतीय हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह जानकारी इस प्रश्न के विस्तार-क्षेत्र से परे हैं। आपने मौलिक प्रश्न में विकास तथा कुल परिसम्पत्ति की जानकारी मांगी थी। इसके लिए आप अलग नोटिस दे सकते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि मन्त्री महोदय के पास यह जानकारी और आंकड़े नहीं हैं तो उनसे कोई और प्रश्न पूछना व्यर्थ है।

अध्यक्ष महोदय : वह भारतीय तथा गैर-भारतीयों के संबंध में पूछ रहे हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जिन बीमा कर्त्ताओं का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में लिया है उनकी संख्या हमारे पास है। 106-64 बीमाकर्ता भारतीय हैं और विदेशी बीमा-कर्ता 42 है।

श्री मल्लिकार्जुन : अधिकार में ली गई इन सभी बीमा कम्पनियों को दी गई मुआवजे की अनुमानित रकम क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : अभी तक केवल बीमा कम्पनियों की प्रबन्ध व्यवस्था ग्रहण की गई है और इसके लिए उस विधेयक के अनुसार, जो इस सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, 30 अथवा 32 लाख रुपया मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव है।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that General Insurance Employees union or any other union have forwarded to you any proposals indicating the manner in which theworks relating to general insurance should be streamlined ? If so whatever the detail there of and reaction of the Government thereto ?

Shrimati Sushila Rohtagi : The Government have received a memorandum from the employees of General Insurance wherein they have given many suggestions to the Government and these are being considered properly.

विकासशील देशों में कर प्रणाली के बारे में संयुक्त राष्ट्र "पेनल" की सिफारिश

*1324. **श्री एम० कतामुतु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों में कर प्रणाली के बारे में संयुक्त राष्ट्र 'पेनल' ने कहा है कि इन देशों की कर प्रणाली में सुधार किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 'पेनल' ने क्या सुझाव दिये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र संघ की महा-सभा के संकल्प संख्या 2562 (xxiv) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने "विकास-शील देशों में कराधान, साधन संग्रह और आय-वितरण" के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद को उसके 51 वें सत्र में, जो आजकल जैनेवा में चल रहा है, पेश की गयी। यह रिपोर्ट विकासशील देशों के नमूने की कर-प्रणालियों के अध्ययन पर आधारित है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) . रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

1. साधनों को जुटाने और बेहतर आय वितरण में कर-प्रणालियों का योगदान, कर-प्रणाली के ढाँचे, विभिन्न करों के स्वरूप और कर-प्रयत्न के स्तर पर निर्भर करता है। समीक्षाधीन अवधि में, विकासशील देशों की कर-प्रणालियों से इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई उल्लेखनीय योगदान प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, एक सुनिर्धारित कर-प्रणाली, साधनों को जुटाने और आय वितरण की असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। यदि राजनीतिक स्तर पर दृढ़ संकल्प किया जाय और एक सुनियोजित और युक्तियुक्त कर-प्रयत्न किया जाय तो विकासशील देशों में कर-सुधार सम्बन्धी आयोजन करना कोई दुष्कर कार्य नहीं है।

2. कर-सुधार सम्बन्धी आयोजन के लिये एक सुनियोजित और सुगठित प्रयास में इस समस्या के कई परस्पर सम्बन्धित आयाम निहित हैं। इन आयामों में ये बातें शामिल हैं:—संगठन में सुधार, सूचना प्रणाली का विकास, कर-प्रशासन में कुशलता, उपयुक्त दक्षताओं और योग्यताओं का विकास और घोषित नीति सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति में कर-प्रणाली के योगदान के रूप में, कर-प्रणाली का निरन्तर मूल्यांकन और अनुकूलन।

3. इसके लिये सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि कर-प्रणालियों की तदर्थ और छोटी-मोटी जांच के स्थान पर, कर-सुधार सम्बन्धी आयोजन की प्रणाली की संस्थापना की जाय और इसका सम्बन्ध विकास आयोजन की प्रक्रिया से जोड़ा जाय। इससे व्यावहारिक कर-प्रयत्नों के निर्धारण में सहायता मिलेगी और ऐसे अयथार्थवादी आयोजन-लक्ष्यों के निर्धारण से बचा जा सकेगा जिनके लिये साधन जुटाना कठिन है।

4. सतत कर-सुधार आयोजन की सफलता कुशल जनशक्ति की उपलब्धि पर और कर-प्रणाली के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के स्वरूप और विषय तथा उसके आर्थिक प्रभावों पर निर्भर करती है। इस दिशा में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निरन्तर किए जा रहे प्रयत्नों का उपयोग, नीति-निर्धारण के विषय में तुरन्त निर्णय लेने के लिए एक व्यवहार्य सूचना प्रणाली का विकास करने में किया जा सकता है।

5. कर-प्रशासन में सुधार करके वर्तमान कर-प्रणालियों से भी काफी धन प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और कर-प्रशासन की नयी या सिद्ध तकनीकों को प्रयोग में लाने पर धन खर्च किया जाय। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय और उप-प्रादेशिक स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने की आवश्यकता है।

6. कर-प्रशासन के क्षेत्र में प्रयोग करने की आवश्यकता कहीं अधिक जरूरी है और इसका क्षेत्र उससे कहीं अधिक व्यापक है, जिसकी प्रायः कल्पना की जाती है। कर-निर्धारण की सम्भावित तकनीकों का उपयोग करने, कर-दाता के साथ सम्बन्धों में सुधार करने, स्वतः कर-निर्धारण का उपयोग करने, कर-सम्बन्धी कानूनों और व्यक्तिगत करों के स्वरूप को सरल बनाने और जमीन तथा सम्पत्ति पर लगाये जाने वाले करों के मूल्यांकन-पद्धति में बराबर संशोधन करते रहने आदि से वर्तमान करों से होने वाली प्राप्ति में काफी वृद्धि की जा सकती है। इन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक

किये गये प्रयोगों और विकासशील देशों को दी जाने वाली सहायता के मूल्यांकन के विषय में, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावपूर्ण रूप से विचार किया जा सकता है।

7. कर-प्रणालियों और विकास सम्बन्धी विभिन्न उद्देश्यों, विशेष रूप से कर-प्रोत्साहनों और कृषि सम्बन्धी कराधान में उनके अंशदान के विषय में लगातार मूल्यांकन करने के लिए उनके आर्थिक प्रभावों के बारे में बराबर अनुसंधान करने और उसके परिणामों का प्रसार करने की नितांत आवश्यकता है कर-नीति विषयक वर्तमान साधनों में ऐसे अनुभव के आधार पर ही संशोधन किये जा सकते हैं या नीति सम्बन्धी नये उपाय अपनाये जा सकते हैं। मूल्यांकन और निर्धारण के क्षेत्र में नीति-विषयक वैकल्पिक कारगर साधनों के सम्बन्ध में, पूरक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उपाय मार्ग-दर्शन प्रदान कर सकते हैं।

8. गैर-सरकारी विदेशी पूंजी जुटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर कुछ कार्रवाई लिये जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में व्यर्थ की प्रतियोगिता से बचने के लिए, कम से कम उप-प्रादेशिक स्तर पर, कर-प्रोत्साहनों में एक-रूपता लाने, दोहरे कराधान से बचने और कर-सम्बन्धी उपयुक्त सन्धियां करने का महत्व बढ़ जाता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और तेजी से प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है।

9. कोई देश विकास के लिए कितना प्रतिबद्ध है, इस बात का पता उसके कर-प्रयत्नों के के स्तर से चल सकता है। प्रयाप्त रूप से कर-सुधार आयोजन किए बिना "द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशक" की अभिलाषाएं और उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किये जा सकते। इसलिए इस दिशा में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सतत एवं सुनियोजित कार्य करने की आवश्यकता है।

श्री एम० कतामुतु : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश कर-राजस्व अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार का कर-प्रणाली की पद्धति में कोई परिवर्तन करने का विचार है जिससे कि एक साधारण व्यक्ति पर बोझ कम हो ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह भी उन पहलुओं में से एक है जिन पर हमने बजट पर बाद-विवाद के दौरान कई बार चर्चा की और हो सकता है कि वित्त विधेयक पर विचार करते समय भी इस पर चर्चा की जाए। यह स्थिति केवल भारत के साथ ही नहीं है अपितु सभी विकास-शील देशों तथा अधिकांश विकसित देशों की यही स्थिति होती है कि अप्रत्यक्ष कराधान कहीं अधिक योगदान देते हैं। इसके लिए केवल यही तरीका है कि प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में और विस्तार किया जाए। यह तभी सम्भव हो सकता है जब अधिक आर्थिक विकास हो, अधिक औद्योगीकरण हो तथा और आर्थिक कृषि उत्पादन हो। अच्छी आय वाले व्यक्तियों की संख्या में केवल तभी वृद्धि हो सकती है। इसके लिए केवल यही एक रास्ता है। इसके साथ साथ हम विभिन्न प्रकार के कराधान की व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

श्री डा० डो० देसाई : चूंकि जी० एन० पी० के 16,000 करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र से और 16,000 करोड़ रुपया अन्य क्षेत्रों से आते हैं और चूंकि आशा की जाती है कि 8 प्रतिशत

अर्थात औद्योगिक क्षेत्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व का 70 प्रतिशत भाग अर्जित करेगा, क्या इस 8 प्रतिशत में वृद्धि की जाएगी ताकि औद्योगिक क्षेत्र पर बोझ कम हो जाये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की कृषि क्षेत्र पर बोझ बढ़ाने की इच्छा को समझता हूं । इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें उद्योग पर बोझ कम कर देना चाहिए ताकि वे समाज में उचित योगदान देते रहें ।

श्री जी० विश्वनाथन : अप्रत्यक्ष करों को चीनी-चड़ी गोलियां कहा जाता है । गत तीन या चार वर्षों से हमें इस प्रकार की कई गोलियां मिल रही हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि सरकार आम आदमी को इस प्रकार की गोलियां देने में कमी करने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : चीनी की गोलियों में कमी ?

श्री डी० डी० देसाई : मैं कृषि पर कराधान नहीं चाहता । मैं चाहता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र पर बोझ कम किया जाए ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक सुझाव है ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की टर्मिनल इमारतों का विस्तार

*1325 **श्री निहार लास्कर** :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के जम्बो विमानों द्वारा अधिक यात्रियों तथा सामान के लाने ले जाने की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दिल्ली, बम्बई और मद्रास के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर टर्मिनल इमारतों का विस्तार कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास में टर्मिनल इमारतों के अन्तर्राष्ट्रीय पक्षों के विस्तार का कार्य पूरा हो चुका है । वातानुकूलन, वाहक पट्टों के लगाये जाने आदि का कार्य चालू है ।

(ख) 104·96 लाख रुपये

श्री एस० एम० कृष्ण : जम्बो विमानों का युग आ गया है तथा जम्मों विमानों के लिए जम्बो आकार के हवाई अड्डों का होना आवश्यक नहीं है । मुझे इस बात का पता नहीं कि माननीय मंत्री को प्रतिदिन यात्रा करने वाले व्यक्तियों का विशेषकर पालम हवाई अड्डे का अनुभव है अथवा नहीं । हवाई जहाज के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद कम से कम 45 मिनट सामान निकलवाने में लग जाते हैं और अगर उस समय एक से अधिक जहाज उतरा हो तो इस सम्बन्ध में इससे भी

अधिक समय लग सकता है। माननीय मंत्री जो तो भाग्यवान हैं उन्हें अपने सामान को स्वयं नहीं निकालना पड़ता अन्य लोग उनका सामान निकाल देते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कब तक वाहक पट्टे लगाये जायेंगे।

डा० कर्ण सिंह : मुख्य प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय यातायात का है। जहां तक स्वदेशी यातायात का सम्बन्ध है यह सच है कि हमारे हवाई अड्डों पर अभी और काफी सुविधाएं उपलब्ध कराना शेष है। किन्तु हमने इन सुविधाओं के विस्तार के लिए एक योजना बनाई है। इस वर्ष के अन्त तक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए वाहन पट्टे तैयार हो जायेंगे। राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी अगले कुछ महीनों के अन्दर वाहक पट्टे लगा दिये जायेंगे।

श्री एस० एम० कृष्ण : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास में तीन अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल तैयार हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि कलकत्ता के लिये यह इमारत कब तैयार होगी ?

डा० कर्ण सिंह : प्रश्न टर्मिनल इमारतों सम्बन्धी विस्तार कार्य के बारे में पूछा गया है। इन तीनों इमारतों का विस्तार किया जा रहा है। कलकत्ता में 2 करोड़ रुपया खर्च करके एक बिलकुल नई इमारत बन कर तैयार हो गई है। माननीय सदस्य जब संभव हो जाकर देख लें।

लाटरी टिकटों की बिक्री द्वारा करों का अपवंचन

1329. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाटरी टिकटों की बिक्री के रूप में एक नए तरीके से कर अपवंचन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में आय-कर विभाग के खुफिया विभाग के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) इस प्रकार से किए जा रहे कर अपवंचन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) लाटरी टिकटों की बिक्री के माध्यम से कर-अपवंचन किये जाने की आम शिकायत हुई है।

(ख) और (ग) . मदन एंटरप्राइजर्ज के मामले में इस आशय के आरोप प्राप्त होने पर कि वास्तविक आय छिपाने के लिये जाली खाते तैयार किये जा रहे हैं, हाल में दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़ तथा कलकत्ता में तालाशियां ली गयीं थीं। पकड़ी गई सामग्री की जाँच की जा रही है जिससे कर-अपवंचन की सीमा और उसके तौर-तरीकों का पता लग सके। यदि आय छिपाने के किसी प्रकार का पता चल जायगा तो ऐसे कर-अपवंचन को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जायेंगे।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या यह सच है कि दिल्ली के बैंकों में लाकर्स की तालाशी के दौरान कुछ कागजात प्राप्त हुये थे जिनसे यह पता चलता है कि सम्पत्ति विक्रय पत्र में दिये गये मूल्य से कहीं अधिक मूल्य पर बेची गई है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री के० आर० गणेश : हाँ, महोदय, जो कागजात बरामद हुए हैं उनकी जाँच की जा रही है तथा ज्यों ही यह जाँच समाप्त हो जायेगी उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या यह भी सच है कि इन लाकर्स की जाँच कर रहे अधिकारियों ने जेवरात को अपने अधिकार में नहीं लिया है ? अगर ऐसी बात है तो इसके क्या कारण थे ? इस तालाशी से कितने लोग गिरफ्तार किये गये तथा उनके नाम क्या हैं ?

श्री के० आर० गणेश : जेवरात के बारे में सूचना पूछने के लिये एक नया प्रश्न दिया जाना चाहिये।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जेवरात उसी तलाशी में मिले थे।

श्री के० आर० गणेश : मदन एंटरप्राइजेज के शिमला, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा कलकत्ता कार्यालयों की तलाशियाँ ली गई थीं। इस कम्पनी में पत्नी, सास, साला तथा कई अन्य व्यक्ति शामिल हैं। यह कम्पनी लाटरी बेचने का कार्य करती है। वह हिमाचल प्रदेश के समाज कल्याण बोर्ड के ठेकेदार हैं। यह आरोप लगाया गया है कि 20 लाख रुपये का गोलमाल किया गया है। जाँच करने के बाद पता चला है कि यह राशि 3 लाख रुपये है। लाटरी की अन्य कम्पनियाँ भी हैं। इनमें भी जाँच की जा रही है। जहाँ तक जेवरात का सम्बन्ध है उसके लिये तो मुझे सूचना दी जायेगी तो मैं बता सकूंगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या मदन एंटरप्राइजेज से सम्बन्धित कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री के० आर० गणेश : इस सम्बन्ध में जाँच की जा रही है।

फायरस्टोन टायर एंड रबर कम्पनी आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड

*1330. **श्री मनोरंजन हाजरा :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड भारतीयों को अंश देने से इन्कार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). यह कम्पनी अभी तक तो शत प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी है, परन्तु हाल ही में कम्पनी की लाइसेंसशुदा क्षमता को बढ़ाने तथा कम्पनी में भारतीयों की भागीदारी की सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में कम्पनी और औद्योगिक विकास मन्त्रालय के बीच बातचीत चल रही है।

श्री मनोरंजन हाजरा : प्रश्न भारतीयों को अंश देने से इन्कार का है। माननीय मन्त्री ने इसका उत्तर नहीं दिया है। उनके उत्तर को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह बातचीत कब आरम्भ हुई तथा कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि यथार्थ में मन्त्रालय ने कब बातचीत आरम्भ की थी। मुझे केवल यह पता है कि बातचीत चल रही है। मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी क्योंकि इसका सम्बन्ध विस्तार कार्य से है। अगर वह विस्तार नहीं चाहते तो शायद बातचीत का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। किन्तु अगर वह विस्तार कार्य चाहते है तो इस बात के बारे मे विचार करना पड़ेगा कि भारतीयकरण किस सीमा तक किया जाये। यह करना पड़ेगा।

श्री मनोरंजन हाजरा : इस कम्पनी की मूल चुकता पूंजी क्या थी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बड़ी रोचक गाथा है। मूल चुकता पूंजी 20 हजार रुपये थी। किन्तु तब वह लाभ कमा रहे थे और आखिर में जब 1961 में बोनस अंशों की अनुमति दी गई तो पूंजी की राशि अधिक हो गई। अब यह राशि 1.10 करोड़ रुपया हो गई है।

श्री मनोरंजन हाजरा : क्या अमरीका द्वारा इसे सहायता दी जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास इस सम्बन्ध में सूचना नहीं है। शायद इसके लिये आपको औद्योगिक विकास मन्त्रालय से पूछना पड़ेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मूल प्रश्न कम्पनी कार्य मन्त्री से पूछा गया है। वित्त मन्त्री द्वारा इसका उत्तर कसे दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह वित्त मन्त्री के नाम कर दिया गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मन्त्री ने अभी बताया है कि इस कम्पनी की चुकता पूंजी 20 हजार रुपया है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कहा है कि 20 हजार रुपया "थी" ना कि "है"।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस शुद्धि को मानता हूँ। क्या आप हमें बतायेंगे कि इस बीस हजार रुपये में से इस देश में उन्होंने अब तक कितना लाभांश बाहर प्रेषित किया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस समय मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं। मैं पिछले तीन या चार वर्ष के आंकड़े दे सकता हूं। मेरे पास आरम्भ के आंकड़े नहीं हैं। यह बिलकुल स्पष्ट है

कि अगर उन्होंने बोनस अंशों से अपनी लागत राशि 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.10 करोड़ रुपये कर ली है तो उसी से उनके द्वारा कमाये लाभ का पता चलता है। यह जीवन का तथ्य है। इसमें छुपाने की कोई बात नहीं। मैं 1967 से 1970 तक के आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। 1967 में उसकी चुकता पूंजी 110 लाख रुपये, सुरक्षित तथा अधिक्य राशि 4 करोड़ 6 लाख रुपये, कुल लागत पूंजी 5 करोड़ 16 लाख थी। कर चुकता कर देने के बाद 40 लाख रुपये का लाभ अर्जित हुआ और घोषित लाभांश 90 लाख रुपये तथा 52 लाख रुपये लाभांश प्रेषित किया गया। 1970 में पूंजी की राशि वही है अर्थात 110 लाख रुपये है। सुरक्षित तथा आधिक्य राशि भी लगभग वही 4 करोड़ रुपये है। कुल लागत पूंजी 5 करोड़ 10 लाख रुपये है। कर देने के बाद 2 करोड़ 30 लाख रुपये का लाभ हुआ। घोषित लाभांश 2 करोड़ 17 लाख तथा 1 करोड़ लाभांश बाहर भेजा गया।

डा० रानेन सेन : क्या मन्त्री महोदय इस तथ्य से परिचित हैं कि कुछ काल पहले से फायर स्टोन कम्पनी तथा कुछ भारतीय अंश दाताओं के बीच अघोषित लड़ाई की स्थिति चल रही है। अगर यह सच है तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह किस बारे में है तथा हमारी सरकार की इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भारतीय अंश दाता इसमें कहाँ है यह कम्पनी तो शत प्रतिशत विदेशी कम्पनी है।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या यह सच है कि फायरस्टोन सिन्थेटिक तथा केमीकल के सभी अंश ग्रहण कर एक संयुक्त कम्पनी बनाना चाहती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : महोदय, उन्हें इस सम्बन्ध में कम्पनी कार्य मन्त्री से पूछना चाहिये।

पश्चिम बंगाल के स्कूलों के अध्यापक और गैर-अध्यापक कर्मचारियों के वेतनमानों को सुधारने और आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

*1331. **श्री गदाधर साहा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल बंगाल अध्यापक संघ ने अध्यापक और गैर-अध्यापक कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की शर्तों को सुधारने तथा आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने के लिए उनके मन्त्रालय को एक अभ्यावेदन दिया था और ज्ञापन पेश किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित संघ का अभ्यावेदन राष्ट्रपति सचिवालय से इस मन्त्रालय में 11-12-70 को प्राप्त हुआ था। ऐसी ही याचिकायें अन्य संघ से प्राप्त हुई थीं। ये सभी आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दी गईं।

श्री गदाधर साहा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि अखिल बंगाल अध्यापक संघ तथा अन्य संघों के अभ्यावेदन आवश्यक कार्यवाही के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दिए गए हैं। क्या मैं उनसे यह जान सकता हूं कि क्या अध्यापक संघों ने पश्चिमी बंगाल राज्य में आठवीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा देने की मांग की थी ? यदि हाँ तो, सरकार ने इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री डी० पी० यादव : महोदय, अनेक मांगों में से उनकी पहली मांग यह है कि आठवीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को शीघ्र घोषित तथा क्रियान्वित किया जाए। इस सम्बन्ध में याचिका समिति (चौथी लोक सभा) द्वारा की गई एक सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में 14 वर्ष की आयु तक नि:शुल्क शिक्षा दिलाने के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार बताई थी।

आजकल पश्चिम बंगाल समूचे ग्रामीण क्षेत्रों तथा कुछ नगरपालिका के क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा निशुल्क दी जाती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों तथा मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक तथा गैर-शिक्षक कर्मचारियों के बच्चों द्वारा दी गई फीस की प्रतिपूर्ति माध्यमिक स्तर तक राज्य सरकार द्वारा कर दी जाती है।

14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य तथा नि:शुल्क बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम यह है कि उन्होंने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों के मान्यता प्राप्त स्कूलों में आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़कियों को नि:शुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया है।

श्री गदाधर साहा : इसका सम्बन्ध पश्चिम बंगाल में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में आठवीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा दिलाने से है।

श्री डी० पी० यादव : वास्तव में सारी माँगों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना है। केन्द्र से सम्बन्धित कार्यवाही केन्द्रीय सरकार द्वारा का जाएगी।

श्री गदाधर साहा : तत्कालीन संयुक्त मोर्चे की सरकार द्वारा नियुक्त किए गए वेतन आयोग के प्रतिवेदन का प्रकाशित तथा क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री डी० पी० यादव : इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है।

श्री गदाधर साहा : पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति का शासन है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह मामला अब हम से सम्बन्धित है।

श्री डी० पी० यादव : इसके लिए हमें पूर्ण सूचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या इन्होंने वेतन आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने की भी

मांग की है ? क्या अभ्यावेदन में इसका उल्लेख किया गया है अथवा नहीं ?

श्री डी० पी० यादव : मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु इसकी सूचना सदस्य को बाद में दे दी जाएगी ।

श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी : क्या मन्त्रालय को इस बात की जानकारी है कि उक्त अखिल बंगाल अध्यापक संघ के अध्यक्ष ने जो कि द्वितीय संयुक्त मोर्चे की सरकार में शिक्षा मन्त्री भी रह चुके हैं, वचनबद्ध होने के पश्चात भी आठवीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं की है यदि हां तो इसके कारण क्या हैं ? संयुक्त मोर्चे की सरकार में वचन देने के पश्चात भी वे आठवीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा क्यों नहीं दे पाए ?

श्री सुबोध हंसदा : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य अध्यापक संघ से भी इस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने ऐसी ही मांग की हो और क्या उन्होंने भी अभ्यावेदन में सरकार से कहा है कि उनकी मांगें स्वीकार न की गई तो वे भी हड़ताल कर देंगे ?

श्री डी० पी० यादव : तीन संघों ने इस प्रकार की मांग की थी । उनके नाम इस प्रकार है अखिल बंगाल अध्यापक संघ, मुख्य अध्यापक संघ तथा अखिल बंगाल प्राथमिक अध्यापक संघ ।

श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी : मन्त्री महोदय को उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार करके आना चाहिए । वह तो किसी अनुपूरक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री दशरथ देव : यहाँ उत्तर देने के लिए कोई भी नहीं है । वे बंगाल के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते हैं । उनकी इच्छा तो केवल प्रशासन अपने हाथ में लेने की है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पिछली बार भी सभा ने यह मांग की थी कि मन्त्री महोदय को अवश्य उपस्थित होना चाहिए ताकि ठीक ठीक उत्तर दिए जा सकें ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी उपस्थित हैं ।

श्री राज बहादुर : हम यहां उपस्थित हैं । वह प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ।

श्री डी० पी० यादव : पश्चिम बंगाल सरकार गत कुछ वर्षों से गैर योजना पक्ष में अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए कम बजट व्यवस्था कर रही है । इस ओर शिक्षा संबंधी खर्च में कुल मिलाकर लगभग 23.42 करोड़ रुपए की कमी हुई है । सर्वाधिक कमी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में की गई है जहां नियमानुसार मंजूर किए गए सहायता अनुदान का भुगतान नहीं किया गया ···(व्यवधान)···मैं इसका भी उत्तर दे रहा हूं । यह सरकार पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ है । तथापि राज्य सरकार को सहायता देने के प्रश्न पर निर्णय योजना आयोग से परामर्श करने के पश्चात दिया जाएगा ।

श्री समर गुह : मुख्य अध्यापक संघ ने श्री सिद्धार्थ शंकर राय को 14 जुलाई को एक 10 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी जिसका मेरे माननीय मित्र ने पहले ही उल्लेख किया है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनको पता है कि 1962 के पश्चात विभिन्न विद्यालयों में, विशेषकर, माध्यमिक विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा मध्यम विद्यालयों में सहायता अनुदान तथा घाटा पूरक अनुदान का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न स्कूलों को घाटा पूरक अनुदान का भुगतान नियमित कराने के लिए ठोस कदम उठाएगी ?

श्री डी० पी० यादव : जहां तक स्कूलों को दिए जाने वाला घाटा पूरक अनुदान का प्रश्न है, मैंने पहले ही बताया है कि राशि इतनी अधिक है कि सरकार सारी राशि का भुगतान करने में असमर्थ है । 1900 विद्यालयों को घाटा-पूरक अनुदान दिया जा रहा है और वर्ष 1963 के पश्चात स्थापित किए गए विद्यालयों का मामला विचाराधीन है ।

भारत में टकसालें

*1333. **श्री जदेजा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी टकसालें हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ; और

(ख) इन टकसालों में कितने मूल्य के सिक्के बनते हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क). भारत सरकार की तीन टकसालें है, जो कलकत्ता, बम्बई और हैदराबाद में स्थित हैं ।

(ख) उत्पादन, रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित आवश्यकता के अनुसार किया जाता है । हाल के वर्षों में हुए उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :

(लाख सिक्कों में)

वर्ष	उत्पादन
1966-67	16960
1967-68	18454
1968-69	14246
1969-70	3858
1970-71	5769
1971-72	14000 (प्रत्याशित)

श्री जदेजा : क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या हम अपनी

टकसालों का प्रयोग विदेशी सिक्के बनाने में कर रहे हैं जबकि हमारे अपने देश में सिक्कों की कमी है ; यदि हाँ, तो क्या सरकार विदेशी सिक्के बनाने संबंधी अपनी नीति में संशोधन करेगी ?

श्री के० आर० गणेश : फिलहाल विदेशों के लिए सिक्कों का निर्माण नहीं किया जा रहा है ।

श्री दंडपाणि : मेरे देश में छोटे सिक्कों की बहुत माँग है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार देश में विशेषकर मद्रास में कुछ और टकसालें स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी । मद्रास में एक ऐसी गली है जो मिंट स्ट्रीट कहलाती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार मद्रास में एक टकसाल स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री के० आर० गणेश : यह सुझाव कार्यवाही के लिए है ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : क्या सरकार ने छोटे सिक्कों की कमी के कारणों के संबंध में कोई जांच की है जिसके कारण लोगों को इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर पहले ही इस सभा में चर्चा हो चुकी है और इसका उत्तर भी दिया जा चुका है ।

श्री पीलू मोदी : टकसालों की भी कमी है । अब यह प्रश्न केवल सिक्कों की कमी से ही सम्बन्धित नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : लगभग 3 या 4 दिन पहले यह प्रश्न मैंने ही पूछा था, किन्तु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, इस प्रश्न पर इस सभा में चर्चा हो चुकी है और यह जानकारी दी जा चुकी है कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं । इस समय गत वर्ष प्रतिदिन 14 लाख सिक्कों की तुलना में 50 लाख सिक्कों का निर्माण किया जा रहा है और हम इस संख्या को 70 लाख तक बढ़ाना चाहते हैं ।

श्री एस० बी० गिरि : क्या भारत सरकार हैदराबाद स्थित टकसाल में विस्तार करने का विचार रखती है । सिक्कों की कमी को ध्यान में रखते हुए इस टकसाल में प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जा रहा है ।

श्री के० आर० गणेश : हैदराबाद में एक छोटी सी टकसाल है और उन्होंने कुछ सुझाव भेजे हैं । हैदराबाद टकसाल के समूचे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध में कर्मचारियों को शामिल किया जाना

*1334. **श्री मधु दंडवते** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध में कर्मचारियों को शामिल करने की सरकार की

नीति के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है ;

(ख) क्या इस मामले पर बैंकिंग उद्योग की ट्रेड यूनियनों से कोई परामर्श किया गया है : और

(ग) यदि हाँ, तो सम्बन्धित ट्रेड यूनियनों द्वारा क्या ठोस सुझाव दिये गये हैं और उनके सुझावों को किस हद तक क्रियान्वित किया जा रहा है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं। प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए यथा सम्भव शीघ्र, निदेशक बोर्ड गठित करने के लिए, जिसमें उसके कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी हों, आवश्यक उपाय पहले ही किये जा चुके हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री मधु दंडवते : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रतिद्वन्द्वी श्रमिक संघों के परस्पर विरोधी विचारों के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध में शामिल होने और प्रतिनिधित्व करने के दावों को तय करने में क्या कोई विलम्ब हुआ है जिनके बारे में इन्होंने सुझाव दिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य स्वयं एक सुप्रसिद्ध श्रमिक संघवादी हैं। ये परस्पर विरोधी दावे हैं। किन्तु इस सभा ने 1970 में जिस योजना को स्वीकार किया था। उसमें इन विवादों को हल करने के उपाय की व्यवस्था की गई है और कुछ ऐसी बातों की व्यवस्था की गई है जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि संघ में प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए, इसमें कम से कम कितने सदस्य होने चाहिये, जाँच का तरीका क्या हो आदि आदि। प्रारम्भिक कार्य किया गया है। जाँच कार्य आरम्भ हो गया है। यह जांच-कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रतिनिधि संघ में सदस्य के नामों की तालिका बनाई जायेगी जिसमें से एक नाम का चयन किया जायेगा। इसमें एक प्रणाली का व्यवस्था है जिससे कोई भी परस्पर विरोधी दावों को हल कर सकता है।

श्री मधु दंडवते : मैं प्रक्रिया को भलीभाँति जानता हूँ कि क्या इन परस्पर विरोधी दावों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया से आपकी नीति के कार्यान्वयन में कोई देरी हुई है। दूसरी बात यह है कि विलम्ब के कारण क्या कर्मचारियों में ऐसी भावना पैदा हुई है कि इनको इसमें शामिल करने की कोई बात ही नहीं है जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यकुशलता पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब कर्मचारियों के प्रतिनिधि बैठते हैं, तब उनको इसमें शामिल करने की बात तो है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ. परन्तु इसमें कोई देरी नहीं हुई

है । इस कार्य में देश के सभी बैंकों के दावों की जाँच करने का कठिन कार्य शामिल है । अतः इसमें कुछ समय लग रहा है । परन्तु कुछ प्रारम्भिक कार्य पहले ही किया जा चुका है और अब इसमें कोई देरी नहीं होगी । जब तक उनके प्रतिनिधि बोर्ड में नहीं बैठते हैं तब तक मैं यह स्वीकार करता हूं कि उनमें निराशा की भावना बनी रहेगी ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : माननीय मन्त्री ने बताया कि राष्ट्रीकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड के विस्तार पर विचार किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा मानदंड कौन सा है जो निदेशकों की नियुक्ति के बारे में लागू किया जा रहा है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : क्या माननीय सदस्य योजना तथा अधिनियम को देखेंगे ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं निदेशक बोर्ड के विस्तार के बारे में उल्लेख कर रहा हूं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यहीं तो कह रहा हूँ । इसके विस्तार का कोई प्रश्न ही नहीं है । समूची बात अधिनियम और योजना में दी गई है । मैं माननीय सदस्य को सलाह देता हूँ कि वह योजना और अधिनियम को देखें ।

श्री जी० विश्वनायन : अधिनियम और योजना का अध्ययन करने की ।

श्री पीलू मोदी : माननीय मन्त्री से सलाह लेने में क्या गलत बात है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें मालूम है और मुझे आशा है कि उन्हें यह मालूम है कि बैंक कर्मचारियों की सबसे अधिक प्रतिनिधि वाली संस्था अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ है । इसने राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया है । उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए । कभी-कभी जांच कार्य का परिणाम यह होता है कि कोई श्रमिक संघ, विशेष रूप से उदाहरण के तौर पर इन्टक, अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा देता है । उनको ऐसा करने की आदत पड़ गई है । अतः व्यापक हित में यदि इसका निर्णय जांच द्वारा नहीं किया जाएगा, तो क्या दोनों संघों द्वारा बैलट किया जाएगा, ताकि जो जीते वह बोर्ड का प्रतिनिधि बन सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सभा ने योजना को स्वीकार किया है और मेरा इसके बारे में अपना कोई निर्णय नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में पंजीकृत कम्पनियां

* 1335. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में कितनी पंजीकृत कम्पनियां थीं और प्रत्येक

कम्पनी का कुल पूंजी परिव्यय कितना-कितना था;

(ख) बंगाल में कितनी पंजीकृत कम्पनियों ने गत तीन वर्षों में स्वेच्छा से अपना परिसमापन किया अथवा अन्यथा उनको बन्द कर दिया गया; और

(ग) क्या कुछ कम्पनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने पंजीकरण कराने के बावजूद कार्य करना आरम्भ नहीं किया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कम्पनी कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग). सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों, अर्थात, 1968-69 से 1970-71 के मध्य, पश्चिमी बंगाल में पंजीकृत कम्पनियों तथा उन कम्पनियों, जो इन कथित तीन वर्षों के अन्त में कार्यरत थीं, की बाबत सूचना नीचे अंकित है :—

सारिणी

वर्ष	पश्चिमी बंगाल			
	पंजीकृत कम्पनियां		कार्यरत कम्पनियां	
	संख्या	अधिकृत पूंजी (करोड़ रु० में)	संख्या	प्रदत्त पूंजी (करोड़ रु० में)
1968-69	200	11	8967	592
1969-70	209	14	9072	591
1970-71	258	16	9229	599

(ख) उन कम्पनियों की संख्या, जिन्होंने 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के तीन वर्षों में, या तो परिसमापन द्वारा अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (5) के अन्तर्गत उच्छिन्न किए जाने से, कार्य करना बन्द कर दिया था, क्रमश: 170, 104 तथा 101 थी ।

(ग) यह सूचना शीघ्रतः उपलब्ध नहीं है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : माननीय मन्त्री ने प्रश्न के (ग) भाग का उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने इस भाग के उत्तर में बताया है कि यह सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है ।

विवरण से कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि कुछ कम्पनियों ने कुछ कठिनाइयों के कारण किस हद तक कार्य करना शुरू नहीं किया है। तथापि, मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि 1956 के कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी कोई विशेष व्यवस्था है कि जो कम्पनियां रजिस्टर्ड हैं, उन्हें अपने कार्य-निष्पादन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उसी समय प्रस्तुत करने होते हैं, जिस समय वे कार्य करना आरम्भ करती हैं और यदि हां, तो क्या 1968-69 में 200 रजिस्टर्ड कम्पनियों और 1969-70 में 209 रजिस्टर्ड कम्पनियों तथा 1970-71 में 258 रजिस्टर्ड कम्पनियों ने अपने कार्य निष्पादन प्रमाण-पत्र कम्पनी-कार्य विभाग को प्रस्तुत कर दिए हैं ?

श्री वेदव्रत बरुआ : यह कार्य-निष्पादन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र नहीं है। यह एक अन्य मामला है। बात यह है कि रजिस्टर्ड कम्पनी को 18 महीने के बाद कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता को अपना तुलन-पत्र प्रस्तुत करना होता है। यह सम्भव है कि इस अवधि के दौरान कुछ कम्पनियां चालू हुई हों अथवा उनका कार्य रुक गया हो अथवा उन्होंने किन्हीं कारणों से कार्य करना आरम्भ ही न किया हो। ऐसा पश्चिम बंगाल में ही नहीं हुआ है अपितु अन्य राज्यों में भी हुआ है कि कम्पनी रजिस्टर्ड हो जाए किन्तु पूंजी की कमी अथवा अन्य कारणों से, जिसमें उपयुक्त कार्यालय आवास न मिलने जैसे कारण भी कभी-कभी शामिल हो सकते हैं, कार्य करना शुरू न किया हो। सचमुच हम इन कारणों को नहीं जानते हैं और इस तरह की जानकारी इस समय हमारे पास नहीं है। हम जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तत जानकारी मिलने के बाद हम यह जानकारी बाद में देंगे।

श्री बी० के० दासचौधरी : विवरण से इस बात का पता चलता है कि रजिस्टर्ड कम्पनियों ने अपने तुलनपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। यह तो एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि हम देखते हैं कि तीन वर्षों के दौरान, इन वर्षों के जो विवरण सभापटल पर रखे गए हैं, उसके अनुसार अनेक कम्पनियां स्वेच्छा से समाप्त हो गई हैं अथवा कम्पनी के रजिस्टर से उनका नाम कट गया है। उदाहरण के तौर पर 1968-69 में 170 कम्पनियां, 1969-70 में 104 कम्पनियां और 1970-71 में 101 कम्पनियां इस वर्ग के अन्तर्गत आती हैं अर्थात् वे कार्य आरम्भ करने के बाद स्वेच्छा से समाप्त हो गई हैं अथवा रजिस्टर से उनका नाम कट गया है। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूँ कि क्या कम्पनी-कार्य विभाग में ऐसा कोई विशेष विभाग है जो इस तरह के कारणों का अध्ययन करे कि ये कम्पनियां स्वेच्छा से क्यों समाप्त हो रही हैं और ये कम्पनियां स्थापित क्यों नहीं हो पा रही हैं जब कि वे रजिस्टर्ड हैं ?

श्री वेदव्रत बरुआ : यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जब कोई कम्पनी समाप्त हो जाती है अथवा यह कार्य करना बन्द कर देती है, तो हमें इसकी रिपोर्ट अवश्य मिलती है और रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि पश्चिमी बंगाल और अन्य राज्यों में अनेक कम्पनियों ने कार्य करना बन्द कर दिया है और कम्पनियों ने यह बताया है कि कुछ मामलों में श्रमिक विवाद अथवा कानून और व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति के कारण कम्पनियां बन्द हो गई थीं। यह सरकार का विचार नहीं है। हम इस

बात का पता लगा रहे हैं कि कुछ कम्पनियों ने किस कारण कार्य करना बन्द कर दिया है और हम कम्पनियों के लेखे देख सकते हैं और हम कम्पनियों के कार्यों की जांच कर सकते हैं।

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या वह कम्पनी-कार्य विभाग में एक स्टडी-सेल स्थापित करेंगे ?

श्री वेदव्रत बरुआ : विशेष रूप से केवल इसके लिए नहीं·····

श्री बी० के० दासचौधरी : कठिनाइयां क्या हैं ?

श्री वेदव्रत बरुआ : किन्तु एक अनुसन्धान अनुभाग तो है जो इस तरह के कुछ मामलों की जांच कर सकता है।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि इस तरह की अनेक कम्पनियों में जो स्वयं ही समाप्त हो गई हैं अथवा जिन्होंने काम करना बन्द कर दिया है, उनके बारे में कर्मचारियों अथवा श्रमिक संघों या अंशधारियों की अनेक शिकायतें हैं कि यह कुप्रबन्ध का कारण है कि अनेक कम्पनियां समाप्त हो गई हैं अथवा बंद हो गई हैं और यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री वेदव्रत बरुआ : कुप्रबन्ध के बारे में कुछ मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और सरकार ने ऐसे कुछ मामलों और बातों की जांच की है कि कुछ कम्पनियों के समाप्त होने अथवा उनके बन्द होने के लिए कुछ हद तक कुप्रबन्ध जिम्मेदार हो सकता है। जहां तक कम्पनियों के समाप्त होने का सम्बन्ध है, यह बड़ी लम्बी प्रक्रिया है और इसमें अधिक समय लगता है और इसके पीछे एक लम्बा इतिहास होता है, जिससे कोई यह जान सकता है कि अतीत में क्या कुछ हुआ होगा। किन्तु कुछ कम्पनियां वास्तव में बन्द हो गई हैं। हमारा विचार यह है कि कुछ मामलों में ये कम्पनियां कुप्रबन्ध के कारण बन्द हो गई हैं।

पश्चिम बंगाल में जेलों में नजरबन्द विद्यार्थी

*1337. **श्री समर गुह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के उपाय के रूप में बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को वहां की विभिन्न जेलों में नजरबन्द कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या विद्यार्थियों को अन्य सामान्य नजरबन्दियों से अलग रखा गया है;

(घ) क्या इन नजरबन्द विद्यार्थियों को अध्ययन जारी रखने तथा स्कूलों और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठने की सुविधाएं दी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे नजरबन्द विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो इस वर्ष स्कूलों और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठे थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और संस्कृति विभाग मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) से (ङ) : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

हत्या, बन्दूक छीनने, शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों इत्यादि पर हमले की भीषण घटनाओं के कारण पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की जो परिस्थिति पाई जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए तथा पश्चिम बंगाल हिंसात्मक गतिविधियां निरोध अधिनियम 1970 के उपबन्धों के अधीन, 3400 व्यक्तियों से अधिक को नजरबन्द करना आवश्यक लगा, ताकि उनको ऐसे कार्यों से रोका जा सके, जो राज्य की सुरक्षा के लिए अथवा सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए घातक हों। इनमें से 632 विद्यार्थी हैं। उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने अपना अध्ययन जारी रखने के लिए सुविधाओं की मांग की है, जहां कहीं भी इस प्रकार के स्थान की व्यवस्था की जा सकती है, कारागारों के अन्दर ही ऐसे विशेष स्थान की व्यवस्था की गई है। उनको अन्य प्रकार से अलग नहीं किया गया है। स्कूल और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने की सुविधाओं और ऐसे नजरबन्द विद्यार्थियों के विषय में जो स्कूल अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठे थे, सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

श्री समर गुह : वक्तव्य के अनुसार 632 विद्यार्थियों को नजरबन्द किया गया है। अनुमान है कि एक हजार विद्यार्थियों को परीक्षाधीन कैदियों के रूप में जेल में रखा गया है। क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि किशोरों अथवा विद्यार्थियों के लिए एक अलग जेल बनायी जाए ताकि उन को अन्य कैदियों से अलग रखा जा सके अन्यथा जेल में उग्रवादी तत्वों से मिल कर वे भी पक्के अपराधी बन जायेंगे इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के जमाने में विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कुछ भत्ता दिया जाता था। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करेगी ।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : आजकल जेलों में जगह की बहुत समस्या है। माननीय सदस्य द्वारा दिए गए दोनों सुझाव अच्छे हैं, सरकार उन पर विचार करेगी, परन्तु मैं अभी कोई वचन नहीं दे सकता ।

श्री समर गुह : मैं एक और रोचक सुझाव देना चाहता हूं। अंग्रेजों के समय में जब हमें नजरबन्द किया जाता था तो प्रायः ही हमारे पास उद्यमशील अधिकारी आकर राजनीति पर चर्चा किया करते थे। क्या सरकार इन विद्यार्थियों के साथ भी राजनीति करने की सम्भावनाओं पर

विचार करेगी ? ये विद्यार्थी केवल लाल साहित्य को पढ़कर उग्रवादी हो गये हैं उन्हें मार्क्सवाद का कुछ भी पता नहीं है ।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : इस बात पर कुछ विचार-विमर्श किया गया है । माननीय सदस्य यदि इस सम्बन्ध में मुझे अपने विचारों से अवगत करा सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी । वह मेरे साथ इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार को जानकारी है कि नक्सलवादी तथा साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के व्यक्तियों को जब अन्य कैदियों के साथ रखा जाता है तो वे उन्हें भी प्रशिक्षण देते हैं ?

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : माननीय महिला सदस्य चाहती हैं कि सरकार अन्य कैदियों को साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की विचारधारा से प्रभावित होने से रोके । यदि प्रश्न यही है तो मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमा किए जमाखाते

*1389 **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक के हाल के सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि सबसे अधिक जमाखाते गैर-बैंकिंग कम्पनियों में हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के बजाय गैर-बैंकिंग कम्पनियों में अधिक जमाखाते खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अधिक राशि प्राप्त करने के लिए बैंक कोई विशेष प्रयत्न कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जमा की रकमों को आकर्षित करने के सम्बन्ध में किए गए उपाय संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैं :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों से जमा की रकमें इकट्ठा करने के लिए प्रमुख उपाय के रूप में बैंक, देश के सभी भागों में, मुख्यत: बैंक-रहित और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्य-तन्त्र का विस्तार तीव्र गति से करते रहे हैं ।

(ii) वित्त मंत्री, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ समय-समय पर होने वाली बैठकों में जमा की वृद्धि करने की आवश्यता पर बल देते रहे हैं। इन बैठकों में समस्या के विभिन्न पहलुओं और जमा में वृद्धि करने के अभियान के सम्बन्ध में सभी सम्भव उपायों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाती रही है। यह तय पाया गया है कि विशेष सफलता प्राप्त करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि रकमें जमा कराने के लिए सक्रिय प्रचार किया जाय तथा कर्मचारी स्वयं उसमें सहयोग दें। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए बैंकों का कार्य समय परिवर्तनशील होना चाहिए, आवश्यक फार्म प्रादेशिक भाषाओं में होने चाहिएं और अलग-अलग साधन वाले जमाकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं होनी चाहिएं। प्रचार कार्य अंग्रेजी भाषा के समाचार-पत्रों के माध्यम की बजाय स्थानीय भाषाओं में अधिक किया जाना चाहिए। बैठक में निकाले गये मुख्य निष्कर्षों के अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने बैंकों को एक परिपत्र जारी किया जिसमें उन मुख्य सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया था जिनके अनुसार बैंकों को जमा-वृद्धि में विशेष प्रगति करने के लिए उपाय करना चाहिए।

(iii) बैंक अपनी प्रक्रियाओं और पद्धतियों को ग्राहकों की जरूरतों, पसन्दों और इच्छाओं के अनुकूल बनाते रहते हैं।

(iv) छोटे जमाकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जमा योजनाएं निकाली गई हैं जैसे छोटी (चिंगमी) जमा योजनायें, 'नित्य-निधि' अथवा दैनिक जमा योजना, किसान जमा योजना, सेवानिवृद्धि योजना खाते, अपने घर के लिए बचाइये, प्रगामी लाभ जमा योजना, आवर्ती जमा योजना, आवासन आवर्ती-जमा योजना आदि।

(v) बैंकों के काम के घंटों में समुचित परिवर्तन किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में चलते-फिरते बैंक कार्यालय और छोटे बैंक कार्यालय चालू किए जा रहे हैं।

(vi) बैंकों को इन प्रयत्नों में सहायता देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने छोटी जमा रकमों पर दलाली की अदायगी के सम्बन्ध में प्रतिबन्धों को शिथिल कर दिया है।

(vii) कुछ बैंकों में बीमा सहित बचत बैंकखातों की योजनायें चालू की गयी हैं, जिनमें इस विशेष उद्देश्य से खोले गए बचत-बैंक खाते के खाता धारक के लिए उसके जीवन बीमा की व्यवस्था है।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : मैं स्वीकार करता हूँ कि भाग (क) और (ख) में वित्तमंत्री के लिए कुछ अप्रिय शब्दों का प्रयोग हुआ परन्तु क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि तथाकथित वित्त निगम, गैर सरकारी कम्पनियों के काले धन को सफेद धन बनाने में संलग्न हैं? क्या उन्हें रोकने का कोई प्रस्ताव है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निःसन्देह इस ओर लगातार ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने 1957 में इन गतिविधियों को रोकने के लिए कतिपय अनुदेश जारी किए थे। परन्तु फिर भी मैं भी इस सम्बन्ध में कह नहीं सकता कि हमने इसे पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। इस समय यह मामला बैंकिंग जाँच आयोग के पास है। उन्होंने इस विषय

पर विस्तार से विचार करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। बैंकिंग जांच आयोग से प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात हम इस विषय में कुछ ठोस कार्य कर सकेंगे।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में 'नहीं' कहा है। क्या उन्होंने वास्तव में प्रतिवेदन पढ़ा है क्योंकि रिजर्व बैंक ने अपने प्रतिवेदन में इस बात को कोई खास महत्व नहीं दिया है। मन्त्री महोदय ने कैसे इस प्रकार के वक्तव्य पर हस्ताक्षर कर दिए ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप वक्तव्य और प्रश्न के उत्तर को ध्यानपूर्वक देखिए। आपका प्रश्न यह है कि "क्या रिजर्व बैंक के हाल के सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि सबसे अधिक जमा खाते गैर बैंकिंग कम्पनियों में हैं ?" मैंने यह नहीं कहा कि जमा खातों की संख्या नहीं बढ़ी है। आपके प्रश्न का मैंने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है "जी नहीं।"

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : इस शब्द 'नहीं' का क्या अर्थ है। क्या उसका अर्थ यह है कि इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को कोई जानकारी नहीं है अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में जमाखाते जमा नहीं हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कहा है कि इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। सबसे अधिक जमाखाते गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं, इसके उत्तर में मैंने कहा, जी नहीं।

ऋण सुविधाओं के बारे में भारतीय रुई मिल संघ द्वारा दिया गया सुझाव

*1341. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई मिल संघ ने सरकार को सूती कपड़ा मिलों के लिए बेहतर ऋण सुविधाओं तथा अधिक कार्य-पूंजी की व्यवस्था के सम्बन्ध में विशिष्ट सुझाव दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता सम्बन्धी यदि कोई योजना तैयार की गई है, तो वह क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

23 जून, 1971 को भारत वित्त मन्त्री को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में भारतीय रुई मिल संघ (इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन) ने यह बताया कि मिलों के ऋण-सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण, कार्यचालन-पूंजी की उपलब्धि में और कपड़े तथा धागे के उत्पादन में कमी आई है और उनसे रोजगार में भी ह्रास हुआ है। संघ ने अनुरोध किया है कि सूत से निर्मित वस्तुओं के

एवज में दिए जाने वाले अग्रिमों के मार्जिन में कमी की जाए, ऋण सीमाएँ बढ़ाई जाएँ और मिलों और व्यापारियों को कपास के एवज में दिए जाने वाले अग्रिमों पर व्याज की दरों में कमी की जाए और बैंकों द्वारा निर्यात ऋणों पर लिए जाने वाले व्याज की दर को पुनः अधिक से अधिक 6 प्रतिशत किया जाए। बैंकों द्वारा 'बीमार' मिलों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर एककों की स्थिति और ऐसे अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सूती वस्त्रों के एवज में 40 प्रतिशत के अधिक मार्जिन को चलनात्मक आधार पर लागू किया जा रहा है। कपास और सूती वस्त्रों के एवज में बैंकों द्वारा मिलों को दिए जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा नही है और आयातित कपास पर चयनात्मक आधार पर कोई ऋण नियन्त्रण नहीं है। जनवरी, 1971 में बैंक दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किए जाने के फलस्वरूप, बैंक द्वारा निर्यात ऋण पर लिए जाने वाले व्याज की अधिकतम दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है। यह कदम व्याज की दरों के ढांचे में उचित समन्वय लाने की दृष्टि से उठाया गया था। समग्र ऋण नीति की अपेक्षाओं के अनुकूल, भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर ऋण सुविधा की स्थिति की समीक्षा करता रहता है और उनमें उपयुक्त फेर-बदल करता है ताकि सूती मिलों और व्यापार की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें और साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि सट्टेबाजी के लिए जमाखोरी पर कारगर रूप से रोक लगी रहे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने संघ को पहले ही सूचित कर दिया है कि यदि किसी मिल को कोई कठिनाई हो तो ऐसे प्रत्येक मामले की विस्तृत सूचना रिजर्व बैंक को दी जाए।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : सूती कपड़ा उद्योग का जहां तक सम्बन्ध है, मन्त्री महोदय को मालूम है कि 81 से अधिक मिलें बन्द पड़ी हैं और अभी हाल ही में बम्बई और अहमदाबाद में जुपीटर मिल के बन्द होने से 10,000 श्रमिक बेकार हो गए हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि रुई मिल संघ ने मार्जिन में 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की कमी करने का अनुरोध किया है, क्या इसके लिए कुछ उपाय किए गए हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में हम निश्चय ही ठोस कदम उठाना चाहते हैं। मैंने स्वयं रिजर्व बैंक के गवर्नर से इस प्रश्न पर चर्चा की है और उन्होंने वचन दिया है कि मिलों की समस्याओं पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा परन्तु यह कहना बहुत कठिन है कि मार्जिन में सामान्य छूट दी जाएगी। प्रत्येक मामले पर अलग से विचार किया जाएगा। मेरे विचार से उन्होंने छूट देना प्रारम्भ भी कर दिया है।

श्री नरेन्द्र कमार सांधी : मुझे खुशी है कि यह छूट दी जाएगी। मैं तो चाहता था कि प्रत्येक उद्योग को यह सुविधा दी जाती। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान गुजरात के राज्यपाल के उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार को ऋण नीति अधिक उदार बनाने को बाध्य करने के लिए कपड़ा मिलों को बन्द किया जा रहा है। सरकार की इस वक्तव्य के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने स्वयं गुजरात के राज्यपाल से इस समस्या पर बातचीत की थी। उनकी चिन्ता स्वाभाविक है क्योंकि गुजरात में ही कपड़े की सबसे अधिक मिलें हैं। जो बात मैंने सभा में कही है वही बात मैंने गुजरात के राज्यपाल को भी बताई थी।

श्री शिवाजी राव देशमुख : क्या सरकार को यह जानकारी है कि संकटग्रस्त मिलें संकट पैदा करने में सिद्धहस्त है, मिल की राशि, श्रमिकों की भविष्य निधि, खरीदने और बेचने वाले अभिकरणों आदि का पैसा खाने के बाद उनका ध्यान सरकारी धन की ओर जाता है। क्या माननीय मन्त्री जी सहायता देकर उनको अपने कार्य में सहायता देना चाहते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्राचीन कलाकृतियों के व्यापार का विनियमन

*1321. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्राचीन कलाकृतियों का व्यापार विनियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). फिलहाल, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पुरावशेषों का व्यापार विनियमित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, प्रस्तावित "पुरावशेष तथा कलाकृतियां" विधेयक, 1971 में जो शीघ्र ही संसद में पेश किया जाएगा, यह व्यवस्था है कि अधिनियम के लागू होने पर केवल केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अथवा अभिकरण ही पुरावशेषों का निर्यात कर सकते हैं।

अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ द्वारा दिये गए सुझाव

*1326. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के नेताओं ने उनसे जून, 1971 में भेंट

की थी और उन्हें एक ज्ञापन दिया था जिसमें राष्ट्रीयकरण के पश्चात सामान्य बीमा के कार्य को कुशलतापूर्वक चलाने के बारे में अपने सुझाव दिए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) उसमें दिए गए सुझावों पर सरकार ध्यान दे रही है ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा एक प्राईवेट पार्टी को दी गई अग्रिम धनराशि

*1327. **श्री पीलू मोदी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली की एक शाखा ने एक प्राइवेट पार्टी को अनधिकृत रूप से 8 लाख रुपये की अग्रिम धनराशि दी है;

(ख) क्या स्टेट बैंक ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

सोने का चोरी छिपे भारत लाया जाना

*1328. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य का सोना चोरी छिपे भारत लाया जाता है; और

(ख) सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) चूंकि भारत में प्रतिवर्ष तस्कर आयात किये जाने वाले सोने के मूल्य के बारे में सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है इसलिए माननीय सदस्य द्वारा बताए गए आंकड़ों को सही मानना सम्भव नहीं है। फिर भी तस्कर विरोधी उपायों के परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में पकड़े गए सोने का मूल्य निम्नानुसार था :—

वर्ष	मूल्य लाख रुपयों में (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-दर पर)
1966	195
1967	410
1968	333
1969	530
1970	428

(ख) तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रशासनिक, वैधानिक तथा आर्थिक उपाय किये हैं। सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय ये हैं : व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्र करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना; जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात करने का सन्देह है उन पर निगरानी रखना; जिन जहाजों तथा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्र तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की जांच की व्यवस्था। सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में अनन्य रूप से तस्कर विरोधी कार्य के लिए सीमा शुल्क के समाहर्ता, अपर समाहर्ता तथा सहायक समाहर्ता जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात को रोकने तथा उनको रोकने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय के रूप में सीमाशुल्क अधिनियम 1962 को संशोधित करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई है। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा दिए गए औद्योगिक ऋण

*1332. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक ऋणों के रूप में कुल कितनी राशि वितरित की गई;

(ख) उक्त ऋण राशि में एक लाख से कम राशि वाले ऋणों की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) बिरला बन्धुओं के औद्योगिक गृहों को दिए गए ऋणों की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). माननीय सदस्य ने जिस रूप में चाहा है उस रूप में आंकड़े प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है क्योंकि अधिकांश ऋणकर्ताओं के खाते नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट के रूप में मंजूर किये गए चालू खाते होंगे और वितरित राशि की मात्रा के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं होगी।

कोचीन उपमार्ग का निर्माण

*1336. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में कोचीन उपमार्ग के निर्माण और राष्ट्रीय राजपथ के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कुछ प्राक्कलन केन्द्र की स्वीकृत के लिए भेजे थे ; और

(ख) क्या उक्त प्राक्कलनों को स्वीकृति दे दी गई है और यदि हां, तो प्रत्येक योजना के लिए कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) राज्य सरकार से केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए, भूमि अभिग्रहण के लिए कुल मिलाकर 445.24 लाख रुपए के 40 अनुमान प्राप्त हुए थे । मंजूर संरेखण में कोचीन बाहरी मार्ग के लिए भूमि अभिग्रहण के अनुमानों की उससे प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) भूमि अभिग्रहण के लिए कुल मिलाकर 273.05 लाख रु० के 28 अनुमान मंजूर किए गये हैं और कुल मिलाकर 172.19 लाख रु० के शेष 12 अनुमानों की संवीक्षा की जा रही है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 में संशोधन

*1338. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार्टर्ड एकाउंटेंटों में लेखा परीक्षा के कार्य के वितरण का विनियमन करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने हेतु कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटैंट संस्थान से परामर्श किया है ।

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनियों के लेखा-परीक्षा कार्य के कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में अनुचित संकेन्द्रण को रोकने के निर्देश-युक्त अनेक सुझाव परीक्षान्तर्गत हैं; तथा

(ख) इन सुझावों के लिए, संस्थान ने सामान्यतः पहले ही अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर दी हैं ।

एवरो विमानों को उड़ान भरने की मनाही

*1340. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** :
श्री हरिकिशोर सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के आधे से भी अधिक एवरो विमानों को उड़ानें भरने से मना कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विमानों की संख्या कितनी है और उन्हें उड़ानें भरने से रोकने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें प्रयोग में लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) (क) से (ग) : इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में 14 एच० एस०-748 विमान हैं। 1 अप्रैल से 30 जून, 1971 की अवधि के दौरान एच० एस०-748 विमान बेड़े की प्रभावी संख्या 12 थी क्योंकि दो विमान सरकार द्वारा इस विमान के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त तकनीकी समिति को जांच-कार्य के लिए उपलब्ध कराए गए थे। अतः उक्त अवधि के दौरान अधिकांश समय 12 विमानों के बेड़े में से 8 या 9 सेवायोग्य एच० एस०-748 विमान परिचालन के लिए उपलब्ध थे।

जहाजों और टैंकरों को गोदी में खड़ा करने के लिए पत्तन सुविधाएं

*1342. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुल 300000 टन और इससे अधिक भार वाले जहाजों और टैंकरों को गोदी में खड़ा करने के लिए पत्तन सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(ख) क्या सरकार ने नर्मदा के मुहाने के निकट नर्म मिट्टी में चैनल खोदने की संभावना की जांच की है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) सरकार उत्तर-पश्चिम तट पर 200,000 से 300 000 डी० डब्लू० टी० के तेल वाहकों के लिए टर्मिनल सुविधाओं पर विचार कर रही है।

(ख) टर्मीनल का स्थल ऐसा होना चाहिए कि अन्य बातों के साथ किसी पूंजी या अनुरक्षण विकर्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पहुंच मार्गों में रीफ्स, शाल आदि जैसे नौचालन खतरे नहीं होने चाहिएं। जहां तक नर्मदा के मुहाने के समीप स्थल का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र में भारी गाद जमा हो जाने की सम्भावना है। यहां पर कीचड़ के ढेर हैं और गहराई बदलती जा रही है। इसलिए यह स्थल उपयुक्त नहीं समझा गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्राप्त भाषायी प्रयोगशाला उपकरण

*1343. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1963-64 में टी० सी० सी० यू० कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद को लगभग 3 लाख रुपये के मूल्य के भाषायी प्रयोगशाला उपकरण प्राप्त हुए थे;

(ख) उपकरणों को किस-किस प्रोग्राम में लाया गया; और

(ग) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के निदेशक तथा एक्स लैक्चरर भाषायी प्रयोगशाला परियोजना के सिलसिले में रूस भी गए थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद को टी० सी० सी० यू० कार्यक्रम के अधीन 10,140 अमरीकी डालर मूल्य के भाषाई प्रयोगशाला उपकरण प्राप्त हुए थे और इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के प्रांगण में 1965 में लगा दिया गया था।

(ख) इन उपकरणों का उपयोग भाषाई प्रयोगशालाओं में काम करने के लिए तथा भाषाओं की अध्यापन सामग्री तैयार करने के लिए तकनीशियनों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में किया गया है। भारत के विभिन्न भाषाई वर्गों को अंग्रेजी पढ़ाने में भाषाई प्रयोगशाला की प्रभावशालिता का प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया गया।

(ग) जी, नहीं। किन्तु, भारत-सोवियत पाठ्य-पुस्तक बोर्ड की बैठक के सिलसिले में मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि मण्डल, 1969 में रूस गया था और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के एक प्राध्यापक ने भी उक्त बैठक में तथा शिक्षा सम्बन्धी प्रौद्योगिकी के विचार-विनिमय में भी भाग लिया था। उस प्राध्यापक ने अन्य बातों के साथ-साथ, भाषाई प्रयोगशालाओं के क्षेत्र में देश की आवश्यकताओं के बारे में विचार विनिमय में भी भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की सहायता की थी।

देश में नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र

*1344. श्री एन० टौम्बी सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं; और

(ख) विभिन्न राज्यों में उड़ान-प्रशिक्षणार्थियों को किस पद्धति के अनुसार छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). देश के उड़ान शिशिक्षण के लिए सुविधाय प्रदान करने वाले 25 उपदान प्राप्त फ्लाइंग क्लबों के नामों तथा स्थानों को देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है। उपदान स्कीम में सम्मिलित किये गये क्लब प्रतिवर्ष 40,000 रुपये का नियत उपदान तथा समय-समय पर निर्धारित किए गए दरों पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना में कोई छात्रवृति प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है।

विवरण

फ्लाइंग क्लबें

1. आन्ध्र प्रदेश फ्लाइंग, बेगमपेत विमानक्षेत्र, हैदराबाद ।
2. असम फ्लाइंग क्लब, डाकखाना सिलपुखरी, गौहाटी (आसाम) ।
3. बिहार फ्लाइंग क्लब, लि० पटना (बिहार) ।
4. बम्बई फ्लाइंग क्लब, जुहू विमानक्षेत्र, बम्बई-54 ।
5. दिल्ली फ्लाइंग क्लब लि०, सफदरजंग विमानक्षेत्र, नई दिल्ली ।
6. गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, जाकूट विमानक्षेत्र, मेलाहाकी पोस्ट बंगलौर ।
7. गुजरात फ्लाइंग क्लब, हारनी रोड़, बड़ोदा ।
8. हिन्द फ्लाइंग क्लब लि०, 2-ए, जोपलिंग रोड, लखनऊ ।
9. मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लि०, सिविल एयरोड्रोम, इन्दौर ।
10. केरल फ्लाइंग क्लब लि०, सिविल एयरोड्रोम त्रिवेन्द्रम ।
11. नागपुर फ्लाइंग क्लब लि०, सोंनगांव एयरोड्रोम, नागपुर ।
12. मद्रास फ्लाइंग क्लब लि०, मद्रास विमानक्षेत्र, पो० ओ० मद्रास-27 ।
13. नार्दर्न इण्डिया फ्लाइंग क्लब, जालन्धर छावनी ।
14. उड़ीसा फ्लाइंग क्लब लि०, सिविल एयरोड्रोम, भुवनेश्वर ।
15. राजस्थान फ्लाइंग क्लब लि०, जयपुर ।
16. कोयम्बटूर फ्लाइंग क्लब, सिविल एयरोड्रोम पोस्ट, कोयम्बटूर ।
17. पटियाला एवियेशन क्लब, पटियाला ।
18. अमृतसर एवियेशन क्लब, राजा सांसी एयरोड्रोम, अमृतसर ।
19. बनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग एण्ड फ्लाइंग क्लब, बनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान) ।
20. पश्चिमी बंगाल गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, बेहाला, कलकत्ता-34 ।
21. हिसार एवियेशन क्लब, हिसार ।
22. जमशेदपुर को-आपरेटिव फ्लाइंग क्लब लि०, डेंडलो रोड, सोनारी एयरोड्रोम, जमशेदपुर-बिहार ।
23. करनाल एवियेशन क्लब, करनाल ।
24. पूर्वी मध्यप्रदेश फ्लाइंग एण्ड ग्लाइडिंग क्लब लि०, रायपुर ।
25. लुधियाना एवियेशन क्लब, लुधियाना ।

Financial Assistance to Khuda Baksh Oriental Public Library, Patna

* 1345. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance being given to the Khudabaksh Oriental Public Library, Patna by the Central Government every year ;

(b) whether any representative of the Central Government is taken on the Managing Committee of the Library ; and

(c) whether Government have ever examined its working and audited its accounts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) A statement indicating the year- wise grant paid by the Central Government to the Library is laid on the Table of the House.

(b) There are four persons who are nominated by the Central Government on the Khuda Baksh Oriental Public Library Board under Section 5(1)(d) of the Khuda Baksh Oriental Public Library Act, 1969.

(c) No, Sir. The accounts of the Library are being audited annually by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him in this behalf as provided under Sub-section (2) of Section 21 of the Khuda Bakhsh Oriental Public Library Act, 1969.

Statement

Year	Amount of Grant Paid by the Central Government (in rupees)
1962-63	16,000
1963-64	50,500
1964-65	20,000
1965-66	42,000
1966-67	58,000
1967-68	94,570
1968-69	97,579
1969-70	1,24,700
1970-71	1,38,300
1971-72 (Budget Estimates)	1,50,000

In addition to the above grants paid to the Khuda Bakhsh Oriental Public Library, a sum of Rs. 1,25,400 has also been paid (a sum of Rs. 30,000/- in 1965-66, a sum of Rs. 58,000/- in 1966-67 and a sum of Rs. 37,400 in 1968-69) for carrying out additions and alterations to the building.

Upgradation of Cities for Payment of City Compensatory Allowance

* 1346. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Finance be pleased to state ;

(a) the names of the cities upgraded recently for the purpose of City Compensatory Allowance ; and

(b) the number of employees to be benefited as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) :(a) Lucknow, Nagpur, Amritsar, Sholapur, Coimbatore, Jabalpur, Indore and Patna.

(b) According to the latest available report of the census of Central Government employees, which shows the position as on 31st March, 1969, there were about 1,47 000 employees posted in the cities named in part (a) above. The benefits would be available to such of these employees as fulfil the prescribed conditions.

उड़ीसा के लिये अन्तर्देशीय जल परिवहन योजना

* 1347. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **नौवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्यरूप देने के लिए भारत सरकार ने उड़ीसा के लिये कोई अन्तर्देशीय जलपरिवहन योजना स्वीकृत की है, और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं तथा उसके लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने मुन्डाली में जलपाशों मुख्य जलमार्गों और परिचालन व क्वार्टरों के निर्माण कार्य 1.36 करोड़ के अनुमानित लागत पर महानदी नौचालन को सुगम करने के लिए शुरू किया और दिसम्बर 1968 तक 86.13 करोड़ रुपये का व्यय किया। बाद में राज्य सरकार ने इस योजना को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) में शामिल करने की प्रार्थना की। भारत सरकार ने राज्य सरकार को शेष कार्यों को पूरा करने के लिए 50.18 लाख रुपये तक की ऋण सहायता स्वीकार की है ।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा डी० सी०-10, लोकहीड 1011 तथा एयर बस-300 खरीदने का प्रस्ताव

* 1348. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स का डी० सी-10; लोकहीड 1011 तथा एयर बस-300 खरीदने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ये कितनी संख्या में खरीदे जायेंगे तथा उन पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स वर्तमान शताब्दि में अपनी विमान बेड़ा विनायक आवश्यकताओं का अध्ययन कर रही है जिस के इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है। अपेक्षित विमानों की संख्या अथवा प्रकार के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन में दूसरे शिपयार्ड के निर्माण के संबंध में एक विशेष दल का जापान का दौरा

* 1349. **श्री शशि भूषण** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोचीन में दूसरे शिपयार्ड के निर्माण के सम्बन्ध में विशेषज्ञों का एक दल भारत से जापान जायेगा और यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : जी, हां। अधिकारियों के एक दल की पोत अभिकल्प और निर्माण के लिए कार्मिका के प्रशिक्षण और परामर्श से सम्बन्धित विचार-विमर्श के लिए जापान जाने की संभावना है। आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही पूरे हो जाने के बाद जाने की वास्तविक तिथि तय की जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा और उत्थान के लिए केरल सरकार को ऋण

*1350. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केवल राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और उत्थान के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कितनी धनराशि का ऋण दिया, और

(ख) चौथी योजना के दौरान राज्य को इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि के ऋण दिये जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अधीन कोई कर्ज नहीं दिया गया था। जहां तक राज्य क्षेत्र का सम्बन्ध है, केरल सरकार की "अनुसूचित जातियों को मकान बनवाने के लिए ब्याज रहित कर्ज" देने की एक योजना है और उन्होंने 1969-70 में 0.725 लाख रुपए तथा 1970-71 में 0.30 लाख रुपये की धनराशि खर्च की है।

(ख) पिछड़े वर्ग योजना के राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों को मकान बनवाने के लिए ब्याज रहित कर्जे देने की योजना के लिये 2,10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंक प्रभार लगाना

5721. **श्री जदेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लगाये जाने वाले प्रभार में एकरूपता नहीं है ;

(ख) क्या बैंक प्रभार के सम्बन्ध में सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए एक समान नियम बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अलग-अलग बैंकों द्वारा बैंक प्रभार अपने सेवा सम्बन्धी खर्च के अनुभव के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए उन में एकरूपता नहीं है और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लगाये गये प्रभार अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग होते हैं।

(ख) और (ग). बैंकिंग आयोग इस समय जनता तो दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए बैंकों द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूचियों की जांच कर रहा है। आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा इस मामले की जांच की जायेगी।

ऋण पर सेवा शुल्क

5722. **श्री जदेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपभोक्ता ऋण की कुल राशि पर 2 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क लगाया जाता है।

(ख) क्या इस प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपभोक्ता ऋणों पर एक समान दर से सेवा शुल्क नहीं लिया जाता। किन्तु छः राष्ट्रीयकृत बैंक इन ऋणों पर कोई

सेवा शुल्क नहीं लेते जबकि अन्य तीन बैंक ऋण की राशि को देखते हुए 1 रुपये से 100 रुपये तक शुल्क लेते हैं। इनमें से एक बैंकऋण राशि का 1 प्रतिशत शुल्क के रूप में ले लेता है किन्तु शुल्क की राशि कम से कम 10 रुपये अवश्य होती है। शेष चार बैंक 2 प्रतिशत सेवा शुल्क लेते हैं।

(ख) और (ग). यह विषय बैंकिंग आयोग के विचाराधीन है।

विसकोस स्टेपल रेशों पर आयात शुल्क में कमी

5723. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि उद्योग की कठिनाइयों को देखते हुए विसकोस स्टेपल रेशों पर आयात शुल्क को 100 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि यह मामला बजट-प्रस्तावों से सम्बन्धित है, इसलिए इस स्थिति में ऐसे अभ्यावेदन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना सम्भव नहीं है।

विश्व युवक, बंगलौर को वित्तीय सहायता

5724 **श्री के० लकप्पा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों से विश्वयुवक, बंगलौर को कोई वित्तीय सहायता दी है।

(ख) क्या सरकार को सहायता के उपयोग विश्वयुवक, द्वारा की गई अनिमितताओं के बारे में कोई जानकारी मिली है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर में सोना पकड़ा जाना

5725. **श्री के० लकप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसूर राज्य में कितना और कितने मूल्य का विदेशी सोना पकड़ा गया।

(ख) प्रत्येक मामले में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसूर राज्य में गत तीन वर्षों में पकड़े गये सोने की मात्रा तथा इसका मूल्य नीचे बताये गये अनुसार है—

वर्ष	सोने की मात्रा ग्रामों में	मूल्य, रुपयों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर	भारतीय बाजार भाव
1968-69	70,530	5,95,265	8,05,664
1969-70	84,636	7,14,328	14,40,945
1970-71	2,27,530	19,20,353	40,78, 363

(ख) प्रत्येक मामले में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है—

1968-69 5 मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी । 36 मामलों में, प्रत्येक मामले में एक-एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था तथा एक मामले में 2 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

1969-70 10 मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी । 15 मामलों में प्रत्येक में एक-एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था तथा 3 मामलों में प्रत्येक में दो-दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

1970-71 10 मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गईथी । 42 मामलों में एक-एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था तथा 7 मामलों में दो-दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

कनारा बैंक अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितताएं

5726. श्री के० मालन्ना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कनारा बैंक के उच्चाधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की एक सूची कनारा बैंक के कस्टोडियन को हाल ही में प्रस्तुत की गई है ।

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस प्रकार की अनियमितताएं की हैं; और

(ग) क्या सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है। और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). कनारा बैंक के एक अधिकारी ने, जिसके विरुद्ध प्रबन्धक वर्ग ने अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की थी, बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाते हुए बैंक के अभिरक्षक को लिखा है। ये आरोप विदेशी कारोबार, अग्रिम आदि और अन्य विविध मामलों से सम्बन्धित अनियमितताओं और भ्रष्टाचारों के विषय में है, बैंक ने इन आरोपों की जांच कर ली है। बैंक इन आरोपों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके, उपयुक्त कार्यवाही करेगा।

पालम हवाई अड्डे पर राडार सुविधा

5727. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** पालम हवाई अड्डे पर राडार सुविधा के बारे में 1 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8288 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पालम हवाई अड्डे पर राडार सुविधा उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं, और

(ग) किस समय तक राडार सुविधा लागू हो जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). विमानक्षेत्र निगरानी राडार (ए० एस० आर) तथा दूरपरास वायुमार्ग निगरानी राडार (ए० आर० एस० आर०) के लगाये जाने के कार्य के क्रमश: सितम्बर 1971 और दिसम्बर 1971 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

डा० भगवानदास स्मारक न्यास, नई दिल्ली को आयकर भुगतान से छूट

5728. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 एफ, लाजपतनगर, नई दिल्ली-24 स्थित डा० भगवान दास स्मारक न्यास को आय कर में छूट दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो छूट किन आधारों पर दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). आयकर अधिकारी ने 1959 में यह ठहराया कि 1922 के आयकर अधिनियम की धारा 15ख(2) में निहित शर्तें पूरी होती थीं, इसलिए डा० भगवानदास स्मारक न्यास को दिये गये दान धारा 15 स(1) के अधीन कर मुक्त थे। इस प्रश्न की नये सिरे से जांच की जा रही है कि क्या कानून में हुए कुछ परिवर्तनों को देखते हुए उक्त न्यास की आय अभी भी कर मुक्त है।

करों का भुगतान

5729. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 में 29,10,341 करदाताओं में से 50 प्रतिशत से अधिक करदाताओं से पूरे करों की वसूली नहीं की गई; और

(ख) यदि हां, तो क्या करों को वसूल न किये जाने के लिए जिम्मेदारी नियत कर दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अधिकांश निर्धारितियों द्वारा कर की काफी बड़ी रकम अग्रिम कर के रूप में अथवा स्रोत पर काटे गए कर के रूप में अदा की जानी होती है और अदा भी की जाती है, निर्धारितियों द्वारा आयकर विवरणी दाखिल करते समय भी स्व-निर्धारण के आधार पर काफी बड़ी रकम अदा की जानी होती है। किन्तु कर-निर्धारण पूरे हो जाने पर कुछ और कर देय हो जाता है। जब ऐसे कर की निर्धार्यता, कुल मिलाकर, विवादग्रस्त नहीं होती तो निर्धारिती कानून निहित समय के भीतर अथवा आयकर अधिकारी द्वारा अनुमत्य अतिरिक्त समय के भीतर करों की अदायगी कर देते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य कैसे दावा करते हैं कि 50 प्रतिशत निर्धारितियों से उनके पूरे करों की अदायगी नहीं करवाई गई है। ऐसी सूचना जिससे इस दावे का खंडन किया जा सके, तत्काल उपलब्ध नहीं है और ऐसी सूचना इक्ट्ठी करने में बहुत अधिक समय तथा श्रम लगेगा। फिर भी यदि माननीय सदस्य किसी वरिष्ट निर्धारिती के बारे में सूचना चाहते हों तो वह प्रस्तुत की जायगी।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

बकाया करों की वसूली

5730. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करों की बकाया राशि जो 31 मार्च, 1966 को 244.62 करोड़ थी धीरे-धीरे बढ़कर 31 मार्च, 1970 को 591.18 करोड़ हो गई है ;

(ख) क्या अपीलों के निपटान तथा "स्टे आर्डर" दिये जाने के कारण केवल 30 करोड़ रुपये ही बकाया हैं; और

(ग) यदि हां, तो करों को वसूल न किये जाने के अन्य क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जैसा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 1969-70 की रिपोर्ट में बताया गया है, 31 मार्च 1966 को वास्तविक बकाया की रकम 244.67 करोड़ रुपये थी। यह बकाया 31 मार्च 1970 को बढ़कर 591.18 करोड़ रुपये हो गई। किन्तु विभागीय पद्धति से रखे गये हिसाब के

अनुसार, 31 मार्च 1970 को शुद्ध बकाया की रकम 507.91 करोड़ रुपये थी, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है—

(करोड़ रुपयों में)

सकल बकाया मांग		840.69
घटाइये :		
(i) अपील का निपटान होने तक पड़ी बकाया रकम	59.39	
(ii) वे रकमें जिनके लिए आयकर अधिकारी अथवा अन्य आयकर प्राधिकारियों द्वारा, कर की अदायगी के लिए अतिरिक्त समय की मंजूरी दे दी गई है।	23.77	
(iii) अग्रिम कर के अन्तर्गत आने वाली मांग, जिसका समायोजन होना शेष है।	91.48	
(iv) रकम जो अभी देय नहीं हुई	158.14	332.78
		507.91

(ख) जिन अपीलों में स्थगन आदेश दिये गए हैं तथा जिनमें अपीलीय प्राधिकारियों/उच्च-न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर-अदायगी रोक दी गई है, उनके निपटान होने तक, 31 मार्च 1970 की कुल बकाया रकम 59.40 करोड़ रुपये थी। किन्तु, भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक ने वर्ष 1969-70 के लिए 29.70 करोड़ रुपये की रकम को जो 31 मार्च, 1970 को 59.40 करोड़ रुपयों की वास्तविक रकम का 50 प्रतिशत है, तथा जिसके लिए स्थगन आदेश दिया गया है, अपीलों के कारण होने वाली प्रत्याशित घटौती माना है।

(ग) कारण नीचे दिये गये है :—

(1) दोहरे कराधान अथवा अन्य राहतों का फैसला होने तक पड़ी रकम,

(2) जो व्यक्ति भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये हैं, उनकी तरफ बकाया रकम

(3) उन व्यक्तियों की तरफ बकाया रकम जो भारत से अन्य देशों को जा चुके हैं,

(4) समापनाधीन कम्पनियों की तरफ बकाया रकम,

(5) संरक्षणात्मक कर-निर्धारण अर्थात् राजस्व की सुरक्षा के लिए दोहरे कर-निर्धारण किए जाने के अंतर्गत बकाया रकम।

(6) आयकर कम कराने सम्बन्धी याचिकाओं अथवा बट्टे खाते डालने के प्रस्तावों का निपटारा होने तक पड़ी अनिर्णित रकम

(7) ऐसी रकम, जिसकी वसूली की कोई सम्भावना नहीं समझी जाती,

(8) ऐसी रकम जिसके लिए आयकर अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार वसूली के उपाय किए जा रहे हैं तथा तथा जिसके लिए कुछ समय अन्तराल होता है।

नवाब रामपुर के अधिकार में कुल लागत आभूषणों पर लगाए गए धन कर की अदायगी

5731. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान नवाब रामपुर, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली में जमा कराए गए तथाकथित कुल लागत आभूषणों के लिए धन कर देता है;

(ख) क्या नवाब रामपुर ने यह घोषणा की थी कि उक्त आभूषण कुल लागत आभूषण हैं और उस पर धन-कर दिया था; और

(ग) उक्त आभूषण पर नवाब रामपुर को किस आधार पर धन-कर से छूट दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं। वर्तमान नवाब के धन-कर-निर्धारण, निर्धारण-वर्ष 1962-63 से अनिर्णीत पड़े हुए हैं। नवाब ने जो धन-कर विवरणियां दाखिल की हैं उनमें से किसी में कुल लागत जवाहरातों का मूल्य नहीं दर्शाया है क्योंकि धन-कर अधिनियम 1957 की धारा 5 (1) (xiv) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार कुल लागत जवाहरात धन-कर अधिनियम के अधीन किये जाने वाले कर निर्धारण से मुक्त हैं।

(ख) स्वर्गीय नवाब ने उक्त 7 मदों को कुलागत जवाहरात के रूप में घोषित किया था। किन्तु स्वर्गीय नवाब ने अपनी धन-कर विवरणी में उक्त जवाहरातों में से चार कण्ठहारों को कर-योग्य घोषित किया और शेष मदों के लिए धन कर अधिनियम 1957 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (viii) और (xiii) के अधीन छूट का दावा किया। धन-कर अधिकारी ने इस दावे को स्वीकार कर लिया। स्वर्गीय नवाब ने एतदनुसार धन-कर अदा किया।

(ग) धारा 5 (1) (xiv) के प्रथम भाग के अधीन यह छूट इस कारण दी गई थी कि गृह-मंत्रालय ने धन-कर अधिनियम 1957 के लागू होने से पूर्व जवाहरातों को राजवंशी कुलागत जवाहरात के रूप में मान्यता दे दी थी।

यूनिट ट्रस्ट योजना

5732. **श्री देविन्दर सिंह गरचा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट योजना व्यापारी समुदाय और कृषकों को आकर्षित करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना को समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). जी, हां। व्यापारी और किसान, बचतकर्ताओं के उन महत्वपूर्ण वर्गों में नहीं आते, जिन्होंने अपनी रकमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में लगाई हैं। "यूनिटों" के प्रति व्यापारियों की उदासीनता का मुख्य कारण यह है कि वे अपनी बचतें अधिकतर अपने व्यापार और/अथवा कम्पनियों के शेयरों जैसे अधिक लाभप्रद माध्यमों में लगाते हैं, जिनमें पूंजी के बढ़ने की सम्भावनाएं अधिक होती हैं। किसानों के "यूनिटों" के प्रति आकर्षित न होने के दो कारण हैं, अर्थात् (क) निवेश के माध्यम के रूप में यूनिटों का स्वरूप जटिल होता है जिसे छोटे किसान साधारणतया नहीं समझ सकते और (ख) सम्पन्न किसान, जिनके पास बचतों की काफी रकमें होती हैं, अपनी बचतें उर्वरकों, शंकर बीजों, ट्रैक्टरों जैसी कृषि के काम आने वाली वस्तुओं की खरीद पर खर्च करते हैं, जिनसे उन्हें तत्काल लाभ हो सकता है।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूनिटों को समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक हैं और उन्हें आकर्षित करने के लिए समय-समय पर नई योजनायें बनाता रहता है। हाल ही में भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने "बाल उपहार योजना" शुरू की है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने बड़ी संख्या में अभिकर्ताओं की नियुक्ति करके अपने प्रचार और विक्रय प्रोत्साहन प्रयत्नों को भी तेज कर दिया है। ट्रस्ट ने डाकघरों और बैंकों की शाखाओं में यूनिटों की बिक्री की व्यवस्था कर रखी है और अब, बैंक-रहित तथा कम बैंकों वाले क्षेत्रों में बैंकों के शाखा-विस्तार कार्यक्रम के तेज हो जाने के परिणामस्वरूप, देश के पिछड़े और देहाती इलाकों में यूनिटों की बिक्री में वृद्धि होने की आशा है।

नवाब रामपुर की मूल्यवान सम्पत्ति

5734 **श्री जुल्फिकार अली खाँ** : क्या वित्त मन्त्री 2 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3702 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नवाब तथा बेगम, रामपुर के आभूषणों के अपमूल्यन के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन आभूषणों का पुनर्मूल्यन कराने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं जिनमें यह सुझाया गया है कि जवाहरात का मूल्य कम आंका गया है, लेकिन आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई विशिष्ट सामग्री अभी तक नहीं दी गई है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

रामपुर के नवाब की मूल्यवान सम्पत्ति

5735. **श्री जुल्फिकार अली खां** क्या वित्त मन्त्री रामपुर के नवाब की मूल्यवान सम्पत्ति सम्बन्धी 2 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3679 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार रामपुर के नवाब के कुलागत आभूषणों के मूल्य आंकने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) (xiv) के प्रथम भाग के उपबन्धों के अन्तर्गत, चूंकि जवाहरात को छूट मिली हुई है, इसलिए सामान्यतः इसके मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती। तथापि, जवाहरात के बदले जाने के बारे में लगाए गए कतिपय आरोपों के कारण, मामले पर विचार किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए ऋण

5736. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा 1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1971 तक निम्नलिखित वर्गों के समवायों को (राज्य-वार) कितना ऋण दिया गया ?

(1) प्राइवेट लिमिटेड समवाय

(2) सरकारी क्षेत्र के उद्योग

(3) सरकारी उपक्रम

(4) मकानों तथा होटलों के निर्माण के लिए

(5) विकास कार्यों के लिए नगर निगमों तथा अन्य ऐसे निकायों को ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

(रकम लाख रुपयों में)

(i) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां	—कुछ नहीं
(ii) सरकारी क्षेत्र के उद्योग	—कुछ नहीं

(iii) सहकारी उपक्रम :

राज्य का नाम	1968-69	1969-70	1970-71
गुजरात	5 77	39.00	61.62
महाराष्ट्र	13.15	58.73	84.24
मैसूर	20.00	20 00	60.00
राजस्थान	—	35.00	2.50
तमिल नाड्डु	15.35	—	—
उत्तर प्रदेश	—	—	20.00
	54.27	1,52.73	2,28.36

(iv) मकानों तथा होटलों के निर्माण के लिए :

(क) राज्य सरकारें और अपेक्स को-आपरेटिव हाउस फाइनेंस सोसाइटीज

राज्य का नाम	1968-69	1969-70	1970-71
आन्ध्र प्रदेश	1,00.00	1,20.00	1,20.00
असम	—	20.00	15.00
बिहार	—	1,10.00	60.00
दिल्ली	1,00.00	1,00.00	1,00.00
गोआ	—	—	30.00
गुजरात	8,20.00	10,35.00	10,10.00
हरियाणा	40.00	50.00	50.00
जम्मू व कश्मीर	20.00	50.00	30.00
केरल	65.00	75.00	75.00
मध्य प्रदेश	50.00	55.00	55.00
महाराष्ट्र	6,50.00	6,50.00	8,50.00
मैसूर	1,10.00	1,20.00	1,10.00
उड़ीसा	1,20.00	1,10.00	1,10.00
पंजाब	80.00	80.00	85.00
राजस्थान	60.00	80.00	80.00
तमिल नाड्डु	2,30.00	1,95.00	3,02.00
उत्तर प्रदेश	1,00.00	1,00.00	1,00.00
पश्चिमी बंगाल	1,35.00	1,00.00	1,75.00
	26,80.00	30,50.00	33,57.00

(ख) मकानों के निर्माण के लिए अपने घर के मालिक बन योजना तथा बन्धक योजनाओं के अन्तर्गत व्यक्तियों अथवा निकायों को दिए गए ऋण ।

1968-69	1969-70	1970-71
6,36.04	4,74.20	5,05.00

(राज्यवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।)

1. होटलों के निर्माण के लिए अभी तक कोई ऋण मंजूर नहीं किए गए हैं ।

(v) नगर निगम, नगर पालिकाएं आदि

राज्य का नाम	1968-69	1969-70	1970-71
आन्ध्र प्रदेश	—	—	14.95
गुजरात	40.42	23-31	23.89
हरियाणा	—	31.38	—
केरल	52.00	—	2,53.40
मध्य प्रदेश	—	—	16.70
महाराष्ट्र	85.82	65.70	1,62.29
मैसूर	40.00	35.00	63.66
उड़ीसा	—	54.18	—
पंजाब	98.00	2.00	—
राजस्थान	1,02.63	1,19.33	1,49.83
तमिल नाड्डु	—	1,92.33	2,70.78
उत्तर प्रदेश	—	—	1,65.76
	4,18.87	5,23.23	11,21.26

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋण

5737, **श्री रोबिन ककोटि** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1971 के अन्त तक निम्नलिखित वर्गों को (राज्य-वार) कितना ऋण दिया गया :

(1) औद्योगिक परियोजनाएं

(क) सरकारी औद्योगिक परियोजनाएं

(ख) सहकारी परियोजनाएं

(ग) गैर-सरकारी औद्योगिक परियोजनाएं

(2) कृषि परियोजनाएं

(3) गृह निर्माण परियोजनाएं

(4) होटल निर्माण परियोजनाएं

(5) अन्य परियोजनाएं

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

पूना के भारतीय उष्ण कटिबन्धीय संस्थान द्वारा नए तरीके की खोज

5738. **श्री देविन्दर सिंह गरचा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच के वायुमण्डल का पता लगाने के लिए पूना के भारतीय उष्ण कटिबन्धीय संस्थान द्वारा नए तरीके की खोज की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन तरीकों का लाभ क्या है और क्या यह तरीका लागू किया जा चुका है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। 30 और 70 किलोमीटर के बीच के वायु मण्डल में तापमान और वायु की स्थिति के बारे में सूचना प्रदान करने वाले राकेट सान्दे नामक इस साधन का वहन एक राकेट द्वारा किया जाएगा । इस साधन का प्रयोग थुम्बा पर इसके वहन के लिए एक उपयुक्त राकेट-वाहक उपलब्ध हो जाने पर प्रारम्भ किया जाएगा ।

छोटे शिल्पियों को ऋण के बारे में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अध्ययन

5739. **श्री देविन्दर सिंह गरचा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बैंकिंग आयोग के कहने पर पंजाब में छोटे शिल्पियों को ऋण के बारे में हाल में अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सर्वेक्षण बैंकिंग आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की शृङ्खला की ही एक कड़ी है और प्रत्येक केन्द्र पर नमूने का आकार बहुत छोटा है । बैंकिंग आयोग इस समय अखिल भारतीय आधार पर निकाले गये निष्कर्षों का अध्ययन कर रहा है । बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट दिसम्बर, 1971 के अन्त तक मिल जाने की आशा है ।

बच्चों के लिए कल्याणकारी सेवाएं

5740. **श्री देविन्दर सिंह गरचा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के लिये कल्याणकारी सेवायें बढ़ाने को प्राथमिकता देने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० राव स्वामी) : (क) जी, नहीं । बच्चों के लिए सभी समाज कल्याण योजनाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

कोचीन शिपयार्ड पर निर्माण कार्यक्रम

5741. **श्री देविन्दर सिंह गरचा** :
श्री शशिभूषण :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी विशेषज्ञों के एक दल ने हाल में इस देश का दौरा किया था और कोचीन शिपयार्ड के निर्माण कार्यक्रम के बारे में उनसे बातचीत की थी, और

(ख) यदि हाँ, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मैसर्स मित्सुबिशि हैवी इण्डस्ट्रीज के जापानी विशेषज्ञों का एक दल हाल ही में भारत आया और कोचीन में कोचीन शिपयार्ड परियोजना के अधिकारियों और नई दिल्ली में भारत सरकार के अधिकारियों से बातचीत की। दल शिष्टाचार के नाते मुझसे भी मिला। विचार विमर्श में शिपयार्ड के अभिकल्प और निर्माण कार्यों में आज तक हुई प्रगति की संवीक्षा पोत निर्माण के कार्मिकों के प्रशिक्षण और शिपयार्ड में प्रथम पोत के निर्माण में मैसर्स मित्सुबिशि हैवी इण्डस्ट्रीज के सहयोग के लिए प्रारम्भिक विचारों का विनिमय शामिल है।

रामपुर की बेगम के बहुमूल्य जवाहरात

5742. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या **वित्त** मन्त्री रामपुर की बेगम के बहुमूल्य जवाहरात के बारे में 9 जुलाई, 971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4358 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने जवाहरात जब्त किये गये थे तथा उनका मूल्य कितना था; और

(ख) क्या ये जवाहरात अभी भी सरकार की सुरक्षा में हैं अथवा उनको वापस कर दिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार द्वारा कोई वस्तु अथवा जवाहरात जब्त नहीं किये गये हैं।

(ख) जवाहरात की ये मदें रामपुर की बेगम और आयकर अधिकारी दोनों के संयुक्त नामों में अभी भी बम्बई के एक बैंक में जमा हैं।

पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन का गिरता स्तर

5743. **श्री रोबिन ककोटि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन के गिरते स्तर पर विचार करने हेतु पर्यटन निदेशकों की एक बैठक पूर्वी क्षेत्र कलकत्ता में हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटन के गिरते स्तर के कारणों के सम्बन्ध में उनके क्या निष्कर्ष हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री कर्णसिंह) : (क) जी, हां। इन निदेशकों की बैठक कलकत्ता में 2 और 3 जुलाई, 1971 को हुई।

(ख) इन निदेशकों ने पर्यटन के स्तर में ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति के जो कारण उल्लिखित किए वे अग्रताक्रमानुसार निम्नलिखित हैं :--

(1) कलकत्ता के चित्र को धूसरित करने वाला प्रतिकूल प्रचार ।

(2) कलकत्ता में, जो कि पूर्वी क्षेत्र के लिए पर्यटक विकिरण केन्द्र है, कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सम्भाव्य पर्यटकों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आशंका की भावना ।

(3) महामारी के रूप में हैजा फैलने के हाल के समाचार ।

(4) नेपाल में पर्यटन के विकास से, जिसके लिए बैंकाक तथा ढाका से सीधी विमान उड़ानें उपलब्ध हो गई हैं, पूर्वी भारत के यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(5) प्रतिबन्धित प्रवेश-पत्र ।

(6) संचार साधनों में कठिनाइयाँ ।

(7) पूर्वी क्षेत्र में रोचक स्थानों के लिए पर्याप्त प्रचार का अभाव ।

(8) दूरवर्ती क्षेत्रों में होटल-आवास-स्थान तथा विश्वसनीय परिवहन का अभाव ।

आसाम के लखीमपुर बाढ़ग्रस्त जिले के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए सहायता

5744. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के लखीमपुर जिले, जिस पर हाल ही की बाढ़ का बहुत प्रभाव पड़ा था, के लोगों के लिए कोई धन राशि मंजूर की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). अभी तक असम राज्य सरकार की ओर से, असम में बाढ़ सहायता सम्बन्धी व्यय के लिए, केन्द्रीय सहायता देने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

आसाम में पर्यटन केन्द्रों के विकास की योजनाएं

5745. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 से 1971 के दौरान आसाम सरकार ने राज्य में पर्यटन केन्द्रों के विकास हेतु कोई योजनाएं प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई; और

(ग) स्वीकृत राशि में से आसाम सरकार ने कितनी राशि व्यय की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। आसाम सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में तीन पर्यटक बंगलों, अर्थात् काज़ीरंगा, गौहाटी तथा मानस में प्रत्येक स्थान पर एक-एक बंगले का निर्माण करने के लिए कहा था। परन्तु, राज्य सरकार ने हाल ही में 78 लाख रुपये की लागत की कई स्कीमों का उल्लेख किया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने काज़ीरंगा वन्य जीव शरणस्थान के विद्युतीकरण की योजना को स्वीकृति दे दी थी जो कि 70,335/-रुपये की लागत से 1968-69 में पूरी हो गयी थी। चौथी योजनावधि में निम्नलिखित स्कीमों को हाथ में लेने का प्रस्ताव है :—

1. काज़रंगा में एक पर्यटक बंगले का निर्माण।

2. काज़ीरंगा में 86,000/- रुपये की लागत से दो मिनी बसों की व्यवस्था।

(ग) पर्यटन स्कीमों के लिए राज्य क्षेत्र में चौथी योजना के अंतर्गत 34 लाख रुपये का विनियतन किया गया है।

बजट में की गयी व्यवस्था तथा व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	बजट व्यवस्था	व्यय
1968-69	4,35,000 रुपये	2,78,907 रुपये
1969-70	8,11,537 रुपये	5,14,798 रुपये
1970-71	8,32,310 रुपये	5,26,092 रुपये

Funds for Industrial Development

5746. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry have requested Government to earmark more funds for the financial institutions to provide financial assistance to the private industry for industrial development; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). No. Sir. The resources at present available with the financial institutions are sufficient to take care of the demands for financial assistance received from industrial concerns in the private sector.

अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद समारोह के लिये दल

5747. **श्री आर० कडनापल्लो** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमेच्योर ऐथेलेटिक फैडरेशन आफ इन्डिया ने चालू वर्ष में चार अन्तराष्ट्रीय खेलकूद समारोह में दल भेजने का निर्णय किया था,

(ख) यदि हां, तो कब और किन देशों को, और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता दी जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). भारतीय एमेच्योर एथेलेटिक संघ ने निम्नलिखित खेलों में भाग लेने के लिए टीमें भेजने का निर्णय किया है :—

(1) 26 जुलाई से 1 अगस्त, 1971 तक तेहरान में होने वाले ईरान ट्रेक एण्ड फील्ड टूर्नामेंट ।

(2) कौला ट्रेनग्यनु में मलेशियन चैम्पियनशिप, 5 से 8 अगस्त, 1971

(3) 13 से 15 अगस्त, 1971 तक सिंगापुर में मुक्त चेंम्पियनशिप और

(4) 3 से 12 सितम्बर, 1971 तक पश्चिम जर्मनी में होने वाले दबरियन एथेलेटिक टैस्ट प्रतियोगिता ।

(ग) उपरोल्लिखित टीम सं० (1), (2) और (3) को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है । उपरोक्त संख्या (4) का मामला विचाराधीन है ।

भुवनेश्वर में भौतिक विज्ञान संस्थान

5748. **श्री पी० के० देव** :

श्री अर्जुन सेठी :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भुवनेश्वर में भौतिक विज्ञान संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की है और यदि हाँ, तो इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) संस्थान कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). भुवनेश्वर में भौतिक-विज्ञान संस्थान शुरू करने के उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सितम्बर, 1970 में हुई अपनी बैठक में विचार किया था। आयोग ने भौतिक विज्ञान में अध्यापन और अनुसंधान को सुदृढ़ करने की आवश्यकता और महत्ता को स्वीकार किया और यह इच्छा प्रकट की कि विशेषज्ञ समिति द्वारा उत्कल विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के परामर्श से, इस मामले की जांच की जाए।

विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है और समिति के भुवनेश्वर के दौरे के कार्यक्रम को, राज्य सरकार के परामर्श से, अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

Schemes Formulated by Nationalised Banks for the Benefit of Journalists

5749. **Shri Jagannath Misra** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the schemes formulated by various nationalised banks to make the journalists self-reliant and to enable them to purchase press, typewriters, photo cameras, duplicating machines, paper etc. to run their independent business ;

(b) the number of journalists benefited thereby so far ; and

(c) whether Government propose to provide more facilities in this regard for this regard for the development of independent journalism ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan): (a)to(c). The nationalised banks have not introduced any scheme specially for financing journalists. The banks have, however, introduced schemes for providing financial assistance to professional and self-employed persons. Under these schemes credit facilities can be availed of by the journalists to acquire equipment for professional use. Separate data about the advances made to the journalists are not maintained by the banks. As regards details of scheme for self-employed professionals - Hon'ble Member's attention is invited to the reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 638 answered on 28th May, 1971. Government's policy is to encourage all productive viable schemes which can be taken up in the self-employment and professional sectors.

गोआ के रास्ते तस्करी

5750. **श्री इराज्यु द सेकैरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार पत्रों में छपे इन समाचारों का पता है जिनमें यह कहा गया है कि गोआ से होकर बड़े पैमाने पर तस्करी होती है ;

(ख) क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) समाचार-पत्रों में छपी ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार की जानकारी में नहीं आयी है जिनमें इस आशय का आरोप हो कि गोआ से होकर बड़े पैमाने पर तस्कर आयात-निर्यात होता है ।

माल के तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिए सरकार विभिन्न उपाय करती रही है और इन उपायों के परिणामस्वरूप गोआ में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में पकड़े गये माल का मूल्य नीचे बताये गये अनुसार था :—

वर्ष	पकड़े गए माल का मूल्य
	(लाख रुपयों में)
1968	23.4
1969	17.9
1970	18.2

हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, मनाली द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

5751. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, मनाली, ने विदेशी मुद्रा अर्जित करनी आरम्भ कर दी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : जी हाँ संस्थान ने विदेशी यात्रियों के पैदल सैर और चढ़ाई की व्यवस्था कर के कुछ अल्प विदेशी मुद्रा अर्जित की है ।

उद्योगों में विकास छूट जारी रखने के लिए अखिल भारतीय निर्माता संगठन के प्रस्ताव

5752. **श्री पी गंगादेव** :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संगठन ने केन्द्र सरकार से मई, 1964 के बाद भी नए उद्योगों की स्थापना हेतु विकास छूट देना जारी रखने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय निर्माता संगठन की कार्यकारी समिति ने कहा है कि उद्योगों के आधुनिकरण, विस्तार तथा उन्हें राहत देने के लिए कई अन्य देशों में भी विकास छूट दी जाती है, और

(ग) यदि हां; तो क्या सरकार ने इन मामलों पर विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). जी, हां ।

ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस

5753. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की कुछ नई पार्टियों को भी अमरीका, पश्चिमी यूरोप और जापान के सहयोग से भारत में ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए आशय पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं और उन्हें विश्व बैंक के टेंडर के लिए "कोटेशन" भेजने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि उन्हें 50 प्रतिशत आयातित पुर्जों के लिए "कोटेशन" भेजने की अनुमति नहीं दी गई है जबकि उन्हें 50 प्रतिशत देशी पुर्जों से ट्रैक्टर बनाने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) क्या कारण है कि विश्व बैंक ऋण का उपयोग 50 प्रतिशत आयातित पुर्जों से ट्रैक्टर बनाने के लिए करने के स्थान पर 100 प्रतिशत पूरी तरह से बने हुए ट्रैक्टरों के लिए नहीं किया जाता है जिसके देशी पुर्जों को लेकर शेष 50 प्रतिशत से हमारे बेरोजगार इंजीनियरों को काम देने के उपयोग में लाया जा सके ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से, जो विश्व बैंक से सम्बद्ध एक संस्था है, सहायता प्राप्त कृषि ऋण प्रायोजनाओं के लिए ट्रैक्टर प्राप्त करने के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गयी है, उसके अनुसार, विश्व बैंक के सदस्य देशों और स्विटजरलैंड के उन सम्भरकों से कोटेशन प्राप्त किये गए है । जिन्होंने भारत में ट्रैक्टरों के निर्माण की सुविधाओं की स्थापना कर रखी है या जिन्होंने भारत में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए भारत सरकार से आवश्यक मंजूरी ले रखी है ।

(ख) और (ग). देशी उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाने के उद्देश्य से, निर्माताओं को अर्ध-संयोजित और आंशिक रूप से संयोजित ट्रैक्टर पैकों के आयात की सुविधाएं पहले से ही दी जा रही हैं ताकि वे अधिकतम देशी कल पुर्जों से ट्रैक्टरों के अपने नियमित उत्पादन के अतिरिक्त, निर्माण और संयोजन की अपनी बची हुई क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग कर सकें । चूंकि इस सुविधा के बावजूद, देश के अन्दर होने वाला उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता के अन्तर्गत तथा अन्य स्रोतों से आयात का प्रबन्ध करना आवश्यक हो गया है ।

कूच बिहार हवाई अड्डे पर कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

5754. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच विहार हवाई अड्डे पर काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारी अनियमित श्रमिक हैं और उनको नियमित कर्मचारी के रूप में निगम में शामिल करने सम्बन्धी अभ्यावेदन लम्बी अवधि से अनिर्णीत पड़ा है ।

(ख) कूच बिहार हवाई अड्डे पर ऐसे अनियमित कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या मंत्रालय ने उनको नियमित कर्मचारियों में रखने का निर्णय कर लिया है, और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं, और

(घ) क्या कूच विहार हवाई अड्डे पर काम कर रहे अनियमित श्रमिकों को निगम द्वारा मंजूर की गई दरों से कम वेतन दिया जाता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) कुली 4 स्वीपर 2

चपरासी 1 रात का चौकीदार 1

(ग) कूच बिहार के लिए विमान सेवाएं सप्ताह में तीन बार परिचालित होती हैं । आकस्मिक कर्मचारियों की विमानों के आगमन तथा प्रस्थान के समय कार्य के लिए अंशकालिक आधार पर आवश्यकता होती है । उन दिनों में भी इन कर्मचारियों की पूर्णकालिक आवश्यकता नहीं होती । इसलिए इण्डियन एयरलाइन्स का उपर्युक्त कर्मचारियों को अपने नियमित कर्मचारी वर्ग में लेने का कोई विचार नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

इंडियन एयरलाइंस में जूनियर ट्रैफिक असिस्टेंटों की भर्ती

5755. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइंस के कलकत्ता स्थित पूर्वी खंड के मुख्यालय में 1969 में प्रकाशित किए गए जूनियर ट्रैफिक असिस्टेंटों के पद के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों से 1970 में दोबारा साक्षात्कार किया गया था और क्या अन्तिम चयन किये जाने के पश्चात भर्ती करने के लिए कोई तालिका तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आवेदकों के नाम इस पद के लिए तालिका में शामिल किए गए हैं ;

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आवश्यक कोटे को पूरा करने के लिए तालिका सूचि में दिए गये अभ्यर्थियों कब तक भर्ती कर लिया जायेगा ; और

(घ) भर्ती में विलम्ब किये गये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 26 अनुसूचित जाति के तथा एक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का एक पेनल बनाया गया था । इसमें से बीस अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को नियुक्त किया जा चुका है । अनुसूचित जाति के तीन उम्मीदवारों ने जिन्हें कि नियुक्ति के प्रस्ताव भेजे गये थे, कार्य ग्रहण नहीं किया । अनुसूचित जाति के अन्य तीन उम्मीदवार अभी पेनल में हैं जो कि फरवरी, 1972 तक वैध है ।

(ग) अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां भर दी गई हैं । अनुसूचित जन-जाति के लिए रिक्तियां प्रारक्षित हैं । इण्डियन एयरलाइन्स ने अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है ।

(घ) उम्मीदवारों के चयन एक लिखित परीक्षा तथा उस लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने के पश्चात किया जाता है । सामान्यतया कुछ समय लग जाता है क्योंकि उम्मीदवारों की उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच करनी होती है । इस बार, चयन के स्तर में ढील देने के बाद एक से अधिक बार साक्षात्कार कर के अनुसूचित जाति के कई उम्मीदवारों को पेनल में लेने के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप और अधिक देरी हो गई ।

अफीम और पीनक लाने वाले पदार्थों पर उत्पादन शुल्क

5756. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को अफीम और पीनक लाने वाले पदार्थों पर लगे उत्पादनशुल्क/उनके ठेकों पर लगाई गई बोली से (वर्षवार) कुल कितनी आय हुई ।

(ख) देश में इन पदार्थों के आदी व्यक्तियों की संख्या लगभग कितनी है ।

(ग) पीनक लाने वाले पदार्थों के आदी व्यक्तियों को सुधारने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(घ) क्या सरकार का विचार उनके उपयोग पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का है और यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध अफीम की खेती, निर्माण तथा निर्यात के लिए उसके विक्रय से है। राज्य सरकारें अफीम तथा अन्य मादक वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करती हैं। माँगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

(ख) तथा (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बम्बई में रेजगारी व्यापारी गिरोह

5757. **श्री बालतन्दीयुतम :**

श्री पी० ए० स्वामिनाथन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सप्लाई की जाने वाली रेजगारी को गायब करने के लिये रेजगारी व्यापारियों का एक गिरोह है जिसका उद्देश्य करैन्सी नोटों के बदले इसकी सप्लाई को बाजार भाव को बढ़ा देना है, और

(ख) यदि हां तो इस गिरोह की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). फरवरी, 1971 से शुरू होने वाले तीन महीनों के दौरान, जब रिजर्व बैंक ने बम्बई में अपने मुख्य कार्यालय में काउंटरों पर प्रति व्यक्ति 350 रुपये के मूल्य के छोटे सिक्के देने शुरू किए थे, तब उसे यह पता चला था कि छोटे सिक्के प्राप्त करने के लिए विनिमय काउंटरों पर प्रायः प्रतिदिन एक जैसे व्यक्ति पहुंच जाते थे और यह भी देखा गया कि वे लोग विभिन्न काउंटरों पर कतारों पर बार-बार खड़े होकर अधिक से अधिक सिक्का प्राप्त करने की चेष्टा किया करते थे। ऐसा सन्देह करने का कुछ आधार था कि कुछ लोग रिजर्व बैंक द्वारा सप्लाई किए जा रहे छोटे सिक्कों का व्यापार कर रहे हैं। इस कारण से और देश के भीतरी भागों में छोटे सिक्कों के डिपुओं की जरूरतों को पूरा करने से सम्बद्ध अन्य कारणों से रिजर्व बैंक ने काउंटरों पर छोटे सिक्कों की सप्लाई की राशि घटाकर प्रति व्यक्ति 52.50 रुपया कर दी है।

बांगू और सुगनू पुलों के पूरा होने से विलम्ब

5758. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर नदी पर बांगू और सुगनू पुलों के पूरा होने में काफी समय से हो रहे विलम्ब के कारण आम जनता को बहुत असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुलों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन दोनों पुलों के पूरा होने में किन कारणों से विलम्ब हुआ है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मणिपुर में बांगू और सुगनू पुलों के पूरे होने में विलम्ब इस कारण से है कि इन दो पुलों के ठेकेदारों ने मध्यस्थता निर्णय की मांग की है और कार्य को अधूरा छोड़ दिया है । इन दो पुलों के ठेके रद्द कर दिए गए हैं और शेष कार्य के लिए मणिपुर राज्य फिर से निविदाएं आमन्त्रित कर रहा है ।

नम्बुल नदी पर पुल

5759. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नम्बुल नदी पर खवैरामबन्द बाजार और नामोरेम थोंग के बीच मोटर का पुल के न होने के कारण नदी के दोनों तरफ के लोगों को काफी असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुल के निर्माण के लिए केन्द्र के प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कब आरम्भ होगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग). जी, नहीं। नम्बुल नदी के ऊपर एक मील की दूरी पर मोटर चलने योग्य दो पुल हैं, (1) खवैरामबन्द बाजार पर और (2) नावरेमथोंग पर। इसके अलावा खवैरामबन्द बाजार और नावरेमथोंग के बीच नम्बुल नदी के ऊपर पैदल यात्रियों के लिए दो झूला पुल हैं। भारत सरकार को पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है ।

मनीपुर में थुम्बुयोंग पुल का निर्माण

5760. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार इम्फाल नदी के दाहिने किनारे के धंस जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने को ध्यान में रखते हुए नए स्थान पर थुम्बुयोंग पुल का निर्माण करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो चुने हुए स्थान पर निर्माण कब आरम्भ हो जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). नई जगह पर थुम्बुयोंग पुल के निर्माण के लिए मणिपुर सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं

है । वर्तमान पुल के पीलपायों और पहले दो पाये झुक गए थे जिससे दाहिने किनारे से पहली तीन पटियों पर असर पड़ा । किये जाने वाले मरम्मत पर मणिपुर सरकार जांच कर रही है । परन्तु पुल मोटर गाड़ियों द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा है और यातायात अस्त-व्यस्त नहीं हुआ है और न ही जनता को कोई असुविधा हो रही है ।

Grants to Research Centre for the Handicapped Persons in New Delhi

5751. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will be minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount of grants given by Government to the Research Centre for the Handicapped Persons functioning in Rouse Avenue, New Delhi during the financial years 1968-69, 1969-70 and 1970-71, year-wise ;

(b) the amount of grants demanded by the centre from Government during the said period; and

(c) the amouut of grant demanded during the financial year 1971-72 and the amount Sanctioned by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy): (a) to (c). Grants given and demanded by the Jawaharlal Nehru Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Rouse Avenue, New Delhi, is given in the attached statement.

Statement

Statement showing the amount of the grant demanded and sanctioned by the Government to the Jawaharlal Nehru Institute of Physical Medicine and Rehabilitation Rouse Avenue, New Delhi during 1968-69, 1969-70, 1970-71 and 1971-72 (So far).

(A)

Year	Grant given by Government of India	Grant given by the Delhi Administration
1968-69	1,42,896.00	1,24,000.00
1969-70	1,89,885.70	1,14,868.00
1970-71	2,49,789.29	1,16,140.00

(B)

Year	Amount demanded from Government of India	Amount demanded from Delhi Administration
1968-69	6,40,629.15	3,07,470.00
1969-70	4,71,568.70	3,66,969.00
1970-71	1,66,589.29	3,85,972.00

(C)

Year	Government of India		Delhi Administration	
	Amount demanded	Amount sanctioned	Amount demanded	Amount sanctioned
1971-72 (so far)	95,872.31	50,000.00	4,05,354.75	38,400.00

Doctors working in the Research Centre for Handicapped, New Delhi

5762. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of Doctors and Assistant Doctors working in the Research Centre for the Handicapped, Rouse Avenue, New Delhi ; and

(b) the number of patients admitted in the said Centre as also the number of persons treated as outdoor patients there during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) The Jawaharlal Nehru Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, located in Rouse Avenue, New Delhi, has no research activities at present. They employ 13 part-time Doctors and 19 Physio-therapists and Occupational-therapists.

(b) The number of resident inmates and out-door patients during the last three years was as follows :—

Resident Inmates :

Year	Number
1968-69	172
1969-70	176
1970-71	178

Out-door Patients :

Year	Number
1968-69	4490
1969-70	4496
1970-71	4528

अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना

5763. **श्री आर० कडनापल्ली :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का एक ग्रुप अमरीका भेजने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण के कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही प्रशिक्षण दिये जाने की कोई विशेष योजना नहीं है ।

विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों समेत विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के अधिकारी अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजे जाया करते हैं ।

दि इण्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया का प्रबन्ध बोर्ड

5764. **डा० रानेन सेन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (दि इण्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इण्डिया) नामक संस्था के प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : निम्नलिखित व्यक्ति भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के प्रथम निदेशक मण्डल के सदस्य हैं :—

1. श्री बी० बी० घोष,
   पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के
   भूतपूर्व प्रधान सलाहकार ।

2. श्री वी० वी० चारि,
उप-गवर्नर,
भारतीय रिजर्व बैंक ।

3 श्री एच० टी० पारेख,
उपाध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक,
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ।

4. श्री सी० डी० खन्ना,
अध्यक्ष,
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ।

5. श्री आर० बी० शाह,
अभिरक्षक, यूनाइटिड कमर्शियल बैंक ।

6. श्री बी० के० दत्त,
अभिरक्षक, यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया ।

7. श्री अभिजित सेन,
निदेशक,
सेन-रेले लिमिटेड ।

8. श्री एस० एन० हाडा,
निदेशक,
न्यू स्वदेशी मिल्स आफ अहमदाबाद लिमिटेड ।

9. श्री सी० टी० दास,
प्रबन्धक निदेशक,
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ।

Loans given by Nationalised Banks in Madhya Pradesh

5765. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of branches of Nationalised Banks opened in Madhya Pradesh so far ;

(b) the names of the small, medium and large scale industries which have been advanced loans by each nationalised bank upto the 30th April, 1971, together with the amount of loans advanced to each type of industry ; and

(c) the ratio of amounts of loans distributed in urban and rural areas ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) There were 263 offices of nationalised banks in Madhya Pradesh on 31st March 1971. Of these, 103 were opened between July 1, 1969 and March 31, 1971.

(b) and (c). Information, relating to small, medium and large scale industries as available with the banks, is being collected and will be laid on the table of the House.

Payment of Central Sales-tax by J. K. Synthetics, Kota

5766. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether M/s J. K. Synthetics, Kota is exempted from payment of Central Sales-Tax and if so, the reasons therefor; and

(b) if not, the amount of Central Sales-Tax paid to Government by this concern during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) M/s. J. K. Synthetics, Kota have not been exempted from payment of Central Sales-Tax.

(b)	1968-69	Rs. 443852.95
	1969-70	Rs. 45898.58
	1970-71	Rs. 91538.59

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खाद्यान्न का लक्ष्य न प्राप्त करने के सम्बन्ध में विश्व बैंक का प्रतिवेदन

5767. **श्री अमरनाथ चावला :**

श्री सी० जनार्दनन :

श्री देविन्दर सिंह गरचा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने इस महीने के आरम्भ में अपने एक प्रतिवेदन में, भारत द्वारा चौथी योजना के अन्त तक खाद्यान्न का 1290 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया है;

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विश्व बैंक ने अपनी शंका के समर्थन में क्या मुख्य विचार व्यक्त किये हैं; और

(घ) सरकार ने उन शंकाओं का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ). विश्व बैंक के कुछ अधिकारियों ने यह मत व्यक्त किया है कि मुख्यत: धान के उत्पादन में कमी होने और उर्वरकों का कम उपभोग किये जाने के कारण चौथी आयोजना में अनाज के उत्पादन का लक्ष्य सम्भवत: प्राप्त न हो ।

धान के उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने और उर्वरकों के उपभोग को बढ़ाने के सम्बन्ध में भी कदम उठाये जा रहे हैं।

सरकार को आशा है कि इन उपायों और मौसम की स्थिति के सन्तोषजनक होने के परिणामस्वरूप चौथी आयोजना का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

Gradation of Cities

5768. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of 'A', 'B' and 'B-2' class cities in the country ; and

(b) the population of each of them at present ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) the names of Cities that have been classified as 'A', 'B-1' and 'B-2' for purposes of grant of compensatory (city) allowance and house rent allowance to Central Government employees are as follows :—

'A' Delhi, Madras, Bombay and Calcutta.

'B.1' Hyderabad, Ahmedabed, Poona, Bangalore, Nagpur, Kanpur and Lucknow.

'B-2' Patna, Indore, Jabalpur, Madurai, Coimbatore, Sholapur, Amritsar, Jaipur, Agra, Allahabad and Varanasi (Banaras).

(b) According to the provisional population figures of the 1971 census the position is as under :—

	POPULATION
1. Delhi Urban Agglomeration.	3,629,842
2. Madras.	2,470,288
3. Greater Bombay.	5,931,989
4. Calcutta Urban Agglomeration.	7,040,345
5. Hyderabad Urban Agglomeration.	1,798,910
6. Ahmedabad Urban Agglomeration.	1,745,111
7. Poona Urban Agglomeration.	1,123,399
8. Bangalore Urban Agglomeration.	1,648,232
9. Kanpur.	1,273,042

As regards the remaining cities, provisional population figures of the 1971 census are awaited. They are expected to be published shortly.

बाल अपराधी

5769. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-70 के दौरान बाल अपराधियों की संख्या क्या थी; और

(ख) क्या वर्ष 1971 को परिवीक्षा वर्ष माना जायगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जैसा कि गृह मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित "भारत में अपराध" में बताया गया है 1968 में कुल 73,314 किशोर अपराधी गिरफ्तार किए गये थे। 1969 तथा 1970 के सम्बन्ध में आंकड़े अब तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, हां।

Financial Assistance to Unemployed Graduates belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes

5770. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of Education and Social Welfare to be pleased to state :

(a) whether Government have made any provision to give some monthly financial assistance to the Graduates and post-Graduates belonging to the Schduled Castes and Scheduled Tribes till they are provided with employment, and

(b) if so, what is the scheme in this regard and the amount of financial assistance being provided ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) & (b). Government of India have no such scheme. However, under the Backward Classes Sector, Rajasthan Government have a scheme and they have provided Rs. 75,000/- and Rs. 1,25,000/- during 1971-72 for assistance to Graduates and post Graduates belonging to Scheduled Tribes and Schduled Castes respectively. Under this Scheme meritorious students are given assistance for a period of one year or till such period they get appointments whichever is earlier.

Information from other States is awaited.

भारत में विदेशी माल का तस्कर व्यापार

5771. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ भारत का व्यापार सम्बन्ध विच्छेद हो जाने के कारण भारत पाकिस्तान सीमा पार से विदेशी माल का अनधिकृत आयात और आगमन आरम्भ हो गया है; और

(ख) देश में विदेशी माल के अनधिकृत आयात को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तस्कर व्यापार का सामना करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए है :—

योजनाबद्ध सूचना एकत्र करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना; जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का सन्देह है, उन पर निगरानी रखना; जिन नौकाओं और वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्री तट तथा स्थल-सीमाओं को सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की गश्त की व्यवस्था करना । सीमा शुल्क के समाहर्ता तथा सहायक समाहर्ता जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्य रूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की देखभाल करने के लिए सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है ।

सीमाओं पर सामरिक महत्व के स्थानों पर नई निवारक चौकियां खोलना, सूचना का पारस्परिक आदान-प्रदान करने तथा तस्करी रोकने की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाने के लिए सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल के अधिकारियों की बार-बार बैठकों की व्यवस्था करना ।

समय-समय पर, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च-स्तरीय बैठकों की व्यवस्था करके सीमा सुरक्षा दल, पुलिस तथा सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना ।

इकट्ठी की गई सूचना को दृष्टि में रखते हुए समुचित कार्यवाही के लिए स्थिति की बार-बार समीक्षा भी की जाती है ।

बौद्ध धर्म में अनुसूचित जाति के धर्म परिवर्तित लोगों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं और सरकारी सेवा में आरक्षण

5772. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बौद्ध धर्म में अनुसूचित जाति के धर्म परिवर्तित लोगों को शैक्षणिक सुविधाएं और सरकारी सेवा में आरक्षण देने के बारे में निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे लागू कर दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). यह मामला विचाराधीन है ।

Renovation of Cottage of Martyr Chandra Shekhar Azad

5773. **Shri. A. P. Dhusia :** Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether the cottage of Martyr Chandra Shekhar Azad near Hanuman Temple on the bank of the Satare River in Dhegarpura village, P. O. and P. S. Orachha, District Tikamgarh is in a very dilapidated condition ; and

(b) whether Government propose to renovate this cottage, treating it as a monument ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Deptt. of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b). The cottage of Martyr Chandra Shekhar Azad is not a Centrally protected monument and the Government is not aware about its condition. There is no proposal to renovate it.

सिंगापुर जाने वाले एयर इंडिया के बोइंग-707 विमान को क्षति

5774. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या पर्यटन और नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जून, 1971 को मीनाम्बक्कम हवाई अड्डे पर सिंगापुर जाने वाले एयर इण्डिया के बोइंग-707 विमान को हुई क्षति के बारे में कोई जांच की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). मामले की जॉच की जा रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विस्तार-कार्य करने के लिये 11 करोड़ रुपये की योजना की प्रगति

5775. श्री निहार लास्कर :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवेज और टैक्सीवेज को सुदृढ़ बनाने और उनका विस्तार करने तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिये बनाई गई 11 करोड़ रुपये की योजना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर धावन-पथों, टैक्सी-पथों तथा एप्रनों के विकास के लिए अब तक 10.68 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनकी प्रगति नीचे दी गई है :

दिल्ली : रात्रिकालीन पारकिंग एप्रन के निर्माण तथा केन्द्रीय टैक्सी ट्रैक को मजबूत करने का कार्य पूरा हो चुका है।

बम्बई : मुख्य धावन-पथ को मजबूत करने का कार्य पूरा हो चुका है। सभी संयोजी टैक्सी ट्रैकों को चौड़ा करने तथा मजबूत करने का कार्य काफी प्रगति पर है। अधिक एप्रन स्थान की व्यवस्था करने का कार्य भी पूरा हो चुका है।

मद्रास : मुख्य धावन-पथ को मजबूत करने का कार्य हाथ में लिया जा चुका है। टैक्सी ट्रैकों को चौड़ा करने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जाएगा।

कलकत्ता : धावन-पथों का विस्तार करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है। धावन-पथ को मजबूत करने तथा संयोजी टैक्सी-ट्रैकों के निर्माण कार्यों को शीघ्र ही हाथ में ले लिया जायेगा।

दिल्ली हवाई अड्डे पर लगे साज सामान की सुरक्षा

5776. **श्री निहार लास्कर :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालम हवाई अड्डे पर लगे साज-सामान की सुरक्षा का कार्य केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अन्य सभी हवाई अड्डों पर भी उक्त योजना को लागू करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

(ख) विमान अपहरण की आशंका एवं नागर विमानन के साथ गैर-कानूनी छेड़-छाड़ के विशेषतया ध्यान में रखते हुए हमारे विमान-क्षेत्रों पर सुरक्षा के उच्चतर को बनाए रखना आवश्यक है। वर्तमान चौकीदारी प्रबन्ध आजकल की आवश्यकताओं को दृष्टि से पर्याप्त नहीं है।

(ग) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर यह व्यवस्था एक क्रमिक कार्यक्रम के अन्तर्गत करने का प्रस्ताव है।

मदुरै में तस्करी के सोने का पकड़ा जाना

5777. श्री निहार लास्कर :

श्री पी० गंगा देव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादनशुल्क अधिकारियों द्वारा मदुरै नगर में 27 जून, 1971 को मारे गए विभिन्न छापों में विदेशी मार्का वाली 3 लाख रुपए की मूल्य की स्वर्ण छड़ें पकड़ी गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या मई, 1971 में भी मद्रास केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी ने 7.41 लाख रुपए के मूल्य की तस्करी की वस्तुएं पकड़ी थीं;

(ग) क्या सरकार द्वारा कड़े उपाय किये जाने के बाद भी सोने तथा अन्य वस्तुओं की तस्करी जारी है; और

(घ) यदि हां, तो तस्करी को रोकने के लिए और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मदुरै के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों द्वारा 26 जून, 1971 को मदुरै में दो बार मारे गए छापों में भारतीय बाजार दर पर लगभग 2.5 लाख रुपए के मूल्य की विदेशी मार्के की सोने की सलाखें पकड़ी गई थीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारत सरकार द्वारा तस्कर विरोधी उपायों के उठाये जाने के बावजूद भी तस्कर-व्यापार चल रहा है ।

(घ) तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए अनुसार हैं :—

योजनाबद्ध सूचना एकत्र करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का सन्देह है उन पर निगरानी रखना; जिन नौकाओं और वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना; समुद्र के साथ-साथ तथा हवाई अड्डों पर सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की गश्त की व्यवस्था करना और तस्कर आयात-निर्यात विरोधी मामलों पर अनन्य रूप से ध्यान देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करना । इन उपायों के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने, समुद्री जहाजों तथा अन्य तस्कर-व्यापार विरोधी उपकरणों को प्राप्त करने के कुछ और उपाय भी विचाराधीन हैं ।

पालम हवाई अड्डे पर पशु-चर्म का पकड़ा जाना

5778. **श्री निहार लास्कर :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में स्थित पालम हवाई अड्डे पर 2 लाख रुपये की मूल्य की कुछ चीतों की खालें तथा 150 मेमनों की खालें पकड़ी थीं;

(ख) क्या इन खालों को विमान द्वारा लन्दन ले जाया जाना था;

(ग) क्या यह प्रथम अवसर है जब कि हवाई अड्डे पर इतनी बड़ी मात्रा में पशु-चर्म पकड़ा गया;

(घ) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ङ) क्या इस मामले की जांच की गई है ; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1 जून, 1971 को पालम हवाई अड्डे पर 1.5 लाख रुपये मूल्य की चीतों की 115 खालें तथा कैराकुल की 150 खालें पकड़ी गई थीं ।

(ख) इन खालों के पैकेजों पर लन्दन जाने के लिए लेबल लगा हुआ था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ). मामले की जांच की जा रही है तथा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

Auditing of Funds given to State Government of Haryana for Adult Education

5779. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to press reports to the effect that the Education Minister of Haryana has stated that the funds given by the Centre for Adult Education in Haryana are being wasted ; and

(b) if so, what arrangements Government propose to make for periodical auditing of the funds given by the Centre to the State Government under this head ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir. But the press report has been denied by the Minister concerned.

(b) Does not arise ?

काले धन का पता लगाया जाना

5780. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे काले धन का पता लगाने के लिए और आगे क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) वर्ष 1969 तथा 1970 के दौरान कुल कितनी राशि बरामद की गई; और

(ग) वर्ष 1968 की तुलना में उक्त राशियां कितनी न्यूनाधिक हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) काले-धन का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है उनका ब्यौरा 4 जून, 1971 को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० 272 के उत्तर में लोक सभा की मेज पर पहले ही रख दिया गया है। कर अपवंचन के प्रश्न पर सरकार बराबर विचार कर रही है और काले धन का पता लगाने के लिए और आगे उपाय, प्रत्यक्ष कर जांच समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर किए जाएंगे।

(ख) वित्तीय वर्ष 1969-70 और 1970-71 में काले धन का पता लगाने के लिए 170 और 195 तलाशियां ली गयीं। इन तलाशियों के परिणामत: वित्तीय वर्ष 1969-70 में 95 लाख रुपये मूल्य की और वित्तीय वर्ष 1970-71 में 1.2 करोड़ मूल्य की रेखा बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं।

(ग) वित्तीय वर्ष 1968-69 में काले धन का पता लगाने के लिए 81 तलाशियां ली गयीं और 59 लाख रुपये की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं।

तिरुमुल्लावरम, जिला क्विलोन (केरल) में एक पर्यटक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

5781. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिरमुल्लावरम, जिला क्विलोन, केरल, में एक पर्यटक केन्द्र स्थापित करने का है, और यदि हां, तो उससे सम्बन्धित मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या केरल राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पेश किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी, नहीं, परन्तु चौथी योजनावधि के दौरान तिरुपल्लावरम का विकास करने के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत 3.75 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। समुद्र-तट का सुधार करके तथा कपड़े बदलने के कुछ कमरों और एक रेस्टोरेंट की व्यवस्था कर के तिरुपुल्लावरम में स्नान सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है।

वृद्धावस्था पेंशन

5782. **डा० मेलकोटे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए कानून बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के, राज्यवार नाम क्या हैं, उनके द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के रूप में कितनी राशि चुकाई गई है, कितने लोगों को लाभ मिला है और इस प्रकार की सहायता की अर्हता की क्या शर्तें हैं; और

(ग) इस योजना को केन्द्र ने यदि कोई अंशदान दिया है तो वह क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). यह जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Expenditure Incurred on Gandak Bridge at Dumariaghat in Bihar

5783. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the expenditure incurred by Government upto the end of June 1971 on Gandak Bridge at Dumariaghat in Bihar ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur): The requsite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Loans advanced to unemployed Graduates in Patna and Danapur by Nationalised Banks

5784. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced by the branches of the nationalised banks functioning in Patna City and Danapur to the unemployed graduates to enable them to earn their livelihood since nationalisation ; and

(b) the number of applications from the unemployed graduates for grant of loans pending with the banks located at the said places and the reasons for keeping them pending ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Information is not maintained by the banks in the form asked for by the Hon'ble member. However, the nationalised banks have adoped a liberalised credit policy in respect of hitherto neglected sectors including unemployed graduates interested to set up small scale industries or to take up any self-employed venture. The banks consider the applications on merits, provided the schemes are economically viable. If specific complaints of delay are received the banks are asked to look into them.

Whips' Conference

5785. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) when the Conference of Whips of various parties in Parliament and State Legislative Assemblies was held last ;

(b) whether Government propose to hold a fresh Conference of the Whips ; and

(c) if so, by what time and the venue thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur): (a) The last All India Whips' Conference was held at Madras from 21st to 23rd September, 1969.

(b) & (c). No decision has so far been taken to hold the next All India Whips' Conference. The matter will be taken up with the Chief Whips of the various parties to ascertain their views.

केरल में उप-मार्गों का निर्माण

5786. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :

श्री एम०एम० जोजफ :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल राज्य में कुछ उप-मार्गों के निर्माण की अनुमति दे दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उप-मार्गों का निर्माण कब आरम्भ हो जायेगा;

(ग) प्रत्येक उप-मार्ग के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की जायेगा;

(घ) क्या केन्द्र ने हिस्सा बंटाने के संबंध में केरल सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दे दी थी; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा उप-मार्गों के निर्माण और रख-रखाव तथा समान्तर सड़कों के रख-रखाव के लिये कितना व्यय वहन किया गया ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच उप मार्ग के निर्माण की लागत के विभाजन की नीति यह है कि जहां कोई उपमार्ग नगर पालिका की सीमाओं से होकर गुजरता है तो केन्द्रीय सरकार भूमि अर्जन मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और भावी अनुरक्षण की पूरी लागत वहन करेगी । राज्य सरकार की जिम्मेदारी समान्तर सेवा सड़कों की व्यवस्था करना और भूमि अधिग्रहण की लागत और उसके निर्माण और भावी अनुरक्षण लागत वहन करना है ।

जहाँ नया उपमार्ग नगर पालिका की सीमाओं से वाहर होकर गुजरता है, वहां केन्द्रीय सरकार भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और भावी अनुरक्षण की लागत वहन करेगी । राज्य सरकार पर भावी विकास के लिए तुरंत सामानान्तर सेवा सड़कें बनाने पर जोर दिये बिना । तथापि यदि किसी समय उस क्षेत्र में मकान बनते हैं तो राज्य सरकार को अपनी लागत पर समानान्तर सेवा सड़कें बनानी होंगी इससे पहले कि बाहरी सड़क के निकट निर्माण कार्य अथवा नगर पालिका की सीमाओं को इतना बढ़ाने की अनुमति दी जाये कि संपूर्ण बाहरी मार्ग अथवा उसका कोई भाग उस सीमा में शामिल हो जाये ।

विवरण

(क) से (ग) :—अपेक्षित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है :—

उपमार्ग का नाम	अनुमानित लागत	उपमार्ग की वर्तमान स्थिति
(1) कौराक्षी	22.00 लाख रुपये	कार्य मंजूर हो गया है और प्रगति पर है।
(2) शेरतल्लाई	21 00 लाख रुपये	भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है और निर्माण कार्य की 1971 के अन्त तक पूरे होने की संभावना है ।

उपमार्ग का नाम	अनुमानित लागत	उपमार्ग की वर्तमान स्थिति
(3) अलवाई	14.00 लाख रुपये	रेखांकन स्वीकृत हो चुका है और राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण के आक्कलन भेजने के लिये अनुरोध किया गया है।
(4) पालघाट	65.00 लाख रुपये	राज्य लोक निर्माण विभाग रेखांकनों की जांच कर रहा है और शीघ्र ही इसको अन्तिमरूप दिये जाने की संभावना है तत्पश्चात वे बिस्तृत अनुमान बनायेंगे और भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेजेंगे। अनुमानों की मंजूरी के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।
(5) चलाकुडी	35.00 लाख रुपये	
(6) कोचीन	331.00 लाख रुपये	रेखांकन स्वीकृत हो गया है और भूमि अधिग्रहण के अनुमान की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

उपरोक्त उपमार्गों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपमार्गों के लिये भूमि अधिग्रहण चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

उपमार्ग का नाम	अनुमानित लागत	उपमार्ग की वर्तमान स्थिति
(1) त्रिचूर	20.00 लाख रुपये	राज्य लोक निर्माण विभाग उपमार्ग के रेखांकन की जांच कर रहा है।
(2) ऐल्लपी	16.00 लाख रुपये	राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश की समस्या

5787. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वर्ष छात्रों के प्रवेश की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय ने वर्तमान कालेजों और विश्वविद्यालय विभागों में सीटों की संख्या बढ़ा दी है। दाखले की समस्या को हल करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने विश्वविद्यालय को दो नए कालेज खोलने का सुझाव दिया है। सुझाव विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

भारतीय परिवहन संचालक संघ की ओर से ज्ञापन

5788. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय परिवहन संचालक संघ की ओर से 25, जून, 1971 को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या बातें कही गई हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

सीधी और सरगुना (मध्य प्रदेश) के बीच सीधी सड़क का पूरा किया जाना

5789. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीधी और सरगुना जिलों के बीच सीधी सड़क के पूरे किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या कारण है कि इसके लिए केन्द्रीय सहायता रोक दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना मध्य प्रदेश तथा बिहार की सरकारों से मांगी गई है तथा उनसे प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यूरोपीय मंडियों को ताजा सब्जियों का निर्यात करने हेतु एयर-इन्डिया द्वारा किसानों को दी गई सुविधा

5790. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया द्वारा उन किसानों को क्या सुविधायें दी जाती हैं जो यूरोपीय मंडियों को ताजा सब्जियों का निर्यात करना चाहते हैं;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करने के इस साधन का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) उन सब्जी उत्पादकों को बीमाकृत विमान-सामान स्थान देने में इस समय क्या कठिनाइयां हैं जो इस सुविधा को वार्षिक आधार पर प्राप्त करना चाहते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) एयर इण्डिया ने यूरोप और यू० के० के लिए ताजे फल और सब्जियां वहन करने के लिए विशेष निम्न पण्य-द्रव्य दरें चालू की हैं। वे विदेशों में बिक्री के लिए उपलब्ध बाजारों के बारे में सूचना देते हैं, तथा पैकिंग इत्यादि के बारे में परामर्श भी प्रदान करते हैं।

(ख) जी, हां। ताजे फल व सब्जियों के निर्यात के लिये उपलब्ध बाजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विस्तृत जांच-पड़ताल की गयी है।

(ग) विमानों में माल के लिए स्थान का आरक्षण करना व्यवहार्य नहीं पाया गया, परन्तु निर्यात की आवश्यकताओं की पूर्ति में किसी प्रकार की कठिनाई प्रत्वाशित नहीं है।

एयर इन्डिया के विमानों में सामान के लिये स्थान

5791. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया विमानों की यूरोप की उड़ानों में सामान के लिए निश्चित स्थान शायद ही कभी पूर्ण रूपेण बुक हुआ जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या लम्बी उड़ानों के फलस्वरूप यह स्थिति और भी बिगड़ जायेगी; और

(ग) ताजे फलों तथा सब्जियों के लिए इस विमान-सामान-स्थान का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). बोइंग 707 विमानों में एयर इण्डिया की माल-वहन क्षमता का पूर्णरूपेण उपयोग किया जा रहा है। परन्तु, अधिक क्षमता वाले बोइंग 747 विमानों के परिचालन से यूरोप की उड़ानों पर कुछ भार/स्थान उपलब्ध रहता है। एयर इण्डिया बिक्री की अभिवृद्धि विषयक एक गहन अभियान चला रही है और आशा करती है कि इसके माल-क्षमता की काफी मांग हो जायेगी।

(ग) यूरोप तथा यू० के० के लिए ताजा फल और सब्जियां वहन करने के लिए निम्न पण्य-द्रव्य दरें चालू की गयी हैं तथा ग्राहकों को पैकिंग आदि समस्याओं के बारे में उपयुक्त परामर्श दिया जा रहा है।

सीमाशुल्क विभाग द्वारा फलों और सब्जियों की निकासी

5792. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रविवार और अवकाश के दिन ताजा फलों और सब्जियों की सीमा शुल्क विभाग द्वारा निकासी करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है; और

(ख) क्या ऐसी वस्तुओं को सीमाशुल्क के भवनों, जो कि हवाई अड्डों से बहुत दूर होते हैं, की अपेक्षा हवाई अड्डों पर ही सीमाशुल्क विभाग द्वारा निकासी की सुविधा देने के लिए कोई व्यवस्था की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) ताजा फलों और सब्जियों की निकासी करने के लिए सीमा शुल्क कर्मचारियों को रविवार और अवकाश के दिन भी कार्य पर तैनात किया जाता है।

(ख) बड़े हवाई अड्डों पर ऐसी वस्तुओं की निकासी की व्यवस्था विद्यमान है।

केन्द्र द्वारा चालू की गयी योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई और हायर सेकेन्डरी स्कूलों को मंजूर किया गया अनुदान

5793. **श्री गदाधर साहा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में केन्द्र द्वारा चालू की गई योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को कितनी राशि अनुदान के रूप में मंजूर की गई, और

(ख) कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल के संबंध में अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) कोई नहीं।

विवरण

केन्द्र द्वारा चालू की गई योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में हाई और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में मंजूर किए गए अनुदान से सम्बन्धित एक विवरण

क्रम संख्या	योजना	संस्वीकृती वर्ष	स्कूल जिसे अनुदान मंजूर किया गया है।	अनुदान की राशि (रुपये)
1.	माध्यमिक शिक्षा का सुधार माध्यमिक स्कूलों की प्रयोगशालाओं का सुदृढिकरण।	1968-69	अनुदान पश्चिम बंगाल सरकार को मंजूर किया गया था न कि अलग-अलग हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को।	10,19,000
2.	शिक्षा क्षेत्र में स्वैच्छिक शैक्षिक संगठनों को सहायता।	1968-69	रामाकृष्ण आश्रम डा० नीमपी आश्रम 14 परगना	5,000
	,, ,,	,,	श्री शारदा आश्रम न्यू अलीपुर कलकत्ता	20,000
	,, ,,	,,	रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ पुरुलिया	30,000
	,, ,,	1969-70	श्री शारदा आश्रम न्यू अलीपुर कलकत्ता	3,940
	,, ,,	,,	वैशनाचक महेरा चन्द्र हाई स्कूल मिदनापुर	7,000
	,, ,,	1970-71	रामाकृष्ण मिशन आश्रम नीमपीठ, जैय नगर	4,180
	,, ,	,	श्री शारदा आश्रम न्यू अलीपुर कलकत्ता।	4,980

पश्चिम बंगाल में अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारियों के वेतनमानों के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग और वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

5794. **श्री गदाधर साहा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हाई, जूनियर हाई और हायर सैकेण्डरी स्कूलों के अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारियों के वेतन-मानों के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग, 1964-66 और केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल में गठित किए गए वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित वेतनमान श्रेणी-वार क्या हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). शिक्षा आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, भेज दिया गया था। विभिन्न श्रेणियों में पश्चिम बंगाल के अध्यापकों के वेतनमान मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुबन्ध-I में दिए गए हैं। केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में अध्यापन और गैर अध्यापन कर्मचारियों के लिए कोई वेतन आयोग स्थापित नहीं किया था। फिर भी यह मालूम हुआ है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक वेतन आयोग स्थापित किया था और इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति का राज्य सरकार से पता लगाया जा रहा है।

विवरण

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक (प्रशिक्षित मैट्रिक)

	न्यूनतम			अधिकतम		
	वेतन	महंगाई भत्ता	योग	वेतन	महंगाई भत्ता	योग
पश्चिम बंगाल	272	—	272	396	—	396 1.4.70 से राजकीय स्कूलों में
	120*	90	210	230	90	320 31-3-70 को गैर-सरकारी स्कूलों में

* परिशोधन विचाराधीन है।

	न्यूनतम			अधिकतम		
	वेतन	मंहगाई भत्ता	योग	वेतन	मंहगाई भत्ता	योग
	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक					
पश्चिम बंगाल	297	—	297	471	—	1.4.70 से सरकारी स्कूलों में 471
	167*	90	257	317	90	गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों में 407
	220	90	310	470	90	31.3.70 को 560

* परिशोधन विचाराधीन है ।

	उत्तर स्नातक अध्यापक					
पश्चिम बंगाल	371*	—	371	639	—	1.4.70 को राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 636
	240**	90	330	470	90	31.3.70 को गैर सरकारी स्कूलों में 560 एम० ए० I और II क्लास
	220	90	310	470	90	560 एम० ए० III क्लास

* 381 रु० एम० ए० में द्वितीय श्रेणी उपाधिकारी के लिए ।

** परिशोधन विचाराधीन है ।

Discovery of coins and Ancient Idols in Shajapur, Madhya Pradesh

5795. **Shri Phool Chand Verma :**
Dr. Laxminarain Pandey :

Will the Minister of **Culture** be pleased to state :

(a) whether Government of India have received information to the effect that 103 Silver Coins pertaining to Shah Alam era have been found in Mohana Village, District Shajapur, Madhya Pradesh and centuries old idols of God Vishnu and of other Gods and Goddesses stated to be of Archaeological importance have been found in Loharia Village near Soyat ;

(b) if so, whether Archaeological Department propose to undertake excavation work there ; and

(c) whether Government also propose to undertake excavation work at Kardi Village in Shajapur District where many ancient idols have been found ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

Restrictions regarding age for Pilgrims visiting Amarnath Temple

5796. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Government of Jammu and Kashmir have announced certain restrictions regarding age in respect of the pilgrims visiting Amarnath ; and

(b) if so, what are the restrictions ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). The information has been called for from the State Government.

जरात में औद्योगिक विकास बैंक की शाखा का खोला जाना

5797. **श्री जवेजा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में औद्योगिक विकास बैंक के शाखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह बैंक किस स्थान पर खोला जायेगा ।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). जी हां, । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शीघ्र ही अहमदाबाद में अपनी एक शाखा खोलने का इरादा रखता है ।

भारत द्वारा अन्य देशों के लिए सिक्के ढालना

5798. **श्री जदेजा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सिक्कों की ढलाई के सम्बन्ध में अन्य देशों की आवश्यकता पूरी कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राप्त किये गये आर्डरों को पूरा करने के लिए बम्बई-स्थित टकसाल 1970-71 के वर्ष के कुल भाग में थाइलैण्ड की सरकार के लिए एक-एक बाहत के 860 लाख कोरे सिक्के तथा यूनान की सरकार के लिए विभिन्न मूल्यों के 290 लाख मुद्रित सिक्के ढालने में लगी रही थी। चालू वर्ष (1971-72) के दौरान भारत सरकार की किसी भी टकसाल में विदेशी सिक्के नहीं ढाले गये हैं।

Loans outstanding against West Bengal

5799. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total amount of Central loans outstanding against West Bengal at present :

(b) the amount of loans proposed to be given during the financial year 1971-72 ; and

(c) the rate of interest on the loan given to the State and the total amount of interest outstanding at present ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Rs. 589.42 crores as on 31st March, 1971.

(b) The Central Assistance allocated for West Bengal State Plan for 1971-72, includes block loans amounting to Rs. 30.94 crores (approximately). In addition, the State Government will also receive loans in lieu of Small Savings collections and for financing Centrally Sponsored Schemes, etc. The State Budget for 1971-72 has assumed Central loans totalling Rs. 76.79 crores.

(c) Central loans advanced to State Governments generally carry interest at 5% per annum with a rebate of 1/4% for punctual repayments and interest payments.

As on 31st March, 1971 the arrears of interest due on Central loans amounted to Rs. 7.90 crores.

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए अविराम ग्रेड

5800. **श्री मधु दण्डवते** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के विभिन्न संगठनों ने अध्यापकों के लिए अविराम ग्रेड की मांग की है;

(ख) क्या कतिपय विश्वविद्यालयों ने इस शर्त पर अविराम ग्रेड की मांग को स्वीकार करने की अपनी सहमति देने का संकेत दिया है कि केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालयों की ओर अधिक अनुदान दे; और

(ग) यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की मांगों को पूरा करने हेतु अनुदान में वृद्धि करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां। प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों और कालेजों की अभिशासन समिति के विचाराधीन है।

(ख) कालेज अध्यापकों के लिए कुछ विश्वविद्यालयों ने चालू ग्रेडों का सुझाव दिया है है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं मांगी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क विकास में की गई प्रगति

5801. **श्री के० बालतन्डायुतम** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सड़क यातायात में वृद्धि के साथ-साथ सड़कों का विकास नहीं हुआ है ;

(ख) देश में गत तीन वर्षों में सड़क यातायात में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) उक्त अवधि में सड़क विकास में कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग)· देश में यातायात वृद्धि के संदर्भ में सड़कों का अधिक तेजी से विकास किये जाने का औचित्य है। धन के उपलब्धता पर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है। सड़क द्वारा वहन किया जाने वाला माल-

यातायात 1965-66 में 34 विलियन टन किलो मीटर से 1968-69 में 40 मिलियन टन किलो-मीटर हो जाने का अनुमान है। 1969-70 में यातायात और भी बढ़कर 47 विलियन टन किलो-मीटर होने का अनुमान है। 1965-66 में यात्री यातायात अनुमानत: 82 विलियन यात्री किलो-मीटर से बढ़कर 1968-69 में 98 विलियन यात्री किलोमीटर तथा 1969-70 में और अधिक 111 विलियन यात्री किलोमीटर होने का अनुमान है।

जहां तक सड़क विकास का सम्बन्ध है, पक्की सड़कों की लम्बाई 1965-66 में 2.87 लाख किलोमीटर से बढ़कर 1968-69 में 3.25 लाख किलोमीटर हो गई है। 1969-70 तथा 1970-71 दो वर्षों में अनुमानत: 20,000 किलोमीटर की पक्की सड़कों की वृद्धि कर दी गयी है।

सड़क विकास की प्रगति तथा यात्रा में वृद्धि की तुलना करते हुए यह मानना पड़ेगा कि सड़क-लम्बाई में वृद्धि के अतिरिक्त मौजूदा सड़कों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जैसे सड़कों को चौड़ा करना तथा सशक्त करना आदि जिसके फलस्वरूप सड़कों की क्षमता में वृद्धि हुई है।

कूच बिहार में लड़कियों के लिए कालेज

5802. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कूच बिहार कस्बे में लड़कियों के लिए एक सरकारी कालेज खोलने का निर्णय किया है और यदि हां, तो यह कालेज शीघ्र से शीघ्र कब तक खुल जाएंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और एक विवरण यथा-समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जिला कूच बिहार में विभिन्न लोगों को दिया गया ऋण

5803. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद अब तक कूच बिहार जिले में विभिन्न योजनाओं के अधीन विभिन्न व्यक्तियों को कितनी राशि के ऋण दिए गए;

(ख) उन ऋणियों की श्रेणी क्या है अर्थात् क्या वे बड़े-बड़े व्यवसायी हैं या छोटे व्यापारी हैं; और

(ग) इन वित्तीय ऋणों से सम्बन्धित शर्तें क्या-क्या हैं तथा कितने ऋण प्रत्याभूतियों अथवा जमानत पर या प्रत्याभूतियों अथवा जमानत के बिना दिए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). माननीय सदस्य ने जिस रूप में सूचना मांगी है उस रूप में बैंक सूचना संकलित नहीं करते। पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिसम्बर 1970 तक कृषि (प्रत्यक्ष वित्त) लघु उद्योग और सड़क परिवहन चालकों की श्रेणियों के अन्तर्गत जो ऋण दिए गए हैं उनके आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं।

	खातों की संख्या	बकाया रकम (लाख रुपयों में)
कृषि (प्रत्यक्ष वित्त)	15746	625.31
लघु उद्योग	3982	2352.88
सड़क परिवहन	921	228.94

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं।

इन योजनाओं की शर्तों के सम्बन्ध में सदस्य महोदय का ध्यान लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 638 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है जो 28 मई, 197 को दिया गया था।

कलारिपयाट्टू को लोकप्रिय बनाना

5804. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की 'कलारिपयाट्टू' (जो केरल का कला और खेल का अनूठा सामंजस्य है) को लोकप्रिय बनाने की कोई योजना है; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि कलारिपयाट्टू के उचित प्रशिक्षण में आत्मरक्षा की क्षमता निहित है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) केरल कलारिपयाट्टू संघ द्वारा जारी की गई पुस्तिका में दी गई सूचना के अनुसार यह पद्धति विद्यार्थी को अपनी रक्षा की कला में प्रवीण बनाती है।

कालेजों के सेवा निवृत्त प्रोफेसरों को अनुसंधान कार्य के लिए छात्रवृत्तियां/वजीफे देना

5805. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कालिजों के सेवा निवृत्त प्रोफेसरों को अनुसंधान कार्यों के लिए छात्रवृत्तियां/वजीफे दिए जाते हैं और उन्हें अनुसंधान कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है; और

(ख) क्या यह सच है कि अनुसंधान कार्य केवल शैक्षिक विषयों में ही करने का निदेश दिया गया है और सामान्यता इन अनुसंधान कार्यों के अन्तर्गत व्यावहारिक महत्व के विषय नहीं आते हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) श्रेष्ठ योग्यता वाले जो अध्यापक विश्वविद्यालयों तथा कालेजों से सेवा निवृत्त हो चुके हैं और जो अपना अध्यापन/अनुसंधान कार्य करने में समर्थ हैं, अध्यापन/अनुसंधान कार्य के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग करने के निमित्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अन्तर्गत उनको सहायता दी जाती है। चयन किये गए अध्यापकों को 6000 रु० वार्षिक की एक मानदेय राशि प्रदान की जाती है और अपने कार्य से सम्बन्धित व्यय को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1000 रु० का प्रासंगिक अनुदान दिया जाता है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कार्य करने के लिए चुने गए अध्यापकों को अध्यापन तथा अनुसंधान सम्बन्धी शैक्षिक कार्य में अपना पूरा समय लगाना पड़ता है। अनुसंधान योग्य विषय का चुनाव अनुभव, प्रशिक्षण तथा उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर किया जाता है। चूंकि, सेवा निवृत्त अध्यापक (राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं आदि से भिन्न) शैक्षिक संस्थाओं में ही काम करते हैं। अतः उनके विषय भी मोटे तौर पर उसी प्रकार के होते हैं जिनका अनुशीलन सामान्यतया विश्वविद्यालयों में नियमित अध्यापकों तथा अनुसधान करने वाले विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है और उनका स्वरूप अनिवार्यतः शैक्षिक ही होता है। इनमें अनेक प्रकार के विषय शामिल होते हैं और उनमें से कुछ तात्कालिक दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं।

दीघा का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

5806. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित दीघा का एक उत्तम पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) गत तीन वर्षों में इसके विकास पर वार्षिक व्यय कितना हुआ है, और

(ग) क्या वहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने और सम्मेलन करने के लिए छात्रावास, समाज सदन और सम्मेलन हाल बनाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार के दीघा में कोई पर्यटन योजना प्रारम्भ नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यटन विभाग का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मिथिला विश्वविद्यालय

5807. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री मिथिला विश्वविद्यालय के बारे में 25 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3181 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने दरभंगा में आधुनिक मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध मे समिति के उत्तर पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयतथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). यह मामला बिहार सरकार के विचाराधीन है ।

विभिन्न राज्यों में समाज कल्याण योजनाएं

5808. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या शिक्षा मन्त्रालय और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों मे चल रही केन्द्र सरकार की समाज कल्याण योजनाओ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य में चल रही समाज कल्याण योजनाएं अन्य राज्यों की योजनाओं की तुलना में अपर्याप्त है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा इन योजनाओं को अन्य राज्यो की योजनाओं के बराबर लाने के लिए इनमें सम्बर्द्धन हेतु क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही योजनाओ का ब्यौरा अनुबन्ध मे दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5808 दिनांक 23 जुलाई, 1971 के भाग (क) में निदेशित अनुबन्ध ।

(क) **राज्यक्षेत्र**

1. शिक्षा

1. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति और बजीफे ।

2. ट्यूशन और परीक्षा फीसें ।

3. शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था ।
4. मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ।
5. आश्रम स्कूलों की स्थापना ।
6 स्कूलों और छात्रावासों के भवनों के निर्माण के लिए अनुदान ।
7. मैट्रिकोत्तर छात्रों को अतिरिक्त छात्रवृत्तियां ।

2. आर्थिक विकास

1. भूमि और सिंचाई की व्यवस्था ।
2. बैलों, कृषि औजारों, बीजों और खाद की प्रदाय ।
3. कुटीर उद्योगों का विकास ।
4. सहकारिता ।
5. भूमि-परिवर्ती खेतीहरों का उपनिवेशन ।
6 संचार साधनों का विकास ।
7. कुटकुटों, भेड़ों, सूअरों, बकरियों इत्यादि की प्रदाय ।

3. स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य

1. चिकित्सा सुविधाएं ।
2. पेयजल प्रदाय योजनाएं ।
3. मकानों और मकानों के लिए जमीनों की व्यवस्था ।
4. कानूनी सहायता की व्यवस्था ।
5. राज्य स्तर पर काम करने वाली गर-सरकारी एजेंसियों को अनुदान ।
6. पेय जय प्रदाय परियोजनाओं के लिए उपदान ।
7 मकानों के निर्माण के लिए उपदान ।
8 समन्वय और सांख्यिक सेल के लिए अतिरिक्त स्टाफ ।
9. अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का अपने रोजगार के सम्बन्ध में साक्षात्कार के हेतु जाने के लिए यात्रा भत्ते ।
10. पुलिस कांस्टेबिलों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण ।

(ख) केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाएं

केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोचिन्ग एवं मार्गदर्शन केन्द्र ।

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित

1. मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां ।
2. लड़कियों के छात्रावास ।

3. कोचिंग और समवर्ती योजनाएं ।

4. आदिम जाति विकास खंड ।

5. सहकारिता ।

6. अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विशेष परियोजनाए ।

7. गंदे व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के काम करने और रहने-सहने की परिस्थितियों में सुधार ।

8. विमुक्त आदिम जातियां तथा खानाबदोश आदिम जातियां ।

विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं

1. मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए आदर्श स्कूल, नई दिल्ली-I

2. नेत्र-हीन व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, देहरादून ।

3. वयस्क बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद तथा आंशिक रूप से बधिर बच्चों के लिए स्कूल, हैदराबाद ।

4. नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए चार अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई ।

अन्य योजनाएं

1. व्यवसाय-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

2. परिवार और बाल कल्याण कार्यक्रम ।

3. 3-5 वर्ष के आयु-वर्ग के स्कूल-पूर्व बच्चों के लिए बालवाडियो के माध्यम से पोषाहार कार्यक्रम ।

4. 1970-71 में शुरू किया गया 0-3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम ।

5. गृह और आश्रम ।

6. बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

7. भारत में नैतिक और सामाजिक स्वास्थ्य की संस्था ।

(ग) केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से स्वयं-सेवी सेवाओं द्वारा कमजोर वर्गों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं

1. 17 प्राथमिक स्कूल (इलाहाबाद, देहरादून तथा मिरजापुर)

2. कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र (जिला देहरादून)

3. दो आश्रम स्कूल (मिर्जापुर जिला)

4. पांच महिला कल्याण केन्द्र (मिर्जापुर और इलाहाबाद जिले)

5. 6 बाल-कल्याण केन्द्र (कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, फतेहपुर और शहाजहांपुर)

6. दो मातृत्व और बाल कल्याण हस्पताल (टेहरी गढ़वाल और देहरादून जिले)

7. आठ मातृत्व और बाल कल्याण केन्द्र (टेहरी गढ़वाल और देहरादून जिले)

8. दो नर्सरी स्कूल (टेहरी गढ़वाल जिला)

9. एक बालवाडी (गाजीपुर जिला)

10. एक शिशु केन्द्र (देहरादून)

11. आई० ए० एस० इत्यादि की परिक्षाओं के लिए एक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद)

(समस्त भारत के उम्मीदवारों के लिए)

अन्य पिछड़े वर्ग (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त)

1. शिक्षा

1. मैट्रिक-पूर्व कक्षाओं में छात्रों को वजीफे तथा अन्य सहायता देना।

2. औद्योगिक प्रशिषण संस्थाओं में शिल्पकारिता में प्रशिषण के लिए वजीफे तथा गुणाधार छात्रवृत्तियां देना।

केन्द्रीय संरक्षण प्राप्त स्मारकों से प्राचीन वस्तुओं की चोरी

5910. श्री एम० सत्यनारायणराव :

श्री दशरथ देव :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उन अधिकारियों की संख्या क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय संरक्षण प्राप्त स्मारकों से प्राचीन वस्तुओं की चोरी के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) उन्हें क्या-क्या दण्ड दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Widening of National Highways in Madhya Pradesh

5811. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have accorded approval to the widening of the National Highways in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the names of the Highways proposed to be widened ;

(c) the amount allocated for this purpose ; and

(d) when the work on these Highways will start ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c). Yes, Sir. The entire existing single lane sections of the following National Highways in Madhya Pradesh are either proposed to be widened to 2 lanes or provided with paved shoulders :—

1.	National Highway No. 3		Agra-Bombay Road.
2.	,,	No. 6	Dhulia-Raipur-Sambalpur Road.
3.	,,	No. 7	Varanasi-Kanyakumari Road.
4.	,,	No. 12	Biora-Bhopal-Deori Section of Biora-Jabbalpore Road.
5.	,,	No. 25	Shiveuri-Jhansi-Kanpur Road.
6.	,,	No. 26	Jhansi Sagar-Narsinghpur Lakhnadan Road.
7.	,,	No. 27	Mangawan-Chak-Allahabad Road.
8.	,,	No. 43	Raipur-Jagdalpur Section.

These works are likely to cost about Rs. 21 crores.

(d) These works are commencing on sanction of projects by the Government of India during the Fourth Five-Year Plan period in a phased manner as soon as estimates for these are submitted by the State Governments.

Lack of facilities at Asirgarh Fort near Burhanpur

5812. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether certain basic facilities are not available in Asirgarh Fort near Burhanpur ;

(b) whether drinking water is not easily available in this fort during the summer season and no restaurant has been provided there and sometimes it become difficult to get tea even from the small and old rest-house located there ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to provide drinking wate facilities and good restaurants at the said fort ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) Drinking water is obtained from a well in the fort. Tea is available in the rest hous at village Asir at the foot of the fort. Government has no scheme for the provisio of facilities at the fort except that the Archaeological Survey of India proposes t augment the water supply in the near future.

Evasion of Taxes by Coal Mine Owners in Madhya Pradesh

5813. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total number of cases of tax evasion by coal mine owners in Madhya Pradesh, which were brought to the notice of Government during the last three years ;

(b) the amount of tax evaded in each case with the name of the companies involved ; and

(c) whether Government have conducted a thorough enquiry into these cases and if so, the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Information in respect of allegations of tax evasion by coal mine owners of Madhya Pradesh is being collected and would be laid on the table of the Sabha.

(b) Information about the tax evaded by the aforesaid taxpayers would be laid on the table of the Sabha in respect of those coal mine owners whose assessments have been completed.

(c) Information would be laid on the table of the Sabha.

बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थानीय शाखा द्वारा दिया गया ऋण

5814. श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थानीय शाखा द्वारा कितनी राशि के ऋण दिए गए;

(ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इस शाखा ने छोटे, मध्यम तथा बड़े उद्योगों और व्यापार तथा कृषि के लिए पृथक्-पृथक् कुल कितनी राशि के ऋण दिए; और

(ग) ऋण प्रदान करने के लिए उद्योग और व्यापार तथा कृषि के प्रत्येक क्षेत्र के लिए कोई निश्चित कोटा निर्धारित करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) बैंक आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों का कोटा निर्धारित नहीं करते । मामलों में निर्णय उनके गुणावगुणों के आधार पर किया जाता है बशर्ते कि साधन उपलब्ध हों फिर भी, जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है जोर इस बात पर दिया जाता है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी की जाएं ।

भारत-नेपाल सीमा पर संश्लिष्ट रेशों का संचयन

5815. **श्री विश्वनाथ भुनभुनवाला** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा पर भारतीय सीमाशुल्क कार्यालय में गत दो वर्षों से 15 लाख मीटर संश्लिष्ट रेशा बिना बिका हुआ पड़ा है;

(ख) क्या भारतीय निर्माताओं ने मामले को शीघ्र निपटाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें अधिक विलम्ब के लिए उत्तरदायी कौन है और मामले को निपटाने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) लगभग 2,84,000 मीटर तथा 77,000 वर्गमीटर संश्लिष्ट वस्त्र (न कि संश्लिष्ट रेशा) भारत-नेपाल सीमा पर बिना निकासी किये पड़ा है ।

(ख) जी, नहीं । तथापि, कुछ नेपाली निर्यातकर्ताओं ने बिना निकासी पड़े वस्त्र की निकासी की स्वीकृति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है ।

(ग) इस माल को भारत में आयात किए जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है क्योंकि नवम्बर, 1968 के भारत-नेपाल करार के अधीन जितने माल को आयात करने की सहमति हुई थी, इस माल की मात्रा उससे अधिक थी । पार्टियों को इस माल को नेपाल वापस ले जाने की अनुमति दी गई थी किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है ।

बम्बई में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा मोतियों के पार्सल पकड़ा जाना

5816. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने दो महीने से भी अधिक समय से आयातित अपरिष्कृत मोतियों के कई पार्सल रोके हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पार्सलों को रोके रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जापान से आयात किये गए बिना तैयार हुए मोतियों के बड़े पैमाने पर न्यूनबीजकांकन के सम्बन्ध में लगाए गए आरोपों की प्राप्त सूचना के आधार पर, बिना तैयार किये गए मोतियों के 22 पार्सलों को मार्च, 1971 से रोक रखा गया है क्योंकि माल के सही-सही मूल्य के सम्बन्ध में अभी जांच होना बाकी है । जांच के पूरा होने तक आयातकर्ताओं को छूट दी गई थी कि वे सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के उपबन्धों के अधीन बन्धपत्र के जरिए माल को अस्थायी रूप से छुड़ा सकते हैं । तथापि उन्होंने अभी तक इस विकल्प का लाभ नहीं उठाया है ।

विदेशी बैंकों में सावधिक जमा राशियों पर रोक

5817. **श्री नरेन्द्र कुमार साँधी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देशों में विदेशी बैंकों में सावधिक जमा राशियों पर रोक लगाने का है; और

(ख) इस मामले में निर्णय कब तक किया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

चौगुले भाप के जहाजों का राष्ट्रीयकरण

5818. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चौगुले भाप के जहाजों का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी महाराष्ट्र सरकार के निर्णय का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो चौगुले के साथ किन शर्तों पर सहमति हुई है और कितनी और किस आधार पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी; और

(ग) यह राष्ट्रीयकृत सेवा कब प्रारम्भ होगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ग). केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार में मैसर्स चौगुले स्टीम शिप्स क० राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु राज्य सरकार ने सिफारिश की है कि चौगुले स्टीम शिप्स कम्पनी द्वारा इस समय चलाई जा रही कोकन लाइन यात्री सेवा के राष्ट्रीयकरण और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्ध को हाथ में लिया जाए । इसकी जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा शैक्षणिक फिल्मों की खरीद

5819. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सेवा निवृत्त डी० पी० आई० श्री बी० एस० झा, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य हैं;

(ख) क्या वह बम्बई की "इनफार्मेशन एण्ड एजुकेशनल फिल्म" फर्म, जो एक एकाधिकार प्राप्त फर्म है और जो उक्त परिषद को बहुत ही अधिक रियायत से शैक्षणिक फिल्में सप्लाई करती है, में एक भागीदार हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) . (क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद की एक कार्यकारिणी समिति है। श्री बी० एस० भा इस समिति के सदस्य नहीं हैं।

(ख) इस मन्त्रालय को श्री बी० एस० भा का बम्बई की "इनफार्मेशन एण्ड एजूकेशनल फिल्म" फर्म में एक साझेदार होने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

गैर-सरकारी सदस्यों तथा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के अधिकारियों से बनी एक पूर्वनिरीक्षण समिति कक्षा के लिए फिल्मों की उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात उन्हें खरीदने का अनुमोदन करती है। प्रत्येक पूर्वनिरीक्षण समिति का कोरम पांच है; जिनमें से कम से कम तीन का गैर-सरकारी होना जरूरी है; ये सदस्य बहुधा शिक्षण अध्यापक, शैक्षणिक प्रशासक तथा अध्यापक होते हैं और मूल्यतालिका के मंगवाने के बाद ही फिल्में खरीदी जाती हैं। अतः किसी फर्म को बहुत अधिक रियायत देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद के अहाते में होस्टल का निर्माण

5820. **श्री सतपाल कपूर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा अपने अहाते में दो होस्टलों का निर्माण क्रमशः वर्ष 1965 तथा 1968 में लगभग 10 लाख रुपये की लागत से किया गया था;

(ख) निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात इन दोनों होस्टलों को किस प्रकार उपयोग में लाया गया है; और

(ग) क्या शिक्षा आयोजन तथा प्रशासन के एशियाई संस्थान के उपयोग के लिए शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद के अहाते में एक और सात-मंजिला होस्टल (56 सूट वाला) निर्माणाधीन है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा अपने प्रांगण (अहाते) में क्रमशः वर्ष 1967 तथा 1969 में 9,33,655/- रु० की कुल लागत के दो छात्रावासों का निर्माण किया गया था। एक अधिकारी छात्रावास तथा दूसरा विद्यार्थी छात्रावास है। पहले में 40 कक्ष हैं तो दूसरे में 96 कक्ष।

(ख) अधिकारी छात्रावास पाठ्क्रमों के प्रशिक्षार्थियों और समय-समय पर राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित सम्मेलनों, बैठकों, गोष्ठियों, कर्मशालाओं इत्यादि में भाग लेने वालों द्वारा प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी छात्रावास में 10 कक्ष छात्रों को, 6 कक्ष (कमरे) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के कर्मचारियों को आवास हेतु और 4 कमरे औषधालय को दिए गए हैं। स्थान की अत्यधिक कमी को देखते हुए बाकी कक्ष (कमरे) कार्यालय तथा लोक निर्माण विभाग के कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे हैं; और भवनों का बकाया निर्माण मास्टर प्लान में सम्मिलित है। सभी छात्रावास कक्षों की, वर्ष 1971-72 में प्रारम्भ होने वाले शैक्षणिक दूरवीक्षण (टेलीविजन) पाठ्यक्रमों जैसे नये पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यकता होगी।

(ग) एशियाई शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद से अभिगृहीत भूमि पर, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक छात्रावास तथा प्रशासनिक भवन का निर्माण कर रहा है।

इम्फाल में संग्रहालय

5821 **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल मे दो वर्ष पूर्व प्रधान मन्त्री द्वारा जिस संग्रहालय का उद्घाटन किया था वह अब जनता के लिये खुला है;

(ख) क्या संग्रहित वस्तुओं को यथास्थान पर रखने का कार्य पूरा हो गया है; और यदि हां, तो कब;

(ग) प्रतिदिन औसतन कितने व्यक्ति संग्रहालय को देखने जाते हैं, और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर है तो इस बारे में इतने अधिक विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना मणिपुर सरकार से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Co-ordinance between Industrial Finance Corporation and State Financial Corporation

5822. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of Finance be pleased to state the nature of coordination existing between the Industrial Finance Corporation at the Centre and State Financial Corporations in the various States ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : The Industrial Finance Corporation of India (IFCI) has no direct control over the State Financial Corporations (SFCs) which are autonomous bodies set up under an Act of Parliament. The SFCs provide financial assistance mainly to smaller units irrespective of their constitution. The IFCI extends long-term financial assistance to medium and large scale industries constituted as public limited companies or cooperative societies registered in India. The IFCI nominates its officials on the Boards of the SFCs in accordance with the provisions of the State Financial Corporations Act. The IFCI has also been furnishing to the SFCs any information that they may require relating to the former's business or affairs.

पटना संग्रहालय को अधिकार में लेना

2823. **श्री एस० डी० सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटना संग्रहालय को अपने अधिकार में लेने का है; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि उक्त संग्रहालय का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). जी नहीं ।

Branches of India Tourism Development Corporation

5824. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the names of places where branches of India Tourism Development Corporation are located ; and

(b) the amount of loss suffered and profit earned by each of them during the last three years, year-wise ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). The India Tourism Development Corporation does not have branches as such. However, it has a number of hotels, transpost units, traveler lodges etc. spread all over India. The accounts of the ITDC are consolidated and for the year ending 31st March, 1971, the Corporation expects to make a profit of about Rs. 50 lakhs (subject to audit).

श्रीनगर में हड़प्पा की तरह के खण्डहरों का पाया जाना

5825. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में श्रीनगर में महादेव पर्वत की तलहटी के निकट हड़प्पा की तरह के खण्डहर पाये गये है; और

(ख) यदि हां, तो ऐतिहासिक दृष्टि से इनका क्या महत्व है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Grants by U. G. C. to Institutions in Madhya Pradesh for Libraries and scientfic equipments

5826. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) the names of the institutions in Madhya Pradesh, which have been given grants by the University Grants Commission during 1969-70 and 1971-72 for libraries and scientific equipments ;

(b) the amount of grant given to each of the said institutions ;

(c) whether full information regarding the financial condition, the liabilities and other obligations of the said institutions were obtained before giving or sanctioning grants to them ; and

(d) if so, the sources thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Deptt. of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) . A statement showing the grants paid by the University Grants Commission to Universities in Madhya Pradesh during 1969-70 and 1971-72 for libraries and scientific equipment is attached. Similar information in respect of Colleges is being collected and a statment will be laid on the Table of the Sabha in due course.

(c) and (d) . The needs of the Universities for a Plan period are assessed by the Visiting Committees appointed by the University Grants Commission and grants are allocated in the light of the Committees' recommendations and the funds available with the Commission. The Universities have to give an assurance that the matching share of the grant will be borne from their own resources or by the State Government concerned.

Grants to Colleges are released on the recommendations of the Universities to which they are affiliated subject to an assurance that a College will meet the expenditure

over and above the Commission's contribution from its own resources or grants from the State Government. The financial conditions of a College are looked into by the University authorities at the time of granting affiliation to the College.

Statement

Regarding Grants by U. G. C. to Institutions in Madhya Pradesh for Libraries and Scientific Equipment

S. No.	University	Grants given by the University			
		Equipment		Library*	
		1969-70	1971-72 upto 17/7/71	1969-70	1971-72 upto 17/7/71
1	2	3	4	5	6
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1.	A. P. Singh University	— —	— —	— —	— —
2.	Bhopal University	— —	— —	— —	— —
3.	Indra Kala Sangit University	— —	— —	— —	— —
4.	Indore University	— —	— —	2,10,000	32,500
5.	Jabalpur University	— —	1,32,000	2,20,000	— —
6.	J. N. Krishi University	— —	— —	— —	— —
7.	Jiwaji University	— —	— —	86.000	87,500
8.	Ravi Shankar University	10,000	50,000	2,88,800	57,500
9.	Saugar University	2,53,895	3,22,657	1,35,000	1,11,342
10.	Vikram University	60,000	15,000	1,71,000	45,000

*Includes grants for library buildings.

जनता से जमाराशि प्राप्त करने वाली गैर-बैंकिंग कम्पनियां

5827. श्री एस० ए० युरुगनन्तम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-बैंकिंग कम्पनियों की संख्या कितनी है जो इस समय जनता से जमा राशि प्राप्त कर रही हैं ;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा 1967-70 तथा 1970-71 में कुल कितनी राशि जमा की गई; और

(ग) इन कम्पनियों द्वारा जमाकर्ताओं को कितनी ब्याज अदा किया गया ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई, गैर-बैंकिंग की सबसे हाल की समीक्षा में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाली अवधि तक की जमा रकमों का ब्यौरा दिया गया है। इस समीक्षा के अनुसार, 2,179 कम्पनियां ऐसी थीं जो उनके पास जमा की जाने वाली रकमों की विवरणियां भेजती थीं। जमा की रकम 473 करोड़ रुपया थी। बाद की अवधि की समीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है।

(ग) जमा रकमों पर ब्याज की दर अलग कम्पनियों में अलग-अलग है जो इस बात पर निर्भर करती है कि जमा की गई राशि कितनी है और कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई है। बड़ी कम्पनियों के मामले में 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जमा कराई गई रकमों पर ब्याज की दरें 7·5 प्रतिशत से लेकर 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक हैं।

देश में बैंकिंग सुविधाओं से रहित केन्द्र

5828. श्री एस० ए० गुरुगनन्तम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकांशतया ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में बैंकिंग सुविधाओं के रहित केन्द्र हैं।

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे केन्द्रों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की सरकार की क्या योजना है; और

(घ) चौथी योजना के आरम्भ से इस कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) से (ग). लीड बैंकों द्वारा देश के विभिन्न भागों में इस समय सर्वेक्षण किए जा रहे हैं जिनसे ऐसे केन्द्रों का पता लगाया जा रहा है जहां पर बैंकिंग सुविधाओं की आवश्यकता है। ये सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार कार्य की शीघ्रता से बढ़ाने में सहायक होंगे। 19 जुलाई 1969 और 31 मार्च 1971 के बीच वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए 3255 कार्यालयों में से लगभग 70 प्रतिशत कार्यालय अब तक बैंक-रहित रहे केन्द्रों में खोले गए हैं जो कि अधिकतर ग्रामीण हैं।

उड़ीसा में भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण का एक अलग सर्किल बनाना

3829. श्री अर्जुन सेठी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण का एक अलग सर्किल बनाने पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हाल ही में खरीदे गये बोइंग विमानों की उड़ान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

5830. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में विमान सेवा अस्त-व्यस्त होने का कारण हाल ही में खरीदे गये बोइंग एवरों विमानों को उड़ान के लिए सुनियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का न होना; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के बालासार जिला स्थित चूड़ामणि गांव के निकट गमयी के नदी क्षेत्र पर एक प्रकाश स्तम्भ की स्थापना

5831. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बालासार जिले में चूड़ामणि गांव के निकट गमयी के नदी क्षेत्र और समुद्र के किनारे एक प्रकाश स्तम्भ स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है, और

(ख) क्या सरकार का विचार नौसेना के सामरिक महत्व की दृष्टि से और मछेरों की सुविधा के लिए इसे शीघ्र स्थापित करने का है ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) चुदामनी गांव के समीप दीपघर/प्रकाश युक्त बेकन की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । दीपघर व दीपपोत विभाग ने भी इस क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और स्थल सीमाशुल्क विभाग की अराजपत्रित कर्मचारी यूनियन, कलकत्ता से ज्ञापन

5832. **श्री समर मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और स्थल बीमाशुल्क अराजपत्रित कर्मचारी यूनियन, कलकत्ता से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उस मान्यता को पुनः देने की मांग की है जो उनके द्वारा सितम्बर, 1968 में केन्द्राय सरकारी कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण 1968 में समाप्त कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में किन-किन बातों का उल्लेख है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में मुख्यतया यह प्रार्थना की गई है कि इस यूनियन को, जिसकी मान्यता सरकारी कर्मचारियों की 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सिलसिले में समाप्त कर दी गयी थी, नई "मान्यता" दी जानी चाहिए, जैसा कि दूसरे मामलों में किया गया है।

(ग) सरकार ने इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया है।

Withholding of Grants to Educational Institutions which do not impart Employment-Oriented Education

5832. **Shri Jagannath Mishra**: Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether with a view to make education emploment-oriented, Government proposed to adopt a policy of withholding grants to those educational institutions at University level which show disregard to imparting technical, scientific, technological and craft education; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav): (a) and (b). No such policy has been formulated On the recommendations of a conference of Vice-Chancellors, University Grants Commission has suggested to all Universities that in view of the current developments in our country, university courses should be diversified and oriented towards employment and provision made for vocational training in different fields leading to progress, Universities are generally keen to move in this direction.

Help from unemployed graduates for eradication of illiteracy

5834. **Shri Jagannath Mishra**: Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to obtain help from unemployed graduates for the eradication of illiteracy and to offer them due remuneration for the services rendered by them ; and

(b) if not the reasons thereof.

The Deputy minister in the ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) The Government have under consideration a scheme for utilising the services of educated persons, like the teachers, students and social workers, for taking up literacy work, on a voluntary basis, with some monetary honorarium and other incentives. There is no definite programme, however, to obtain help from unemployed graduates for the eradication of illiteracy and offering them due remuneration for this purpose.

(b) The literacy classes are generally conducted on part-time basis in the evenings and as such, only part-time workers, with some honorarium, conduct these classes. Appointment of unemployed graduates for the eradication of illiteracy, with due remuneration, will involve high costs.

आन्ध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में अन्तरवेदी में लगाया गया प्रकाश स्तम्भ

5835. **श्री बाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में अन्तरवेदी में लगाये गये प्रकाश स्तम्भ ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है,

(ख) यह प्रकाश स्तम्भ कितनी दूर से दिखाई देता है,

(ग) यह प्रकाश स्तम्भ लगाने पर केन्द्र द्वारा कितना पैसा व्यय किया गया है,

(घ) क्या चौथी योजना के दौरान सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे और प्रकाश स्तम्भ लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कितने और कहां-कहां पर ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां । नये दीपघर ने 28-6-71 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है ।

(ख) 16.5 मी०

(ग) 13.20 लाख रुपये ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) मछलीपत्तनम के पास फात्स दीवी पाइन्ट में और नैलोर के पास कृष्णपत्तनम में दो दीपघर लगाने का प्रस्ताव है। अन्तरवेदी में एक रेडियो वेकन लगाया जायेगा जो तट से 200 मील के फासले तक चलने वाले जहाजों की मदद करेगा।

भावनगर के हरिजन संगठनों द्वारा पेश किया गया ज्ञापन

5836. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भावनगर जिले के विभिन्न हरिजन संगठनों का एक प्रतिनिधि मण्डल 19 जून 1971 को भावनगर के दौरे पर आये गुजरात के राज्यपाल से मिला था;

(ख) क्या प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन पेश किया था और राज्यपाल से हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों तथा उनकी दीर्घकाल से अनिर्णित पड़ी समस्याओं पर विस्तार से बातचीत की थी;

(ग) यदि हाँ, तो किस प्रकार की बातचीत हुई तथा पेश किये गये ज्ञापन का ब्यौरा क्या है, और

(घ) हरिजनों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी गुजरात सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

चटखनी, ढिबरी और पेच पर उत्पादन शुल्क

5837. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चटखनियों, ढिबरियों और पेचों पर यथा मूल्य 10 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने के प्रस्ताव के विषय में "दि जामनगर फैक्टरी ओनर्स एसोसिएशन जामनगर" (गुजरात) से दिनांक 16 जून, 1971 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

(ग) उक्त ज्ञापन में की गई मांगों को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). चूंकि यह मामला बजट प्रस्तावों से सम्बन्धित है, इसलिए इस स्थिति में इस ज्ञापन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना सम्भव नहीं है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं का बन्द किया जाना

5838. **श्री पी० आर० दास मुन्शी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1971 के बाद भारत के किसी भी भाग में स्टेट बैंक की किसी नई शाखा को बन्द किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या लद्दोहा, बर्दवान पश्चिमी बंगाल में एक नई शाखा को बिना नोटिस दिये स्थायी रुप से बन्द किया गया है, और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). जनवरी 1971 के बाद स्टेट बैंक आफ इण्डिया के तीन उप-कार्यालय अस्थायीतौर पर बन्द कर दिए गये थे जिनमें से एक बाद में फिर खोल दिया गया है। उपर्युक्त कार्यालय को अस्थायीतौर पर बन्द करने के कारण हैं—बैंक के चौकीदारों की बंदूकें छीन लेना, कर्मचारियों को डराना धमकाना और बैंक के पहरेदार को छुरा घोंपना।

(ग) आसनसोल शाखा के नियन्त्रण में स्थित लद्दोहा उपकार्यालय 21 जून 1971 से स्थायीतौर पर बन्द करके उसे आसनसोल शाखा को स्थानान्तरित कर दिया गया था और जनसाधारण की जानकारी के लिए इस सम्बन्ध में एक नोटिस उपकार्यालय में लगा दिया गया था। यह पता चला है कि उक्त उप-कार्यालय को बन्द करने का मुख्य कारण कर्मचारियों का उस जगह पर काम करने को तैयार न होना था क्योंकि बैंक की बंदूक छीन लेने के सिलसिले में एक स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिये जाने के कारण कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने कर्मचारियों को धमकियां दी थीं और पुलिस अधिकारी उप-कार्यालय में गारद तैनात करने असमर्थ रहे। उक्त उप-कार्यालय को शीघ्रति-शीघ्र खोलने के प्रयत्न किए जा रहें हैं।

मलमपुझा बांध, जिला पालघाट (केरल) पर पर्यटन केन्द्र का विस्तार करने की योजना

5839. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल के पालघाट जिले में स्थित मलमपुझा बांध पर पर्यटन केन्द्र का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). चौथी योजनावधि के दौरान मलमपुझा बांध पर आवास की व्यवस्था करने के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत 2.75 लाख रुपये का विनियतन किया गया है।

सीतामढ़ी, जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) में पर्यटन सुविधाएं

5840. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सीतामढ़ी महान धार्मिक महत्व का स्थान है;

(ख) क्या वहां वर्ष में दो बार रामनवमी और विवाहपंची मेलों के अवसरों पर देश के सभी भागों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं।

(ग) क्या केन्द्र अथवा राज्य सरकार ने सीतामढ़ी में पर्यटकों के लिए कोई सुविधाए उपलब्ध नहीं की हैं; और

(घ) यदि हां तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार को ज्ञान है कि काफी मात्रा में लोग रामनवमी और विवाहपंची मेलों के उपलक्ष में सीतामढ़ी जाते हैं।

(ग) और (घ). अन्य प्राथमिकताओं के कारण पर्यटन विभाग का फिलहाल सीतामढी में कोई स्कीम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है। परन्तु राज्य सरकार की वहां एक पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

मैसूर में समाज कल्याण संस्थाएं

5841. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर में राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा, अलग-अलग, चलायी जाने वाली कितनी समाज कल्याण सस्थाएं हैं तथा उनके नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-राज्यमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैसूर में ऐसी कोई समाज कल्याण संस्था नहीं है जिसे सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाया जाता हो। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं के बारे में जानकारी मैसूर सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा उसे शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

मैसूर राज्य में तुमकुर जिले में कुछ स्थलों का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

5842. **श्री के० लकप्पा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में तुमकुर जिले में कुछ स्थानों को पर्यटन के रूप में विकसित करने हेतु प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर बिलासपुर मंडी कुल्लू सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

5843. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर बिलासपुर मंडी कुल्लू सड़क, जो पहले सीमान्त सड़क महानिदेशालय के अधिकार क्षेत्र में थी, उनके मंत्रालय द्वारा अपने अधिकार में ले ली गई है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो परिवहन मंत्रालय ने कब इसे अपने अधिकार में लिया, और

(ग) जब से यह सडक अधिकार में ली गई है तबसे इसकी मरम्मत आदि तथा सुधार के लिए कितनी राशि निश्चित की गई और कितनी व्यय की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग). किरतपुर बिलासपुर मंडी कुल्लू मार्ग चण्डीगढ़ मनाली मार्ग जो 31 जुलाई, 1971 का राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया. का भाग है। इस मार्ग के अनुरक्षण और सुधार के लिए धन को निर्धारित करने और खर्च करने का प्रश्न केवल भविष्य में उठेगा।

दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा. तथा पूर्णिया में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए प्रस्ताव

5844. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा और पूर्णिया जिलों में बैंकों की नई शाखायें खोलने के लिए पेश किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) दरभंगा जिले में अप्रैल, 1971 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (जिनमें 13 राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल हैं) के 24 कार्यालय थे।

(ख) 1971 के दौरान और 1972 के आरम्भ में, दरभंगा जिले में 10, मुजफ्फरपुर जिले में 9, और पूर्णिया जिले में 6 कार्यालय खोलने का विचार है बशर्ते कि सुविधाएं उपलब्ध हों। सहरसा जिले में पहले ही बैंकों के 16 कार्यालय हैं और इस समय उस जिले में लाइसेंस के लिए कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन नहीं है।

भारत में परियोजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता

5845. **श्री एन० इ० होरो** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद ने अतिरिक्त सहायता की स्वीकृति दे दी है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद ने जून 1971 में हुए अपने सत्र में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दिये जाने के लिए निम्नलिखित तीन भारतीय प्रायोजनाओं की स्वीकृति दी—

(i) चिकित्सा उत्पादनों के लिये किरणन अनुवरीकरण के लिये प्रदर्शन-संयंत्र	6,30,500 डालर
(ii) शिक्षा सम्बन्धी जन सम्पर्क साधनों के विकास का केन्द्र	7,78,700 डालर
(iii) निवेश-पूर्व सर्वक्षण, मान-चित्रण और प्रशिक्षण, हैदराबाद (दूसरा दौर)	6,38,300 डालर
जोड़	20,47,500 डालर

मैसूर राज्य में राष्ट्रीय राजपथों पर पुलों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था

5847. **श्री के० मालन्ना** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में राष्ट्रीय राजपथों पर पड़ने वाले बहुत से पुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं,

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुलों के नाम क्या हैं, और

(ग) उनकी मरम्मत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) मैसूर में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 184 छोटे पुल और एक बड़ा पुल विभिन्न अंशों में असन्तोषकजनक दशा में बताये गये हैं।

(ख) एक सूची संलग्न है (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संस्करण एल० टी 726/71)

(ग) इन सब पुलों का पुनर्निर्माण चौथी पंचवर्षीय योजना मे शामिल किया गया है और निर्माण कार्य प्रगामी रूप से शुरू किया जा रहा है ।

गोआ में नौका मालिकों द्वारा लिए जाने वाले भाड़ पर नियन्त्रण लगाने का प्रस्ताव

5948. **श्री इराजमु द सकेरा : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अयस्क के मारमागाव बन्दरगाह तक के घटने-बढ़ने वाले ढुलाई भाड़े के कारण गोआ के छोटे खान मालिकों को निर्यातकों से कम मूल्य मिलता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गोआ में नौका मालिकों द्वारा अयस्क की ढुलाई के लिये, लिये जाने वाले भाड़े पर नियन्त्रण लगाने का है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना गोआ, दामन और दीव सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ।

हिन्दू मन्दिरों के फालतू धन को समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में लगाया जाना

5850. **श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हाल ही में तामिलनाडु के हिन्दु धार्मिक तथा धर्मार्थ धर्मस्व मन्त्री द्वारा दिये गये इस सुझाव की जानकारी है कि हिन्दु मन्दिरों की अतिरिक्त निधि का उपयोग समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किया जाये ।

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया क्या है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार समाज कल्याण के लिये अन्य राज्य सरकारों को इस प्रकार के उपाय करने का परामर्श देने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) समाचार पत्रों में ऐसी ऐसी रिपोर्टें छपी हैं, जिनमें कहा गया है कि उसने इस सम्बन्ध में मद्रास और चिन्गेल्पेट जिलों के मन्दिरों के न्यासियों से सहयोग मांगा है ।

(ख) और (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बंगला देश के शरणार्थियों में हैजा फैल जाने के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी

5851. **श्री राजदेव सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये शरणार्थियों में फैले हैजे के कारण इस वर्ष पर्यटकों की संख्या अत्यधिक गिर गई है, और

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों की इस कमी का मुकाबला करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं जब कि हैजा इस बड़े देश के केवल पूर्वी सीमा तक ही सीमित था ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि हैजे की घटनाओं पर अविलम्ब एवं प्रभावी रूप से नियन्त्र कर लिया गया है तथापि हो सकता है कि विभिन्न हलकों में फैली हुई खबरों का पर्यटक यातायात पर कुछ प्रभाव पड़ा हो। अतः सभी हलकों में वास्तविक स्थिति की जानकारी देने के लिए उपाय किये गये हैं।

5852. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8173 on 1st May, 1970 regarding School of Buddhist Philosophy at Leh and state :—

(a) the number of years for which annual increments of teachers were withheld and whether the prescribed procedure was complied with; and

(b) if not, the reasons, therefor and the action proposed to be taken to release their increments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b). The requisite information is being collected from the School of Buddhist Philosophy, Leh and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली में नये कालेजों का खोला जाना

5853. **श्री शशि भूषण** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में नये कालेज खोलने के लिए दिल्ली शासन को कितनी धन राशि के ऋण और अनुदान दिये;

(ख) वर्ष 971-72 में कितने नये कालेज खोले गये और वे कालेज किसके नियंत्रण और प्रबन्ध के अन्तर्गत काम करेंगे;

(ग) क्या उन सब विद्यार्थियों को, जिन्होंने हाल ही की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी और जो प्री-मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिला पाना चाहते है दाखिला दे दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें प्री-मैडिकल पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं मिल सका और क्या प्री-मैडिकल पाठ्यक्रम में स्थानों को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उन सब विद्यार्थियों को, जिन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, प्री-मैडिकल पाठयक्रम में दाखिला देने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली प्रशासन को 1971-72 के दौरान दिल्ली में नए कालेज खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अनुदान अथवा ऋण नहीं दिया गया है। तथापि, दिल्ली संघ क्षेत्र के चालू घर्ष के बजट प्राक्कलनों में नए डिग्री कालेज खोलने के लिए 3 लाख रु० की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ख) 1971-72 के दौरान विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में कोई नया कालेज खोला नहीं गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रथम श्रेणी के जिन छात्रों को प्री-मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं मिल सका, उसकी संख्या लगभग 311 है। विश्वविद्यालय ने प्री० मेडिकल पाठ्यक्रम की सीटों की संख्या पहले ही 670 से बढ़ाकर लगभग 750 कर दी है। प्रयोगशालाओं की सीमित सुविधाओं को देखते हुए और अधिक सीटें बढ़ाना संभव नही है।

बाजपे (दक्षिण कनारा) हवाई अड्डे का बोइंग वायुयान उतरने के लिए उपयुक्त होना

5854. **श्री पी० आर० शिनाय : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाजपे, दक्षिण कनारा के हवाई अडडे को बोइंग विमान के उतरने के लिये उपयुक्त बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन **मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : इण्डियन एयरलाइन्स का मंगलौर (बाजपे) विमान क्षेत्र से होकर बोइंग 737 विमान का परिचालन करने की फिलहाल कोई योजनायें नहीं हैं। परन्तु, यह दक्षिण में अन्य स्टेशनों तथा बम्बई से विमान सेवा द्वारा भली-भाँति जुड़ा हुआ है।

कन्या कुमारी और बम्बई के बीच राष्ट्रीय राजपथ का पूरा होना

5855. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य क्षेत्र मे कन्या कुमारी और बम्बई के बीच राष्ट्रीय राजपथ कब तक पूरा हो जाएगा, और

(ख) पिछले कई वर्षों से मैसूर राज्य में काली नदी के पुल का निर्माण पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) संभवत: माननीय सदस्य मैसूर राज्य में पश्चिमी तट सड़क का उल्लेख कर रहे हैं । मैसूर में, काली नदी पर पुल और सदाशिवगढ़ से गोआ सीमा तक सड़क के भाग को छोड़कर पश्चिमी तट मार्ग लगभग पूर्ण हो चुका है और ये कार्य प्रगति पर हैं । इस सड़क की सभी प्रकार से 1975 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

(ख) काली पुल के पूर्ण न होने के कारण निम्न प्रकार हैं :

(1) पुल में प्रगति न दिखाने के कारण पुल के पहले ठेकेदार के ठेके को रद्द करना ।

(2) मैसर्स उदानी इन्जीनियरिंग कम्पनी के मुख्य भागीदार की दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो जाने के कारण, बाद में शेष कार्य के लिए एजेन्सी नियुक्त की । जिसके कारण कार्य शुरू होने से पूर्व उन्होंने कार्य करने के लिए अपनी अरुचि व्यक्त की ।

आंध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई अन्तर्देशीय जल परिवहन योजनाएं

5856. श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 3.27 करोड़ रुपये की अन्तर्देशीय जल परिवहन योजनाए स्वीकृत की हैं, और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई ऐसी योजनाओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) 10.73 लाख रुपये के कुल व्यय के नीचे लिखी तीन योजनाएं चौथी योजना काल के दौरान आन्ध्र प्रदेश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए मंजूर की गई हैं:—

(1) कालीपत्तनम मुख्य जलमार्ग को मील 4/7 से पिछले हिस्से तक को नौगम्य जलमार्ग में बदलना जिसमें उपुटेरू नदी से जोड़ने के लिए पिछले भाग में ज्वार जल पाश का निर्माण शामिल है । — 5.3 लाख रुपये

(2) गोदावरी केन्द्रीय डेल्टा के वेन्डामुरलंका नहर के 37/7 मील ज्वार जलपाश का निर्माण । — 4.43 लाख रुपये

(3) वेन्डर नहर में अमलापरम में घाट का निर्माण । — 1.00 लाख रुपय

कराईकुडु अलगप्पा चेट्टियार कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना

5857. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने कराइकुडु अलगप्पा चेट्टियार कालेज को विश्वविद्यालय बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस विषय पर विस्तार से विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

कराची से उड़ने वाले ईराकी विमान को भारतीय वायु सीमा पर से उड़ान

5858. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कराची से उड़ने वाले एक ईराकी विमान न भारतीय वायु सीमा पर उड़ान की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार न क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जून 1971 में बगदाद से कराची और ढ़ाका होते हुए पीकिंग जाने वाले ईराकी एयरवेज के एक सिविल विमान ने, क्योंकि उस में ईरान का एक उच्च शक्ति प्राप्त शिष्टमण्डल जा रहा था, भारतीय वायु सीमा पर से उड़ान करने की अनुमति मांगी थी। विमान को पीकिंग जाते समय कलकत्ता में और वापसी पर नई दिल्ली में तकनीकी अवतरण करने को कहा गया था, और दोनों दिशाओं में विमान ने ऐसा किया।

जीवन बीमा निगम द्वारा सिनेमाघरों को ऋण अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव

5859. **श्री जी० मुवाराहन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जीवन बीमा निगम निधि से सिनेमाघरों तथा होटल जैसे अन्य वाणिज्यिक गृहों के विकास के लिये ऋण अनुदान देने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सिनेमा गृहों और होटलों के निर्माण के लिए ऋण, जीवन बीमा निगम की सम्पत्ति बन्धक योजना के अन्तर्गत उपलब्ध हैं।

इण्डियन एयरलाइंस में काम कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

5860. **श्री एन० ई० होरो** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की जनसंख्या श्रेणिवार क्या है; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित सभी पदों पर इन जातियों के लोगों की नियुक्ति की जा चुकी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1 जनवरी 1971 को इण्डियन एयरलाइंस में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी—

पद की श्रेणी	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
श्रेणी I	5	1
श्रेणी II	11	3
श्रेणी III	303	24
श्रेणी IV	850	24

(ख) जी, नहीं। तथापि कमी को पूरा करने के लिए कारपोरेशन द्वारा विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

रांची में एक फ्लाइंग क्लब स्थापित करने की मांग

5861. **श्री एन० ई० होरो** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रांची में एक फ्लाइंग क्लब की स्थापना करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार हवाई उड़ान के प्रति रूचि रखने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें फ्लाइंग क्लब का सदस्य बनने के लिए सक्षम बनाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) बिहार फ्लाइंग क्लब, पटना को रांची में उड़ान प्रशिक्षण देने के लिये नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा पहले ही अनुमति दी जा चुकी है । इसने 28-2-1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में रांची केन्द्र पर 104 घंटे की उपदान प्राप्त उड़ान की ।

(ग) फिलहाल ऐसी कोई स्कीम नहीं है ।

National Book Trust

5862. **Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the functions, composition and the aims of the National Book Trust;

(b) the progress made in the work of writing, editing, publication and translation of books by the Trust in English and Hindi separately;

(c) whether Hindi and other Indian languages have been given lesser importance: and

(d) if so, the action being taken by the Trust to remedy the situation and to publish more books in Hindi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The functions, composition and the aims of the National Book Trust are embodied in the Memorandum of Association and Rules of National Book Trust, copies of which are available in the Library of Parliament.

(b) The Trust commissions translations or original manuscripts for publication

or accepts such manuscripts as are offered to the Trust and fit them into its scheme on publication. The number of books published in English and Hindi so far is as follows :—

In English	—	134
In Hindi	—	122

(c) No, Sir. Out of total number of 654 books published so far, 134 are in English and 250 in Hindi and other Indian languages.

(d) Does not arise.

मैसूर में राष्ट्रीयकृत बैंक

5863. **श्री जी० वाई० कृष्णान्** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है,

(ख) क्या सरकार ने मैसूर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी जिलेवार संख्या कितनी है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) मैसूर राज्य में 13 राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया समूह के 3 बैंक और 12 गैर-राष्ट्रीयतकृत बैंक काम कर रहे हैं।

(ख) जी; हां।

(ग) दिसम्बर, 1971 के अन्त तक या 1972 के आरम्भ में जिन कार्यालयों के खोले जाने की आशा है उनकी जिला संख्या इस प्रकार है—

बंगलौर	14
बेलगाँव	4
बोदर	1
बीजापुर	1
चित्रदुर्ग	1
धारवाड़	2
गुलबर्ग	1
कोलार	4
मैसूर	1
मांड्या	1
रायचूर	1
जोड़	31

लोक प्रशासन संस्था का कार्यकरण

5864. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारतीय लोक प्रशासन संस्था के कार्यकरण और उसके संविधान का पुनरीक्षण करने के बारे में क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के कार्यचालन की समीक्षा सरकार करती रहती है, परन्तु संस्थान के कार्यचालन की जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

रांची हवाई अड्डे के विकास का प्रस्ताव

5865. **श्री एम० ई० होरो** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची हवाई अड्डे का ऐसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकास करने का है जिस पर रात्रि को विमान उतर सकें और यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध हों; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्च होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). फिलहाल रांची विमान क्षेत्र पर रात्रिकालीन अवतरण की सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अंधेरा हो जाने के पश्चात यदाकदा अवतरण के लिये इस विमान क्षेत्र पर हंसप्रीवा-प्रदीप उपलब्ध हैं ।

चौथी योजनावधि के दौरान 21.54 लाख रुपये की अनुमानित लागत से टर्मिनल भवन एप्रन, टैक्सी पथ और पहुँच मार्ग के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा समाचार पत्रों को दिया गया ऋण

5866. **श्री जी० मुवाराहन** :

श्री मुरासोली मारन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने देश में समाचार-पत्रों को राजसहायता के रूप में ऋण/अनुदान दिया है:

(ख) गत तीन वर्षों में इस प्रकार के ऋण अनुदान किन-किन मुख्य समाचार-पत्रों को दिये गये ।

(ग) उक्त समाचार-पत्रों से ऋण के भुगतान के रूप में कितनी धन-राशि वसूल की गई;

(घ) उक्त समाचार-पत्रों से ब्याज किस दर पर लिया गया; और

(ङ) ये ऋण अथवा अनुदान किन शर्तों पर दिए गए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ). जीवन बीमा निगम की 'सम्पत्ति बन्धक' योजना के अन्तर्गत समाचार-पत्र कम्पनियों के लिये उसी प्रकार ऋण उपलब्ध हैं जिस प्रकार अन्य कम्पनियों के लिये। इस प्रकार की कम्पनियों को केवल राज सहायता देने के लिए ही ऋण नहीं दिए जाते। पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित समाचार-पत्र कम्पनियों के लिये निम्नलिखित ऋण मंजूर किए गए हैं—

(i) कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए 'कुमुदुम प्रिन्टर्स' मद्रास को 3,70,000 रुपये का ऋण।

(ii) कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये 'कुमुदुम' मद्रास को 5,67,000 रुपये का ऋण।

ये दोनों ऋण मार्च 1971 में मंजूर किये गये थे। सम्पत्ति बन्धक योजना के अन्तर्गत होने से इन ऋणों पर 8½ प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है। ऋण लेने वाली कम्पनियों द्वारा प्राप्त की गई ऋण की रकमों तथा उनके द्वारा अब तक वापस की गई रकमों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और उपलब्ध होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायगा।

'रीडर्स डाईजेस्ट' के प्रकाशकों द्वारा विदेशों को भेजी गई धनराशि

5869. **श्री मुरासोली मारन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'रीडर्स डाइजेस्ट; एक अंग्रेजी मासिक द्वारा, विदेशों में अपने मालिकों को धनराशि भेजी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष होने वाले कुल लाभ में इसकी प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों में इस प्रकार वर्षवार कितनी धनराशि भेजी गई ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें रीडर्स डाइजेस्ट एसोसियेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ब्रिटेन में अपने मालिकों को 1968 से 1970 तक की अवधि में भेजी गयी लाभांश की रकमें और कुछ अन्य अदायगियों की रकमों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

I. लाभांश के रूप में भेजी गयी रकमें

निम्नलिखित तारीखों को समाप्त वर्षों में	शुद्ध लाभ	घोषित लाभांश की कुल रकम	लाभांश की भेजी गयी शुद्ध रकम
	रु०	रु०	रु०
30-6-68 * (1-1-68 से 30-6-69 तक के छः महीनों के लिये)	87,417	89,000 **	67,195
30-6-69	68,116	68,000	51,340
30-6-70	1,79,756	1,94,000 **	1,46,470

टिप्पणी :

* कम्पनी ने 1968 में अपना लेखा वर्ष 31 दिसम्बर से बदल कर 30 जून कर दिया ।

** 30-6-68 को समाप्त हुई छमाही का और 30-6-70 को समाप्त हुए वर्ष का लाभांष घोषित करने के लिए आवश्यकतानुसार पिछली प्रारक्षित निधियों का उपयोग किया गया ।

II. अन्य प्रेषणाएं

कम्पनी ने लाभाशों के अलावा, ब्रिटेन में अपने मालिकों को 1968, 1969 और 1970 में हर वर्ष कुल मिलाकर 18,750 पौण्ड के बराबर की रकम भेजी थी । यह रकम भारतीय कम्पनी के लिये तथा उसकी ओर से लन्दन में किए गए सम्पादकीय तथा अन्य खर्चों के लिये थी ।

पांच स्टार वाले होटलों का निर्माण

5870. श्री एस० राधाकृष्णन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न महानगरों तथा अन्य स्थानों में इस समय कितने पांच स्टार वाले होटल हैं;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में इस प्रकार के कितने होटलों का निर्माण करने का विचार है; और

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों से इस प्रकार के होटलों के निर्माण के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) होटलों के वर्गीकरण के अन्तिम परिणामों में 5 स्टार श्रेणी के सात होटल सम्मिलित थे।

(ख) चौथी योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम की गुलमर्ग, कलकत्ता विमान क्षेत्र, औरंगाबाद और कोवालम में होटल स्थापित करने की योजनाएं हैं। भारत पर्यटन विकास निगम के बंगलौर स्थित अशोक होटल ने 1-5-1971 से कार्य करना शुरू कर दिया है और दिल्ली में इस का अकबर होटल इस वर्ष के अन्त तक चालू हो जाएगा। एयर इण्डिया की भी बम्बई में दो होटल बनाने की योजनाएं हैं। निजी क्षेत्र में अनुमोदित की गई होटल प्रायोजनाओं में से 21 की उच्चतर श्रेणी के होटलों के रूप में वर्गीकरण-योग्यता की दृष्टि से योजनाएं तैयार की गई हैं। इन सब होटलों का सही-सही श्रेणी निर्धारण उन के पूरा किए जाने तथा होटलों के रूप में कार्य के निरीक्षण के उपरान्त ही किया जाएगा।

(ग) कोई नहीं।

तमिलनाडु में कुडडालोर पत्तन में सुधार

5871. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु के कुड्डालोर पत्तन में किस प्रकार के सुधार करने का विचार है ;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि व्यय करना निश्चित किया गया है, और

(ग) इस पत्तन पर अब तक क्या कार्य हुआ है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तामिलनाडु में में कुड्डालोर पत्तन में मजौला पत्तन है। अतः इस पत्तन के विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी तामिलनाडु सरकार की है। केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र के अंतर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुड्डालोर के विकास की योजनाएं नदी के मुहाने को स्थायी बनाने; प्रवेश नौमार्ग को नदी साध कार्यों का निर्माण करके 9 फुट गहरा करने, जेट्टी के निर्माण सैंड पंप और पनकट दीवार, इत्यादि से संबंधित हैं।

(ख) 139 लाख रुपये ।

(ग) नदी साध कार्य और पनकट दीवारें पूरी हो गयी हैं और दो सेंड पंपों का अर्जन कार्य जारी है ।

सम्पूर्ण कार्य के 1972 के शुरू में पूरा होने की संभावना है ।

सलेम और कन्या कुमारी तथा वाराणसी और कन्याकुमारी को मिलाने वाले राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण

5872. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में (1) सलेम और कन्याकुमारी और (2) वाराणसी और कन्याकुमारी को सीधे मिलाने वाले राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन राजपथों की लम्बाई कितनी होगी और इनके निर्माण पर अनुमानत: कितनी राशि खर्च होगी ?

संसदीय कार्य तथा **नौवहन और परिवहन मंत्री** (श्री **राज बहादुर**) : (क) जी नहीं । वाराणसी से प्रारम्भ होने वाला वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 कन्याकुमारी को रेवा, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर, कृष्णागिरी, सलेम डिन्डीगुल मदुराई को पहले ही जोड़ता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजपथों के रखरखाव और अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च की गई राशि

5873. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका मत्रालय कितने राष्ट्रीय राजपथों की देखभाल करता है और सम्बन्धित राज्यों में उनकी लम्बाई कितने कितने किलोमीटर है, और

(ख) गत वित्तीय वर्ष में 'मरम्मत और संचार' शीर्ष के अन्तर्गत इन राजपथों की देख-भाल और अन्य निर्माण कार्यों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई थी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) विवरण संलग्न है । **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 727/71)**

(ख) 1970-71 के दौरान 1300.38 लाख रुपये के कुल आवंटन राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव और मरम्मत के लिए विभिन्न राज्यों को मंजूर किये गये राज्यों द्वारा किये गये व्यय के वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी

5874. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में सांस्कृतिक कार्य कलापों को प्रोत्साहित और विकसित करने के लिए इन संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत वित्तीय वर्ष में इन संस्थाओं द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और संस्कृति विभाग मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) देश में सांस्कृतिक कार्यकलापों को विकसित करने के लिये संगीत नाटक अकादमी और ललित-कला अकादमी द्वारा चलाये जा रहे कार्यकलापों का स्वरूप नीचे दिया गया है :—

(i) **संगीत नाटक अकादमी**

अकादमी के कार्यकलाप संगीत, नृत्य और नाटक को प्रोत्साहन देने के हैं। मुख्य कार्य कलाप यह हैं :—

(क) संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्रों में कार्य कर रही सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना।

(ख) विशेषकर परम्परावादी प्रकार के संगीत, नत्य और नाटक से सम्बन्धित कार्यक्रमों और विशिष्ट विषयों पर सेमिनारों तथा प्रदर्शनियों का प्रवर्त्तन और आयोजन करना।

(ग) व्यक्तिगत व्यावसायिक कलाकारों को संगीत, नत्य और नाटक के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिये पुरस्कार एवं प्रतिष्ठा प्रदान करना।

(घ) संगीत, नत्य और नाटक पर पुस्तकें प्रकाशित करना तथा इस उद्देश्य के लिये संगठनों एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देना।

(ङ) लोक संगीत, नत्य और नाटक का चलचित्रों, फोटोचित्रों और टेप-रिकार्डिंग के रूप में प्रस्तुतीकरण।

(च) संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये शिक्षावृत्तियां प्रदान करना।

(छ) नत्य तथा नाटक के क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थानों को चलाना।

(2) ललित कला अकादमी

अकादमी के कार्यकलाप पेन्टिंग, मूर्तिकला और चित्रकला को प्रोत्साहन देना एवं उन्नत करना है। इसके मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :—

(क) भारत तथा विदेशों में भारतीय एव अन्तर्राष्ट्रीय कृतियों की प्रदर्शनियों का आयोजन।

(ख) प्राचीन एवं समकालीन भारतीय कला पर प्रकाशन प्रस्तुत करना।

(ग) मान्यता प्राप्त कला संगठनों को वित्तीय सहायता देना।

(घ) भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कला के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचारों के विनिमय के अवसर प्रदान करने के लिये लैक्चरों, सेमिनारों तथा सम्मेलनों का आयोजन।

(ङ) महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिये कलाकारों को मान्यता देना।

(च) संगीत नाटक अकादमी	26,23,217 रुपये
ललित कला अकादमी	15,12,000 रुपये

देश में नये होटल स्थापित करने की योजना

5875. **श्री शशि भूषण :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिये देश के विभिन्न भागों में नये होटल स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) क्या कुछ गैर-सरकारी पार्टियों ने नये पर्यटक होटल बनाने के लिए सरकार को अपनी योजनाएं प्रस्तुत की हैं, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उनको नये पर्यटक होटल बनाने की अनुमति दी है और यदि हां, तो वे कहां-कहां पर स्थापित किये जाएंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। चौथी योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम की जो कि सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक उपक्रम है, कलकत्ता विमानक्षेत्र, गुलमर्ग, औरंगाबाद और कोवालम में होटलों के निर्माण की योजना है। भारत पर्यटन विकास निगम ने बंगलौर में हाल ही में एक होटल का निर्माण-कार्य पूरा कर लिया है और यह होटल 1-5-1971 से खुल गया है; तथा इस वर्ष के उत्तरार्ध में नई दिल्ली में निगम का अकबर होटल खुल जायेगा। एयर-इण्डिया की भी बम्बई में दो होटलों के निर्माण की योजना है।

(ख) और (ग) जी हां, कई गैर-सरकारी पार्टियों ने अपने होटल प्रायोजनाओं के ावों को, उनका विदेशी पर्यटकों के लिये उपयुक्तता की दृष्टि से अनुमोदन कराने के लिये, न विभाग को पेश किया है और 67 प्रायोजनाओं को इस प्रकार का अनुमोदन प्रदान किया ुका है। ये प्रायोजनाएं जिन स्थानों पर स्थित होंगी उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है। अनुमान लगाया गया है कि इन सभी प्रायोजनाओं के पूरा होने पर वर्तमान होटल ा में 7000 कक्षों की और अभिवृद्धि हो जायेगी।

विवरण

स्थान	प्रायोजनाओं की संख्या
बम्बई	13
दिल्ली	5
कलकत्ता	5
मद्रास	7
आगरा	3
बंगलौर	3
जयपुर	3
लखनऊ	1
हैदराबाद	7
पूना	1
श्रीनगर	1
पटना	1
वाराणसी	1
औरंगाबाद	1
चण्डीगढ़	1
मंगलौर	1
विजयवाड़ा	1
गौहाटी	1
रामपुर	1
जोरहाट	1
घौंड़ा	1
जबलपुर	1
राजामुन्द्री	1
बड़ौदा	1
एलूरु	1
भावनगर	1
सलेम	1
तिरुपति	1
सिल्लीगुड़ी	1
	कुल 67

राष्ट्रीय राजपथों पर पड़ने वाले पुलों की मरम्मत

5876. **श्री के० स्वकप्पा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राष्ट्रीय राजपथों पर ऐसे पुलों की संख्या और नाम क्या हैं जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) क्या इन पुलों पर से काफी बोझ गुजरता है;

(ग) उनकी मरम्मत करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है. और

(घ) इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1971-72 में कितनी राशि नियत की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग पर 645 छोटे और बड़े पुल हैं जो कि अनुरक्षण की सन्तोषजनक स्थिति में नहीं हैं। वास्तव में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई देश में बहुत सी सड़कें पहले किसी रूप में केवल राज्यीय सड़कें थीं। इन पुलों की एक सूची संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 728/71)

(ख) प्रत्येक पुल की भार उठाये जाने की क्षमता के अनुसार, इन पुलों पर गुजरने वाले भार को राज्य सरकारों द्वारा नियमित किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये ये पुल चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये गये हैं। धन उपलब्धता के अनुसार इनका पुन:निर्माण क्रमानुसार योजना कार्य में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(घ) चालू वर्ष के बजट में मूल कार्यों तथा अनुरक्षण के लिये कुल 53.94 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इसमें से, संसद द्वारा पारित वोट-आन-अकाउंट के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिये अब तक 14.42 करोड़ रु० आवंटित किये गये हैं। इस स्थिति में इन प्रश्नगत पुलों का बदलना मरम्मत के लिये अलग से आवंटित राशि बताना सम्भव नहीं है।

Report regarding Admission to Colleges in Delhi by obtaining fake Scheduled Caste Certificates

5877. **Shri Chandra Shalani** : Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether the news item appearing on the front page of the Hindi daily "Nav Bharat Times" published from Delhi, in its issue dated the 7th July, 1971 is true that the caste Hindu students have managed to get admission into medical, Engineering and other colleges affiliated to Delhi University by obtaining fake Scheduled Caste certificates; and

(b) if so, the action taken to proposed to be taken against the said students and against the officers, who issued fake certificates to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri D. P. Yadav) : (a) The University of Delhi is not aware of any case of admission on the basis of a fake scheduled caste certificate.

(b) Does not arise.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का उत्थान

5878. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उत्थान के लिए कोई विशेष कार्यवाही करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) चतुर्थ योजना काल के दौरान पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अधीन 142·38 करोड़ रुपये लागत की विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रमुख योजनाओं की एक सूची संलग्न है। आशा है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने गैर-योजना बजटों में से इन वर्गों के कल्याण पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इनके अतिरिक्त उन्हें साधारणक्षेत्र कार्यक्रमों से भी लाभ मिलता है।

विवरण

राज्य क्षेत्र

1. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां और वजीफे।
2. ट्यूशन और परीक्षा फीसों से छूट।
3. शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था।
4. मध्याह्न भोजन की व्यवस्था।
5. आश्रम स्कूलों की स्थापना।
6. छात्रावासों और स्कूलों के भवनों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए अनुदान।
7. भूमि तथा सिंचाई की व्यवस्था।
8. बैलों, कृषि उपकरणों, बीज और खाद का प्रदाय।
9. कुटीर उद्योगों का विकास।
10. संचार साधनों का विकास।

11. सहकारिता ।
12. भूमि परिवर्ती खेती का उपनिवेषण ।
13. कुक्कुटों, भेड़ों, सूअरों, बकरियों इत्यादि का प्रदाय ।
14. चिकित्सा सुविधाए ।
15. पेय जल प्रदाय योजनाएं ।
16. भूमि स्थलों तथा मकानों की व्यवस्था ।
17. कानूनी सहायता ।
18. राज्य स्तर पर काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को सहायक अनुदान ।

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम

1. मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां ।
2. लड़कियों के छात्रावास ।
3. परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण ।
4. आदिम जाति विकास खण्ड ।
5. सहकारिता ।
6. अनुसंस्थान प्रशिक्षण और विशेष योजनाएं ।
7. गंदे व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को रहने-सहने और काम की परिस्थितियों में सुधार ।
8. कोचिन्ग एवं मार्गदर्शन परियोजनाएं ।
9. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में कल्याण कार्य करने वाले गैर-सरकारी अखिल भारतीय संगठनों को अनुदान ।

राजधानी में सड़क दुर्घटनाएं

5879. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में बिना लाइसेंस के ड्राइवरों संख्या अधिक होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी नहीं । 1-7-1970 से 30-6-1971 तक की अवधि के दौरान राजधानी में हुए 7,633 सड़क दुर्घटनाओं में से केवल 23 बिना लाइसेंस के ड्राइवरों से हुईं । ये भी केवल छोटे मामले थे जिनमें जान-माल की कोई हानि नहीं हुई ।

(ख) बिना लाइसेंस के व्यक्तियों द्वारा गाड़िया चलाने के विरुद्ध निरन्तर जांच करने के लिए यातायात पुलिस और परिवहन निदेशालय, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा विशेष धावे आयोजित किए जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू करना

5880. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अभी तक तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसे लागू करने में उत्तर प्रदेश के सामने आर्थिक कठिनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उसे दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). सितम्बर 1963 में उत्तर प्रदेश शासन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सूचित किया कि जब तक आवर्ती और अनावर्ती खर्चे को पूरा करने के लिए आयोग अथवा भारत सरकार 100 प्रतिशत अनुदान देना स्वीकार नहीं करेगी तब तक तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं होगा। आयोग ने मामले पर विचार किया और प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की। राज्य सरकार को, समिति के विचारार्थ योजना को कार्यान्वित करने की वित्तीय जिम्मेदारियां सूचित करने के लिए भी निवेदन किया गया। अनुस्मारकों के बावजूद कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और मामले पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्नातकोत्तर अध्यापक

5881. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सब विषयों में अलग-अलग स्नातकोत्तर अध्यापकों के कितने पद हैं;

(ख) उपरोक्त पदों में से विषयवार स्नातकोत्तर अध्यापकों के कितने पद स्थायी है;

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में स्नातकोत्तर अध्यापकों की विषयवार संख्या क्या है; और

(घ) स्थायी पदों पर काम कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के स्नातकोत्तर की संख्या क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ). दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने से पहले मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। रक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया गया है किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि रक्षा उत्पादन मंत्री ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देंगे। यह एक ऐसा मामला है जो देश की मूल रक्षा से सम्बन्धित है। रक्षा उत्पादन मंत्री को अपने अधिकार क्षेत्र के मामलों के सम्बन्ध में समान रूप से क्षमता है रक्षा मंत्री को इस सभा को इतने साधारण रूप से नहीं समझना चाहिए।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : ऐसा ही प्रश्न राज्य में भी है और उन्होंने अपने पारस्परिक कर्तव्यों का विभाजन किया है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : आपको सभा की प्रतिष्ठा बनाये रखनी चाहिये और ऐसे निदेश देने चाहिएं जिससे भविष्य में फिर से ऐसी बातें न हों। हम ही तो देश की रक्षा के लिए साधन जुटाने के लिए लोगों पर कर लगा रहे हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस सभा की प्राथमिकता है। मंत्री महोदय इस सभा के प्रति उत्तरदायी हैं न कि राज्य सभा के प्रति।

रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यदि इस प्रश्न पर सभा रक्षा मंत्री को सुनना चाहती है तो यह ध्यान आकर्षण बाद में दिन में लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यहां यह परम्परा रही है कि यदि वरिष्ठ मंत्री नहीं हैं तो कनिष्ठ मंत्री उत्तर देंगे। किन्तु इस मामले में यदि आप जोर देते हैं तो यह बाद में सोमवार को.... (व्यवधान) या आज ही बाद में लिया जा सकता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : आप इस सिद्धान्त की कि मंत्री इस सभा के प्रति उत्तरदायी हैं और इस सभा में उपस्थित होना उनका पहला दायित्व है, उपेक्षा करने हुए प्रतीत होते हैं। अगर हमें यह मालूम न होता कि मंत्री महोदय राज्य सभा में हैं तो श्री शुक्ल को ही सुनते। यह एक सिद्धान्त का मामला है जिसे अध्यक्ष महोदय को जो इस सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने जो कहा है उसका काफी महत्व है और मैं यह सरकार को कह दूंगा।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : आप माननीय रक्षा मंत्री को बुलायें।

अध्यक्ष महोदय : आखिर दोनों सभाओं में विषय एक ही है किसी न किसी ने यहां या वहां उत्तर देना है ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : यह मामला कब लिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसे पूर्व दृष्टान्त के रूप में नहीं लिया जायेगा । 3 बजे हमें गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेना है । क्या हम इसे 2.30 करें ।

श्री राज बहादुर : मैं यह कह दूंगा ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) नियम 377 के अन्तर्गत मैं निवेदन करता हूं कि ....

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ ।

श्री पी० के० देव : कल विशेषाधिकार प्रस्ताव पर आपके निर्णय का उचित सम्मान करते हुए ....

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने कोई निर्णय नहीं दिया ।

श्री पी० के० देव : पुलिस की अनियमितता है और इस सम्बन्ध में इस सभा का नाम नहीं लगाया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह अभी भी मेरे विचाराधीन है । मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । कृपया बैठ जाइए ।

श्री पी० के० देव : इसका सम्बन्ध ... .

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया बैठेंगे या नहीं ?

कल कुछ मतभेद हो गया था । मैंने यह लम्बित रखा है । मैंने सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक बुलायी है जिसमें नेता उपस्थित होंगे । मैं उनके सामने शाम को कुछ कठिनाई रखूंगा । बाद में हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री पी० के० देव : नियम 225 के अधीन आपके द्वारा अनुमति दे देने पर इसे लम्बित नहीं रखा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई अनुमति नहीं दी है । यह रिकार्ड नहीं होगा । वह मेरी अनुमति के बिना कह रहे हैं ।

श्री पी० के० देव : * * *

* * * रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैंने आपको दूसरे मामले के बारे में लिखा है। यह मंत्री द्वारा सभा के बाहर नीति सम्बन्धी वक्तव्य देने के बारे में है जबकि उसी विषय पर एक ध्यानाकर्षण सूचना गृहीत की जा चुकी है। बाद में मंत्री महोदय अथवा सरकार उन व्यक्तियों को नाम वापस लेने के लिए कहती है जिनके नामों का ध्यानाकर्षण सूचना के लिए बैलेट किया गया है किन्तु वे उनको राजी न कर सके जिन्होंने उसी विषय पर ध्यान आकर्षण की सूचना दी थी। यदि ये पांच व्यक्ति जिनके नामों का बैलेट किया गया है, यह अनुभव करते हैं कि वे अपने नाम वापस ले सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि उन दूसरे व्यक्तियों के नाम शामिल नहीं किए जा सकते हैं जिन्होंने भी उसी विषय पर ध्यानआकर्षण की सूचना दी थी।

जहां तक बैलेट करने तथा ध्यानआकर्षण का सम्बन्ध है प्रक्रिया भंग हुई है। और सरकार ने किसी विशेष विषय पर सभा के बाहर जब संसद का सत्र चल रहा हो, घोषणा करने के बारे में शिष्टाचार तथा औचित्य को भंग किया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर आश्चर्य हुआ। कल मैंने यह वक्तव्य पढ़ा और यह भी देखा है कि सदस्यों के नाम वापस लिए हैं।

श्री के० मनोहरन : आपके आश्चर्य करने से ही सब कुछ नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : नियमों में क्या समाधान है ? यदि नियमों के अन्तर्गत मेरा मार्गदर्शन किया जाए तो मैं उसे मानूंगा।

श्री पी० के० देव : उनके नाम कार्यसूची में आने चाहिए थे और उन्हें सभा में नाम वापस लेना चाहिए था।

श्री पीलू मोदी : आप न केवल प्रक्रिया भंग किए जाने के बारे में विचार करें किन्तु सरकार द्वारा की गयी अनुपयुक्तता के बारे में भी विचार करें और जैसा भी आवश्यक समझें कार्यवाही करें।

श्री पी० के० देव : यह नीति सम्बन्धी मामला है तथा सभा का सत्र चल रहा है अत: सरकार से इसका उत्तर मांगा जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब मुझे यह मालूम हुआ कि ध्यान आकर्षण सूचना कार्य सूची में नहीं है तो मुझे सन्देह हुआ क्योंकि मैंने उनका नाम सूचना-पट पर देखा था। फिर मुझे मालूम हुआ कि सरकार निश्चयपूर्वक कहना नहीं चाहती है और उन्होंने सदस्यों को मनाया अथवा निवेदन किया कि इसे वापस ले लें। हमारे नाम वापस लेने से कोई विरोध नहीं है किन्तु प्रश्न यह है कि वक्तव्य प्रेस को भी मिल गया कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को वहां प्रेक्षक रखने का प्रस्ताव रद्द

कर दिया है। उसके आधार पर मैंने, डा० रानेन सेन तथा अन्य सदस्यों द्वारा एक दूसरे ध्यान आकर्षण की सूचना दी क्योंकि हम सरकार को उनकी इस कार्यवाही के लिए बधाई देना चाहते थे। हम केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करना चाहते थे। दोनों देशों को समान ठहराने की संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई क्षमता नहीं है।

श्री पीलू मोदी : शिकायत का एक भाग स्पष्टत: सभा के विशेषाधिकार का मामला है और वह विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : कभी उनकी भी कठिनाइयां होती हैं और सूचना वापस लेने में कुछ भी गलत नहीं है। बशर्ते कि वक्तव्य साथ साथ न दिया गया हो। यदि वक्तव्य दिया ही जाना था तो वास्तव में स्थिति और भी बुरी हो जाती है। एक ओर तो सदस्य इसे वापस लेते हैं दूसरी ओर वक्तव्य दिया जाता है। इसके साथ साथ वक्तव्य दिये जाने से स्थिति गम्भीर हो जाती है। मैं इसका अध्ययन करूंगा। एक बार मैंने कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव गृहीत किया हैं और यह वापस लिया गया है तो मैं वही प्रस्ताव फिर गृहीत नहीं कर सकता।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : कुछ समय पहले श्री एस० एम० बनर्जी का नाम उसमें था किन्तु उन्होंने प्रश्न नहीं किया और इसे वापस ले लिया। अतः कोई भी वापस ले सकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : सदस्यों को वापस लेने का अधिकार है।

श्री जगन्नाथराव जोशी : मेरी समझ में नहीं आता कि उसमें क्या संशय है।

श्री समर गुह : मामला काफी गम्भीर हो गया है। ऊ थांट ने एक टिप्पण सभी बड़े राष्ट्रों के नाम भेजा है। यदि यह राष्ट्र के हित में है तो हम किसी प्रस्ताव को सभा में वापस लेने के लिए निश्चित रूप से सहमत होंगे। किन्तु इस का भेद खुल जाता है तो इसका भिन्न रूप हो जाता है।

श्री पी० के० देव : एक समझौते के सूत्र के रूप में, मेरा निवेदन है ... ...

अध्यक्ष महोदय : समझौते का कोई प्रश्न नहीं है। समझौते का प्रश्न तब है जब एक दल इधर हो और दूसरा उधर। मुझे भी कुछ मालूम नहीं हो रहा है कि क्या किया जाये। यदि वक्तव्य न दिया जाता तो मेरे लिए यह आसान हो जाता क्योंकि वह कहा जा सकता था कि यह राष्ट्रीय हित में है।

श्री पीलू मोदी : यह विशेषाधिकार का स्पष्ट मामला है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरी मद सभा-पटल पर रखे गये पत्र, लेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1034 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 722/71)

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : श्री के० एस० रामास्वामी की ओर से मैं गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित, बम्बई मद्य-निषेध, अधिनियम, 1949 की धारा 143 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति, सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) बम्बई सीरा (गुजरात संशोधन) नियम, 1971, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 25 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी/एच/एसएच-2688-एम-एल-एस-1069/9240-पी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मादक द्रव के रूप में प्रयोग के लिए अनुपयुक्त वस्तु (निर्माण और आयात) (संशोधन) विनियमन नियम, 1971, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 1971 में अधिसूचना संख्या जी एच एस—एच-2704-बी-पी-1270/13834 -पी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गुजरात औद्योगिक ऐल्कोहल (बन्ध में समुद्रपारीय निर्यात के लिए आयात, संग्रहण और बिक्री) (संशोधन) नियम, 1971, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी एच एस एच-2756-बी पी ए-1270-12232-पी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) गुजरात विकृतीकृत मद्यसारमय निर्मितियां (संशोधन) नियम, 1971 जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1991 में अधिसूचना जी एच एस एच-2848-बी पी ए-2670/109142-पी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अधिसूचना संख्या जीएच/एसएच/2855/बीपीए-1271/34196-पी, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1971 में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके

द्वारा गुजरात पोस्ता कैप्स्युल(संशोधन)नियम, 1967 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(छः) बम्बई विकृतिकृत स्पिरिट (गुजरात पहला संशोधन) नियम 1971, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 27 मई 1971 में अधिसूचना संख्या जीएचएसएच-2258 डीएनएस-1069-606000-पी में प्रकाशित हुये थे । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 723/71)

श्री डी० पी० यादव : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, के 1 जुलाई. 1967 से 31 मार्च, 1968 तक की अवधि के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा तत्संबंधी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 724/71)

(2) उपर्युक्त लेखे को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण स्पष्ट करने वाला तथा लेखे के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 725/71)

अध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि अपने श्री के० एस० रामास्वामी की ओर से एक पत्र सभा पटल पर रखा है । ऐसी स्थिति में मुझे सूचना भेजी जानी चाहिए । गत दो सप्ताह से आप यह कर रहे हैं । कल से मैं किसी भी मंत्री को तब तक दूसरे मंत्री की ओर से सभा पटल पर पत्र रखने की अनुमति नहीं दूंगा जब तक वे मुझे पहले सूचित नहीं करते हैं । मैं पिछले दो सप्ताह से इसकी उपेक्षा करता आ रहा हूं । भविष्य में इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

———

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : सोमवार 26 जुलाई, 1971 को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य के सम्बन्ध में घोषणा करने के लिए मैं उठा हूं । वह इस प्रकार होगा—

(1) आज की कार्यसूची में से बची सरकारी कार्य सम्बन्धी किसी भी मद पर विचार करेगा ।

(2) **विचार तथा पारित करना** :

वित्त (संख्या 2) विधेयक 1971 कृषि पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1971 ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) विधेयक, 1971 ।

(3) मैसूर राज्य विद्युत बोर्ड सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा ।

(4) रेलवे समिति के गठन अभिसमय सम्बन्धी संकल्पों पर चर्चा ।

(5) विचार तथा पारित करना : लोक परिसर (अप्रधिकृत अधिभोगियो की बेदखली) विधेयक, 1971,

अन्तर्राष्ट्रीय विमान पतन अधिकारी विधेयक, 1971.

गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति विधेयक 1971, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ।

गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्योजन) विधेयक, 1971, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ।

श्री पीलू मोदी : विवरण देख कर मुझे दुःख हुआ है कि मन्त्री महोदय ने स्थापित विधेयक शामिल नहीं किया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : कल हमने उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने की मांग की थी और आपने इसे कार्य मत्रणा समिती का प्रषित करने के लिए कहा था । इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए ।

दूसरे केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि चाहे कुछ विशिष्ट सीमा से सूचनाक बढ़ भी जाता है तो भी मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जायेगा । देश में इस कारण से केन्द्राय कर्मचारियों में असन्तोष फैल रहा है इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए ।

Shri Omkar Lal Berwa : I want to know whether any discussion will be held on the 14th and 15th report of the Commission of Scheduled castes and Scheduled Tribes which were presented at least a year ago.

Shri Raj Bahadur : It depends upon the availability of time and also on the Business Advisory Committee.

Shri Onkar Lal Berwa : I requested that these reports should be departed.

निदेश 115 के अधीन सदस्य द्वारा वक्तव्य

Statement by Member under Direction 115

कटक में आकाशवाणी केन्द्र के लिए भूमि

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : 8 जुलाई 1971 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्ध मे अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद के दौरान सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा था "कि उड़ीसा में दुर्भाग्यवश राज्य सरकार द्वारा उदासीन रवैया अपनाये जाने के

कारण हमारी विकास योजनाएं ठप्प हो गई हैं। उदाहरणार्थ, राज्य सरकार ने हमें आकाशवाणी केन्द्र की इमारत के निर्माण के लिए कटक में भूमि नहीं दी।"

15 जुलाई, 1971 को उड़ीसा विधान सभा में जब यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय के रूप में उठाया गया तो राजस्व विभाग मन्त्री ने कहा कि भूमि हस्तांतरण को शर्तों के अनुसार सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक को प्रारूप विलेख 10 फरवरी, 1971 को भेज दिया गया था। किन्तु वह दस्तावेज राज्य सरकार को 15 जुलाई, 1971 तक भी वापस नहीं लौटाया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि धन जमा कर दिया गया है और हस्तांतरण विलेख का प्रारूप स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मंत्रालय को भेजने हेतु आकाशवाणी, कटक के केन्द्र निदेशक को भेज दिया गया है, अत: केन्द्रीय डिवीजन के राजस्व डिविजनल आयुक्त, तथा कलेक्टर, कटक से मंत्रालय द्वारा पट्टा प्रारूप की शर्तों की स्वीकृति से पहले भूमि को केन्द्र निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया। मंत्री जी ने आगे कहा कि कटक के कलेक्टर ने आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक को पहले ही भूमि पर कब्जा करने का अनुरोध किया था किन्तु केन्द्र निदेशक ने सूचित किया कि कब्जा 18 जुलाई, 1971 को लिया जायेगा।

इस प्रकार मंत्री महोदय द्वारा राज्य सरकार पर उदासीनता का रवैया अपनाने का जो आरोप लगाया है, वास्तव में वह निराधार ही है। उड़ीसा सरकार भूमि को यथा संभव शीघ्र सूचना तथा प्रसारण मत्रालय को हस्तांतरित करने के लिए उत्सुक है ताकि कटक में आकाशवाणी केन्द्र का विस्तार हो सके। राज्य सरकार के विरुद्ध इस प्रकार के अपुष्ठ आरोप लगाने से केन्द्र राज्य सम्बन्धों में, जिनको बनाये रखने के हम उत्सुक रहते हैं, गड़बड़ी पैदा हो सकती है।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY THE MINISTER

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दनी सत्पथी) : श्री सुरेन्द्र महन्ती, संसद सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि मैंने 8 जुलाई, 1971 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान गलत विवरण दिया है। मेरे भाषण की वह अंश, जिसमें कथित गलत विवरण दिया गया है, इस प्रकार है :

> "उड़ीसा में दुर्भाग्यवश राज्य सरकार द्वारा असहयोग का रवैया अपनाये जाने के कारण हमारी विकास योजनाए ठप्प हो गई हैं। उदाहरणार्थ राज्य सरकार ने हमें कटक में आकाशवाणी केन्द्र के भवन के लिए भूमि का कब्जा नहीं दिया है।"

मेरा यह मत कटक में आकाशवाणी केन्द्र के भवन के लिए अपेक्षित भूमि का खाली कब्जा देने में राज्य सरकार द्वारा विलम्ब किये जाने के सम्बन्ध में उनके असहयोग के रवैये के बारे में था।

हमने उड़ीसा सरकार द्वारा सूचित किया गया भूमि का मूल्य स्वीकार किया और 16 फरवरी, 1971 को पूरा धन जमा कर दिया। हमने इस बात का भी अनुरोध किया कि हस्तांतरण विलेख को अन्तिम रूप दिये जाने तक भूमि हस्तांतरित कर दी जाये।

श्री महन्ती ने अपने वक्तव्य में मुख्यतः हस्तांतरण विलेख की स्वीकृति में लिए गए समय के बारे में कहा था। यद्यपि उनका मत सुसंगत नहीं है, क्योंकि भूमि का कब्जा देने के लिए विलेख की स्वीकृति की पूर्व शर्त नहीं थी। इसके प्रतिकूल राज्य सरकार ने अपने 24.3.71 के पत्र में स्पष्ट रूप से बताया था कि भूमि सम्बन्धी शर्तों को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व भूमि दे दी जायगी।

कटक के हमारे आकाशवाणी केन्द्र के निदेशक ने राज्य सरकार के स्थानीय अधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाया हुआ है। उनके द्वारा भरसक प्रयत्न किये जाने के बावजूद, मेरे द्वारा वक्तव्य दिये जाने के दिन तक वहां के आकाशवाणी केन्द्र के निदेशक भूमि का खाली कब्जा लेने में सफल नहीं हुए हैं। वास्तव में भूमि का खाली कब्जा आज तक भी नहीं दिया गया है।

भूमि का खाली कब्जा देने में राज्य सरकार की असफलता के कारण हैं—प्रथम राज्य सरकार के एक अधिकारी, एक सिविल सर्जन ने उस भूमि पर बनी इमारत के एक भाग पर कब्जा कर रखा है और दूसरा कारण है कि लोगों ने इस भूमि पर अन्य प्रकार से अतिक्रमण किया हुआ है।

अप्रैल में सिविल सर्जन द्वारा बंगला खाली करने के बाद राज्य सरकार ने केन्द्र निदेशक के 12.4.71 के लिखित अनुरोध के बावजूद की वह बंगला एक अन्य अधिकारी को अलाट कर दिया।

संसद में मेरे 8 जुलाई के वक्तव्य के पश्चात मुझे सूचित किया गया कि 10 जुलाई को राज्य सरकार के अधिकारी ने बंगला खाली कर दिया है और 17 जुलाई को अन्य अतिक्रमण भी हटाये गये हैं। यद्यपि राज्य सरकार ने आकाशवाणी केन्द्र के निदेशक को बता दिया है कि भूमि तभी दी जायेगी, जब वह हस्तांतरण की शर्तों का पालन करने का आश्वासन देंगे और सभी मामले जिनको राज्य सरकार जिस ढंग से भी अन्तिम रुप देगी, उन्हें वह मानेंगे। मैं इन संदेशे की पुष्टि तथा लिखित रूप में अग्रेतर विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रही हूं। राज्य सरकार ने पहले यह निर्णय किया था कि हस्तान्तरण की शर्तों के विचाराधीन होते हुए भूमि का कब्जा दे दिया जायेगा तथा उन्होंने इस निर्णय के बारे में सूचित कर दिया था। परन्तु अब राज्य सरकार हमें अपने पहले निर्णय से फिर गई है।

बाद में कुछ अन्य घटनाएं भी हुई हैं, परन्तु उनका उस वक्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो मैंने 8 जुलाई, 1971 को संसद के समक्ष दिया था।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री यादव।

ELECTION TO COMMITTEES

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा मन्त्रालय के संकल्प संख्या 11/1/67 सी ए आई (1), दिनांक 15 दिसम्बर, 1967 के पैराग्राफ 1 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन 31 दिसम्बर, 1971 तक केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शिक्षा मन्त्रालय के संकल्प संख्या 11/1/67 सी ए आई (1), दिनांक, 15 दिसम्बर, 1967 के पैराग्राफ 1 अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति में जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन 31 दिसम्बर, 1971 तक केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

भारतीय खान विद्यालय, धनबाद

श्री डी० पी० यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के नियमों और विनियमों के नियम 4 (दो) से (चार) और 15 में सम्मिलित उपबन्धों के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय खान विद्यालय, धनबाद की सामान्य परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के नियमों और विनियमों के नियम 4 (दो) से (चार) और 15 में सम्मिलित उपबन्धों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय खान विद्यालय, धनबाद की सामान्य परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

गुजरात विनियोग विधेयक
Gujarat Appropriation Bill

अध्यक्ष महोदय : अब हम पहले गुजरात विनियोग विधेयक और बाद में मैसूर विनियोग विधेयक पर विचार करेंगे। इन राज्यों के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा पहले हो चुकी है और यह एक औपचारिक कार्यवाही है। अब विनियोग विधेयकों के विभिन्न चरणों पर चर्चा होगी।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग के प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formulae and the Title were added to the Bill

श्री के० आरO गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

मैसूर विनियोग (संख्या २) विधेयक

MYSORE APPROPRIATION (No. 2) BILL

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए मैसूर की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग के प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये मैसूर की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

———

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए मैसूर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये मैसूर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 3, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए ।

Clauses 2, 3, the Schedule, Clause 1, the enacting Formulia and the Title were added to the Bill

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बिधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

———

पश्चिम बंगाल बजट

पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प और पश्चिम बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक ।

West Bengal Budget, statutory Resolution regarding Proclamation in relation to the State of West Bengal and West Bengal State Legislature (Delegation of Powers) Bill.

अध्यक्ष महोदय : अब हम पश्चिम बंगाल बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ करेंगे । मद संख्या 14 तथा 15 पर एक साथ चर्चा की जाएगी । इसके लिए 2 घंटे का समय रखा गया है और मैं इसे अपनी इच्छा पर 1 घंटा और बढ़ा सकता हूं । अत: यह समय 3 घंटे का है । बाद में विनियोग किया जाएगा और तत्पश्चात् पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प और पश्चिम बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक पर चर्चा की जाएगी । सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा ।

श्री समर गुह : क्या इन सभी मदों को एक साथ लिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 14 तथा 15 को एक साथ लिया जाएगा ।

श्री राजबहादुर : सभी को एक साथ लिया जा सकता है । इस प्रकार चर्चा के लिए अधिक स्वतन्त्रता होगी ।

अध्यक्ष महोदय : तब हम इन सब पर एक साथ चर्चा करेंगे ।

श्री समर गुह : चर्चा सामान्य रूप से होगी किन्तु मतदान अलग-अलग किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : हां, कुछ कटौती प्रस्ताव हैं । इन्हें पेश किया गया समझा जायेगा । यदि हमें इन सब पर विचार करना है तो मन्त्री जी को चाहिये कि वह इन प्रस्तावों को अपने नाम पर नियमित रूप से पेश करें ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मन्त्री श्री के० सी० पन्त कहां हैं ? इस मामले पर वह कार्यवाही कर रहे हैं । उन्हें यहां अवश्य उपस्थित होना चाहिए ।

श्री मनोरंजन हाजरा : पश्चिम बंगाल के लिए उनका रवैया असहानुभूतिपूर्ण है ।

पश्चिम बंगाल राज्य की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
2	1	श्री मनोरंजन हाजरा	समूचे पश्चिम बंगाल राज्य में बटाईदारों की बड़े पैमाने पर बेदखली	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
2	2	,, ,,	पश्चिम बंगाल सरकार के पास उपलब्ध फालतू भूमि को बांटने में विलम्ब।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जाएं।
3	3	,, ,,	उत्पादक शुल्क विभाग के चपरासियों के, जो बहु-प्रयोजनीय कर्तव्य करते हैं, वेतन और भत्तों को बढ़ाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जाएं।
12	4	,, ,,	सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में पक्षपातपूर्ण भावना को बदलने में असफलता।	,, ,,
13	5	,, ,,	जिन मामलों में लोग अन्त-र्ग्रस्त हों उनको निरन्तर परेशानी से बचाने में अस-फलता।	,, ,,
15	6	,, ,,	पश्चिम बंगाल में पुलिस, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस और सेवा के अत्याचारों को रोकने की आवश्यकता।	,, ,,

1	2	3	4	5
15	7	श्री मनोरंजन हाजरा	कांग्रेस दल के लाभार्थ बर्दवान में 12 पुलिस अधिकारियों को बरखास्त कर दिया जाना ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं ।
26	8	,, ,,	पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त तथा बन्द कारखानों को विशेषकर बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स श्री दुर्गा काटन तथा लक्ष्मीनारायण काटन मिल्स को पुनः चालू करने की आवश्यकता ।	,, ,,
26	9	,, ,,	पश्चिम बंगाल में कुटीर उद्योग को संरक्षण देने में आवश्यकता ।	,,
33	10	,, ,,	बाढ़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में विशेषकर आरामबाग उपमण्डल में कारगर उपाय करने में असफलता ।	,,
2	11	श्री दीनेन भट्टाचार्य	भूमि सुधार अधिनियम को जो बहुत पहले पास किया गया था, क्रियान्वित करने में असफलता ।	राशि घटाकर । रु कर दी जाए ।
2	12	,, ,,	बरगादारों और/अथवा बटाईदारों को हटाए जाने को पूरी तरह से बन्द करना ।	,,

1	2	3	4	5
5	13	श्री दीनेन भट्टाचार्य	विक्रय कर की स्रोत दर वसूली ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दो जाए ।
12	14	,, ,,	सत्ताधारी दल द्वारा दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप ।	,, ,,
13	15	,, ,,	विधि न्यायालय में मामलों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब ।	,, ,,
15	16	,, ,,	पुलिस को लोगों को बिना कारण सताने तथा रोकने के लिए अत्याधिक शक्तियां देना ।	,, ,,
15	17	,, ,,	जेल संहिता में कोई सुधार न करना ।	,, ,,
26	18	,, ,,	पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में रामपुरिया काटन मिल्स, बी.सी. नन, श्री दुर्गा, कनाड़िया एण्डस्ट्रीज और लक्ष्मी पैकेजिंग फैक्ट्री को फिर से खोलने की आवश्यकता ।	रानि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं
27	19	,, ,,	पश्चिम बंगाल के हथकरघा बुनकरों को नियन्त्रित कीमत पर सूत सप्लाई करने की आवश्यकता ।	
33	20	,, ,,	सरस्वती का, जो हुगली और हावड़ा से गुजरती है, खुदाई कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
37	21	श्री दीनेन भट्टाचार्य	सभी पुलिस स्टेशनों को सब-डिवीजनल न्यायालयों और निकटतम रेलवे स्टेशनों से पक्की सड़क द्वारा जोड़ने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं ।
37	22	,, ,,	पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों पर अधिक बसों को शुरू करने की आवश्यकता ।	,, ,,
37	23	,, ,,	हावड़ा आयता और हावड़ा शीखाला लाइट रेलवे के समानान्तर चलने वाली सड़कों को चौड़ा करने की आवश्यकता ।	,, ,,
20	24	श्री दिनेश जोरदर	24 परगना में सुन्दरवन में पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य केन्द्र, बिशेष रूप से सांप के काटने के उपचार के लिए, खोलने की आवश्यकता ।	,,
22	25	,, ,,	24 परगना में खारे पानी में धान की खेती करने के संबंध में अनुसंधान करने की आवश्यकता ।	,,
28	26	,, ,,	कृषि श्रम आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर विभिन्न कुटीर उद्योगों में कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
32	27	श्री दिनेश जोरदर	कृषि श्रमिक परिवारों को प्रत्येक परिवार के अनुसार की बजाय प्रत्येक सदस्य के अनुसार राशन कार्ड जारी करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जाएं ।
32	28	,, ,,	कृषि श्रमिक परिवारों को और अधिक रियायतों दर पर राशन देने की आवश्यकता ।	,, ,,
37	29	,, ,,	24 परगना में सन्दरवन में सड़क तथा जल परिवहन संबंधी आवश्यक निर्माण कार्यों को आरम्भ करने की आवश्यकता ।	,, ,,
37	30	,, ,,	नाव सेवा की सुविधा के लिए काकद्वीप के लिए हुगली में मिट्टी की अपेक्षित खुदाई शुरू करने तथा 24 परगना में काकद्वीप और सागरद्वीपों के बीच नाव सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता ।	,,

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्री के० सी० पन्त की ओर से मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूँ :

"यह सभा संविधान अनुच्छेद 356 के अधीन पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 29 जून, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : दूसरा भी ।

श्री राज बहादुर : मैं यह संकल्प भी पेश करता हूँ—

"पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में विधान मंडल द्वारा विधि बनाने की शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : हम इन पर एक साथ चर्चा करेंगे।

श्री सेझियान : मेरे विचार में ऐसे विधेयकों के सम्बन्ध में जो किसी मंत्री विशेष क नाम पर हों, अब तक मंत्री आपको पूर्व सूचना दें, तब तक यह प्रक्रिया ठीक नहीं जान पड़ती।

अध्यक्ष महोदय : यह इस सभा की सुविधा के लिए ही है और यह सभा की अनुमति से किया जा रहा है। यदि मुझे यह आभास होता कि आप सब इसके पक्ष में नहीं हैं तो मैं उन्हें ऐसा करने के लिये न कहता।

श्री सेझियान : नियम तो नियम ही है। इसको उदाहरण नहीं बना लेना चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिमी बंगाल बजट और विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूँ। राज्यपाल नें जो गलत रिपोर्ट भेजी थी, उसके आधार पर केन्द्र ने राष्ट्रपति को मंत्रीमंडल और विधान सभा को भंग करने का परामर्श दिया था जो कि एक अवैध कार्य था। यदि ऐसा किया भी गया था तो उचित यही था कि विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए कहा जाता। किन्तु ऐसा नहीं किया गया और हमारे ऊपर राष्ट्रपति शासन थोप दिया गया। क्या यह गणतन्त्र है या गणतन्त्र की हत्या ? क्या जनता के मत को यही सम्मान दिया जा रहा है ? जनता ने तो साम्यवादी दल (मार्क्सवाद) के पक्ष में भारी संख्या में मतदान दिया था।

राज्यपाल भली-भांति जानते थे कि विपक्षी दल सरकार बना सकते हैं। इसलिये उन्होंने जान-बूझ कर विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए नही कहा। ऐसी स्थिति में बजट नौकर-शाहों द्वारा शीघ्रतापूर्वक तैयार किया गया है जो न तो बंगाल की जनता के हित में है और न ही बंगाल की जनता द्वारा बनाया गया है। बंगाल की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी और वह उस के विरूद्ध संघर्ष करेगी जैसा कि वह केन्द्रीय बजट के साथ कर रही है जोकि एकाधिकार समर्थक और जनता विरोधी है और इसमें केवल धनवान लोगों के हितों को ही ध्यान में रखा गया है।

इस बजट में बंगाल की वर्तमान स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आधे पश्चिम बंगाल को बाढ़ से बहुत भारी क्षति पहुँची है। पिछले वर्ष बाढ़ से 60 करोड़ रुपए की फसल नष्ट हुई थी। जनता बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी कुछ कार्य करवाना चाहती है किन्तु बजट में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सरकार का कहना है कि वह बेरोजगारी को दूर करेगी और बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाएगी। किन्तु वास्तव में वह रोजगार के नाम पर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रही है। खाद्य विभाग में 400 रिक्तियाँ थीं किन्तु इनके लिए 4000 व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया गया।

केवल इतना ही नहीं; सत्तारूढ़ दल सर्वाधिक घृणित कार्य यह कर रहा है कि वह नव-युवकों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे कारखानों के द्वार पर जाकर प्रदर्शन करें और यह मांग करें कि इन कारखानों में जो बाहर के लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें काम से निकाल दिया जाए और उनके स्थान पर इन लोगों को नियुक्त कर लिया जाए। इस प्रकार सत्तारूढ़ कांग्रेस दल प्रान्तीयता की भावना को उभार रहा है।

यह आश्चर्य की बात है कि इस बजट की अवधि 31 मार्च, 1972 तक है। क्या इसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति शासन 31 मार्च 1972 तक लागू रहेगा? राष्ट्रपति शासनकी अवधि दिसम्बर में समाप्त होती है। अतः यह बजट भी 31 दिसम्बर तक ही होना चाहिए था। चुनाव कारवाने की घोषणा क्यों नहीं की जाती?

आप कहते हैं कि समूचे देश में स्थिति असामान्य है। ऐसा कहने से कोई लाभ नहीं। मंत्री महोदय को समूचे देश पर ध्यान देना चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है कि गत आम चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में लोगों ने मतदान केन्द्रों पर जाकर भारी संख्या में मतदान किया। यदि आप में लोकतंत्र की भावना है तो आपको शीघ्र चुनाव करवाने चाहिएं। इसके बाद किसी व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं होगी। यदि सरकार वास्तव में जनता की सहायता करना चाहती है तो उसे चुनाव के लिए निश्चित तिथि की घोषणा करनी चाहिए और जनता को आपने भाग्य का निर्णय करने देना चाहिए।

वर्ष 1968 में राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने के पश्चात् पश्चिम बंगाल में 400 कारखाने बन्द हो चुके हैं। यद्यपि सरकार वक्तव्य देती आ रही है किन्तु अभी तक एक भी कारखाना नहीं है। इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? सरकार कहती है कि उन्होंने औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना की है जो कि हमारे संकटग्रस्त और समाप्त प्राय उद्योगों को पुनर्जीवित करेगा। किन्तु निगम में जिस प्रकार के लोग निदेशक नियुक्त किये गये हैं उनसे किसी को भी यह आशा नहीं है कि यह निगम राज्य में उद्योगों को पुनः स्थापित कर सकेगा।

मैं नहीं जानता कि कुटीर उद्योगों के लिए बजट में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लाखों बुनकर हैं जो भूखे मर रहे हैं। न केवल हथकरघा बुनकर अपितु समूचे कुटीर उद्योग समाप्त हो रहे हैं। हम आशा करते थे कि इनके लिए कुछ किया जाएगा किन्तु इस मामले में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि कलकत्ता के विकास के लिए बजट में कुछ धनराशि अलग रखी गई है। किन्तु पश्चिमी बंगाल के सदस्य इस बात से भी सहमत होंगे कि धनराशि स्वीकृत

करने और लोगों के मन में आशाएं जागृत करने के पश्चात् भी कलकत्ता के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। सड़कों की वही बुरी हालत है। वर्षा के मौसम में हाबड़ा पुल के पार नहीं जाया जा सकता। निष्क्रमण लाइन के सम्बन्ध में दिया गया वचन तोड़ दिया गया है। कहा जाता है कलकत्ता में भूमिगत रेलवे लाइन बिछाने के सम्बन्ध में कुछ जांच की जा रही हैं। हम यह तमाशा पिछले 15 वर्षों से देखते आ रहे हैं। हम मन्त्री महोदय से स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं कि कलकत्ता में इस प्रकार की रेलवे लाइन की व्यवस्था की जाएगी अथवा नहीं। कलकत्ता की परिवहन समस्या अब चरम सीमा तक पहुँच चुकी है। अतः वहां भूमिगत अथवा वृत्ताकार रेलवे लाइन अवश्य होनी चाहिए।

नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि वे अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं दे सकतीं। पश्चिमी बंगाल में एक भी नगरपालिका ऐसी नहीं जिसकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो। इसीलिए वे पीने के पानी और जल निकासी जैसी प्राथमिक सुविधाओं की व्यवस्था भी नहीं कर पा रही है।

पंचायतों के सम्बन्ध में पिछले कई वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं। जिला परिषदों में भी कामकाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। सरकार को पंचायतों के चुनाव कराने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

प्रधान मन्त्री द्वारा हाल ही में पश्चिम बंगाल का कार्यभार श्री सिद्धार्थ शंकर राय को सौंपा गया है। यह संविधान के विरुद्ध है। जब राज्यपाल पहले से मौजूद हैं तो श्री राय को पश्चिमी बंगाल का कार्यभार सौंपना गैर-कानूनी अनुचित तथा पश्चिमी बंगाल की जनता की इच्छाओं के प्रतिकूल है।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : अध्यक्ष महोदय, राज्य में मार्क्सवादियों के हाथ में दो बार सत्ता आई है। 1967 और 1969 में उनकी सरकार बनी थी तथा उनके शासनकाल में राज्य को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सत्तारूढ़ होने पर उन्होंने एक क्रान्ति लाने का निर्णय किया था तथा क्रान्ति लाने के लिए समाज विरोधी तत्वों को चुना गया था। हमें खुशी है कि वे अब सत्ता में नहीं हैं।

राज्यपाल ने इस बात का अच्छी तरह पता लगा लिया था कि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और राज्यपाल द्वारा विधान सभा भंग किये जाने की बात का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं।

पश्चिम बंगाल की जनसंख्या पहले ही बहुत अधिक है। 1947 में इसकी जनसंख्या 1,80,00,000 थी जो 1971 में बढ़कर 5 करोड़ तक पहुंच गई है। इस सामान्य जनसंख्या के अतिरिक्त यहां 50 लाख लोग पूर्वी बंगाल से आ गए हैं और 80 लाख लोग अन्य प्रान्तों से यहां आकर बस गए हैं। खेती के लिये यहां बहुत कम भूमि उपलब्ध है। अतः वहां पर शान्ति

रखने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति पैदा की जानी चाहिए। यदि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये जायें तो वहां लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस तरह से वहां शान्ति कायम की जा सकती है।

पश्चिम बंगाल की स्थिति सुधारने के लिये कृषि क्षेत्र की ओर भी ध्यान देना होगा यहां 16 जिलों में से केवल तीन जिलों में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं। अन्य जिलों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। गंगा के पूर्वी क्षेत्र में सिंचाई की सम्भावनाएं बहुत कम हैं, परन्तु वहां गहरे नलकूप लगाये जा सकते हैं। नलकूपों से सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिये बिजली की जरूरत है। परन्तु पश्चिम बंगाल के बहुत कम भाग में बिजली उपलब्ध है। अतः हर गांव में बिजली पहुँचायी जानी चाहिए और किसानों को सिंचाई की सुविधायें दी जानी चाहिएं।

गत वर्ष पश्चिम बंगाल में भयंकर बाढ़ आई थी इस वर्ष हम उन्हें ऋण नहीं दे सकते। यदि कम आय वाले लोगों को कोई ऋण नहीं दिया गया तो उनके पास अपनी भूमि में खेती करने का कोई साधन नहीं है। ऋण की आवश्यकता जून के महीने में होती है। सरकार ऋण देगी, किन्तु इसका भुगतान अगस्त या सितम्बर में होगा। यदि भुगतान में विलम्ब किया जायेगा तो कृषि को हानि पहुंचेगी। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में ऐसे कदम उठाने चाहिये ताकि भुगतान में विलम्ब न हो।

यदि सरकार पश्चिम बंगाल में शांति लाने के लिये चिन्तित है तो रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये सभी तरह के उपाय किये जाने चाहियें।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर पश्चिम बंगाल विधान सभा के भंग करने के औचित्य के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया था। इसके बारे में मुझे यह कहना है कि राज्य पाल के पास विधान सभा को भंग करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

मैं यहां यह भी बता दूं कि लोकतंत्रीय संयुक्त सरकार ने कुछ अच्छे कार्य किये है। 1969-70 में आमूल भूमि सुधार सम्बन्धी कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया था किन्तु लोकतंत्रीय मोर्चा सरकार कुछ कर सकती थी। इस सरकार ने एक उपदान अध्यादेश जारी किया था। इसने बंद मिलों को चालू करने के लिए कुछ अच्छे उपायों की सिफारिश भी की थी।

पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत खराब है यह बताया गया है कि वहां बेरोजगारी और शरणार्थी समस्यायें बढ़ रही हैं और इनको बड़े साहस के साथ हल किया जाना है किन्तु वहां

प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है आतंक, हिंसा और हत्या के कारण। आज पश्चिम बंगाल में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा कोई भी राजनीतिक आन्दोलन नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि नेताओं को रक्षात्मक उपाय के रूप में पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है। उनके लिये सभायें आयोजित करना, बस्तियों में जाना बड़ा कठिन होता है। पुलिस भी उन्हें संरक्षण नहीं दे सकती है। अब समय आ गया है, जबकि हम इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। मैं अतीत के इतिहास की ओर नहीं जाना चाहता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है या व्यक्तिगत हत्या और आतंक की इस राजनीति को किसने शुरू किया है। अब प्रश्न यह है कि इस समस्या का हल कैसे किया जाये। इसके लिए मैं तीन बातों का सुझाव दूंगा। पहली बात यह है कि सभी दलों को और सरकार को राजनीतिक व्यक्तियों की हत्या और आतंकवाद से दूर रहना चाहिए। दूसरे, कुछ राजनीतिक दलों ने कुछ समाजविरोधी तत्वों को शरण दी है। इन सभी राजनीतिक दलों को खुलेआम सामने आकर इन समाज विरोधी तत्वों से अपने को अलग कर देना चाहिए। आज जो भी हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, वे अधिकांशत: राजनीतिक दलों द्वारा नहीं की जा रही हैं, अपितु समाज विरोधी तत्वों द्वारा की जा रही है जो स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। तीसरे, सभी राजनीतिक दलों को एक दृढ़ निर्णय लेना होगा और सभी हथियारों को त्यागकर इसका पालन करना होगा। खून के बदले खून सम्बन्धी सिद्धान्त का त्याग करना होगा। यदि हम ईमानदारी के साथ ऐसा सभी राजनीतिक दलों की सहायता से कर सकेंगे तो हम नक्सलवादियों के साथ बातचीत कर सकेंगे। कहा गया है कि इसके लिए नक्सलवादी सामने नहीं आएंगे। फिर भी इसके लिए दृढ़ निर्णय तो लेना ही होगा। जो नक्सलवादी हथियार सौंपने के लिए तैयार है, उनको दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

इसके साथ मैं यह भी सुझाव दूंगा कि कुछ आर्थिक कदम भी उठाये जाने होंगे। हमें यह बात याद रखनी है कि पश्चिम बंगाल, जो पहले बंगाल था, को युद्ध के दौरान, 1943 के अकाल के दौरान और विभाजन के दौरान काफी नुकसान हुआ था। आज राजनीतिक संघर्षों तथा हड़तालों के कारण उद्योग नष्ट होते जा रहे हैं। किन्तु इनके उत्पादन में गिरावट 1955-56 से शुरू हो गई थी। इसका हड़तालों तथा राजनीतिक संघर्षों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल की समस्याओं को अब ढंग से नहीं निपटाया है, जिस ढंग से इसे इनको निपटाना चाहिये था। केन्द्रीय सरकार को उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आरंभ होने के साथ ही आवश्यक कदम उठाने चाहिये थे। पश्चिम बंगाल में पहले आर्थिक स्थिति बिगड़ी उसके बाद राजनीतिक स्थिति बिगड़ी है।

अब मैं बजट के बारे में उल्लेख करता हूं। बजट में राज्य की समस्याओं को छुआ तक नहीं गया है। इसमें पूर्व अनुमानित 28·60 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में 19.34 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। नि:संदेह इसमें सुधार हुआ है। यह भी अच्छी बात है कि केन्द्र सरकार ने शरणार्थियों की भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिए 50

करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यह भी अच्छी बात है कि केन्द्र प्रायोजित कुछ योजनाओं पर भी कार्य हो रहा है और इनको केन्द्र से पूरी सहायता मिल रही है। किन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार ने राज्य की कठिनाइयों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है, अन्यथा चौथी पंचवर्षीय योजना में धन की अधिक व्यवस्था की जाती। पश्चिम बंगाल के साथ समुचित बर्ताव नहीं किया गया है और न आज किया ही जा रहा है। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं।

मैं यहां एक या दो विषयों को ओर लेता हूं। बजट में हल्दिया उर्वरक कारखाने के लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने उस दिन कलकत्ता में एक वक्तव्य दिया था कि हल्दिया में एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। किन्तु बजट पत्रों में इस सम्बन्ध में कुछ भी देखने को नहीं मिलता। हल्दिया पेट्रो रसायन और शिपयार्ड के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन की स्थिति क्या है? जब भारतीय पेट्रो-रसायन निगम को तमिलनाडु के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कहा गया है तो पश्चिमी बंगाल के लिए भी इस प्रकार की परियोजना क्यों तैयार नहीं की जा रही है?

अब यह अच्छी बात है कि शिक्षा पर होने वाला व्यय 1969-70 की तुलना में अधिक हो गया है। चिकित्सा, कृषि और मत्स्यपालन सम्बन्धी सुविधाओं पर होनेवाला व्यय भी बढ़ गया है। गांवों के लिए एक जोरदार कार्यक्रम हेतु जितने धन को व्यवस्था की गई है, वह अपर्याप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

डा० रामेन सेन : कृपया मुझे आप पांच मिनट और दीजिये। कम आय वाले लोगों के लिए मकान निर्माण हेतु भी बजट में कुछ धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। कलकत्ता नगर तथा उपनगर समेत पश्चिम बंगाल राज्य भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है।

लोक-स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिए धन की व्यवस्था में वृद्धि की गई है। किन्तु इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पश्चिम बगाल में गांवों तथा शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था न के बराबर है। इस तरह की व्यवस्था न तो कलकत्ता शहर में है और न नगरपालिका क्षेत्रों में।

बिजली उत्पादन के लिए भी बहुत कम धन की व्यवस्था की गई है।

अत: मैं कहता हूं कि इस बजट से लोगों की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकतीं।

* **श्री एस० के० सरकार** (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा में पेश किये गये पश्चिम

---

* बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

बंगाल बजट का समर्थन करता हूँ। परन्तु इसके बावजूद मैं यह कहूंगा कि यह बजट हमारी आशाओं के अनुकूल नहीं है।

पश्चिम बंगाल में व्याप्त घोर निर्धनता तथा राज्य के लोगों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने आशा की थी कि केन्द्रीय सरकार इस राज्य के साथ अधिक न्याय करेगी। यह भी आशा की थी कि विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल राज्य के लिए अधिक धन की व्यवस्था करेगी।

पश्चिम बंगाल बजट में 19.35 करोड़ रुपये का घाटा है। विरोधी दलों ने शिकायत की है कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल के प्रति अन्याय कर रही है। इस शिकायत में कुछ तथ्य है। देश के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब बंगला देश से आये शरणार्थियों के कारण एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः पश्चिम बंगाल की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार को इस राज्य के प्रति अधिक न्याय करना चाहिए था।

केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। यह सत्य नहीं है कि पश्चिम बंगाल में पिछली मिली-जुली सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं था। इस बजट में कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने को कोई महत्व नहीं दिया गया है। इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये। किन्तु बजट में किसी ऐसे साधन का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके द्वारा प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ बनाया जा सके।

हमारे एक मित्र ने पश्चिम बंगाल के पुलिस बजट में लगातार वृद्धि की आलोचना की है। परन्तु मेरे मित्र को यह मालूम होना चाहिए कि एक प्रगतिशील समाज में अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये और इस विचार से हमें पुलिस बजट में वृद्धि करनी पड़ती है।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में पुलिस की विफलता के बारे में शिकायत की है, परन्तु शायद उन्होंने उस विफलता के कारणों पर विचार नहीं किया है। आज भारत में पश्चिम बंगाल के पुलिसमैन सबसे अधिक असहाय हैं। पश्चिम बंगाल में एक पुलिसमैन डर के मारे अकेला बाजार नहीं जा सकता। इसी तरह वह अपने कार्यालय में अकेले जाने से डरता है वहां पर पुलिसमैनों की यह स्थिति है। सरकार को पलिसमैनों को आवश्यक सुविधाएं देने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि हम पश्चिम बंगाल पुलिस को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हमें उनको अधिक मंहगाई भत्ता तथा जीवन की आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिये। वहां की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए इस बजट में पुलिस विभाग के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये।

पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक तंत्र पूर्णत: समाप्त हो गया है। संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान वहां का प्रशासन राजनितिक घुस-पैठ का शिकार बन गया था। साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) तथा संयुक्त मोर्चा सरकार का मुख्य लक्ष्य यह था कि राज्य में प्रशासनिक तंत्र को समाप्त कर दिया जाये। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए दूसरी मोर्चा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि कर दी थी और वेतनों में की गई इस वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारी साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के प्रभाव में आ गये। केन्द्रीय सरकार को इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिये।

आज की चर्चा में पश्चिम बंगाल की आर्थिक समस्याओं का उल्लेख किया गया है। पश्चिम बंगाल की आर्थिक समस्याएं एक लम्बी अवधि से चली आ रही है। भूमि सुधार के नाम पर गत संयुक्त मोर्चा सरकार के कुछ सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में सबसे पहले अव्यवस्था पैदा की थी। दल के हितों को बढ़ाने के लिए कुछ सदस्यों ने भूमि सुधार आन्दोलन प्रारम्भ किया था। भूमि सुधार आन्दोलन के नाम पर वास्तव में उन्होंने भूमि हथियाओं आन्दोलन शुरू कर दिया था और इस आन्दोलन के द्वारा उन्होंने पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति को पूर्णतया अस्तव्यस्त कर दिया इस भूमि हथियाओं आन्दोलन के पीछे कोई स्पष्ट आधार नहीं था। इसका एकमात्र उद्देश्य दलहित को सुदृढ़ करना था।

भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार के पतन के पश्चात पश्चिम बंगल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और राष्ट्रपति के शासनकाल में वहाँ पर भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी किन्तु भूमि की जो अधिकतम सीमा निधारित की गई थी, वह वैज्ञानिक है? इस बात पर हमने कभी विचार नहीं किया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के जो उपाय किये गये हैं वे और कुछ नहीं बल्कि अवैज्ञानिक हैं और इससे वर्तमान आर्थिक प्रणाली में गुलामी की भावना पैदा हुई है।

पश्चिम बंगाल में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 1,34,000.00 एकड़ है। समूचे देश में 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। पश्चिम बंगाल में 57 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। किन्तु इन 57 प्रतिशत लोगों में से कई लोग भूमिहीन हैं। 1960 की जनगणना के अनुसार भूमिहीन किसानों की संख्या 1,02,94,200 है। यदि पांच सदस्यों का एक एकक माना जाये तो वहां पर 21 लाख परिवार होंगे। अब यदि हम प्रत्येक परिवार को 8 एकड़ की बजाय 4 बीघा भूमि दें तो हमें 1,40,000,00 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। परन्तु हमारे पास 1,34,000,00 एकड़ भूमि है। वहाँ पर भूमिहीन किसानों को फालतू भूमि देने के बाद भी 7 लाख एकड़ भूमि की कमी रहेगी। यदि हम 6 एकड़ प्रति परिवार के आधार पर बेनामी भूमि का वितरण करते हैं तब भी हमें फिर 44 लाख एकड़ भूमि की कमी रहेगी। अत: केवल भूमिहीन किसानों को ही भूमि देने से पश्चिम बंगाल की समस्या हल नहीं होगी। भूमि सुधार लागू करने से पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही है। अत: मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि केवल भूमि बांटने से ही पश्चिम बंगाल की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में वास्तव में अनाज की कोई कमी नहीं है। वहां अनाज की कृत्रिम कमी है जिसके

फलस्वरूप वहां पर राशनिंग पद्धति लागू की गई है। श्री पी० सी० सेन के समय पश्चिम बंगाल में अनाज के लिये एक उपद्रव हुआ था और उस उपद्रव में पुलिस की गोली से 99 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के कारणों की जांच करने के लिए लहीरी आयोग की नियुक्ति की थी। उस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि पश्चिम बंगाल में राशनिंग पद्धति लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं। राशनिंग पद्धति सभी बुराइयों की जड़ है। यह समाज में भ्रष्टाचार का कारण है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह पश्चिम बंगाल में वर्तमान भूमि सुधार के वैज्ञानिक आधार के बारे में जांच करे, अन्यथा वहां पर कृषि अर्थव्यवस्था को भारी धक्का पहुँचेगा। कृषि समूची अर्थव्यवस्था प्रणाली की नींव है। अत: कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट का अर्थ होगा समूची अर्थव्यवस्था प्रणाली का ठप्प होना। आजकल हम शिक्षित बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, परन्तु किसान वर्ष में 6 महीने बेकार रहते हैं। परन्तु उनकी समस्याओं के बारे में कोई नहीं सोचता।

गत दो वर्षों में पश्चिम बंगाल दो बार बाढ़ का शिकार रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई फसल पैदा नहीं होती। किन्तु सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिये कुछ नहीं किया है।

हमने मयूहाट जल निकास योजना और सुन्दरवन डेल्टा परियोजना के बारे में सुना है। मेरे एक पत्र के उत्तर में माननीय प्रधान मन्त्री ने लिखा था कि सुन्दरवन डेल्टा परियोजना को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। परन्तु अभी तक इस परियोजना के प्राथमिक कार्य को प्रारम्भ ही नहीं किया गया है।

पश्चिम बंगाल में सिंचाई सम्बन्धी बहुत सी समस्याएं हैं। सिंचाई और जल-निकासी दो भिन्न समस्याएं है। हम अभी तक पश्चिम बंगाल में सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 2 प्रतिशत भूमि में भी सिंचाई सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाये हैं। फरक्का बांध के बारे में सिंचाई मन्त्री ने हमें आश्वासन दिया था कि 40 हजार क्यूसेक जल को गंगा से भागीरथ चेनल के द्वारा सप्लाई किया जाएगा। इस आश्वासन को पूरा किया जाना चाहिए।

जहां तक पश्चिम बंगाल में उद्योगों का सम्बन्ध है, वहां पर बहुत से उद्योग बन्द हो गये हैं संयुक्त मोर्चा सरकार के भागीदार इन उद्योगों के बन्द होने के लिए बहुदा उत्तरदायी हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। आज समाजीकरण के नाम पर हमने नौकरशाही को अत्यधिक शक्तियां दे रखी हैं, और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में सभी उद्योग हानि उठा रहे हैं। इन उद्योगों को केवल 20 प्रतिशत कच्ची सामग्री सप्लाई की जाती है। वास्तव में कच्ची सामग्री की सप्लाई पर जे० पी० सी० तथा राज्य व्यापार निगम का नियन्त्रण है। इन संस्थाओं ने कच्ची सामग्री की सप्लाई के सम्बन्ध में जटिल प्रक्रियाएं अपना रखी हैं जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के उद्योग आज बन्द होने की स्थिति में आ गए हैं। सरकार को कच्ची सामग्री की

सप्लाई के बारे में अपनाई जा रही वर्तमान प्रक्रिया का सरलीकरण करना चाहिए।

सुन्दरवन क्षेत्र पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक उपेक्षित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में केवल एक फसल होती है। इस क्षेत्र में ज्वार-भाटा आने के कारण समुद्र के खारे पानी से भूमि की उर्वरता नष्ट हो गई है। इस क्षेत्र में जल विकास और सिंचाई के लिए उचित सुविधाएं भी नहीं हैं। आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि सुन्दरवन क्षेत्र के लोग इन दिनों वृक्षों की जड़ें खाकर गुजारा करते हैं। यह बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन लोगों के लिए कुछ करें।

मैं पश्चिम बंगाल बजट का समर्थन करता हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन का भी समर्थन करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, हम पश्चिम बंगाल बजट और 29 जून को पश्चिम बंगाल राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले अध्यादेश पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे विचार में 29, जून 1971 का दिन देश के संवैधानिक प्रक्रिया सम्बन्धी इतिहास में एक दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है क्योंकि यह दूसरा अवसर है जब केन्द्रीय सरकार ने अपने निरंकुश पक्षपातपूर्ण रवैये का प्रदर्शन कर पश्चिम बंगाल को सीधे अपने अधिकार में ले लिया था। मार्च, 1970 में जब पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तब चार-पांच महीने तक विधान सभा को भंग नहीं किया गया था। ऐसा किस लिए किया गया ? 1970 में तो राज्यपाल ने उसे भंग करना उचित नहीं समझा, किन्तु 1971 में उन्होंने ऐसा करना उचित समझा। श्री अजय मुखर्जी ने विधान सभा को भंग करने की सलाह देने का जो एकमात्र कारण प्रस्तुत किया था वह यह है कि विस्थापितों की समस्या गम्भीर हो गई है और उनकी देख-रेख सम्बन्धी समस्या से निपटने के लिए भारी बहुमत का होना आवश्यक है। यदि वह विस्थापितों की देख-रेख सम्बन्धी समस्या का समाधान करने में असमर्थ थे तो उन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिए था और न कि उन्हें राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सलाह देनी चाहिए थी। तथा अन्य दलों को सरकार बनाने के अवसर से वंचित नहीं करना चाहिए था। हमारे यहां किस प्रकार का संसदीय लोकतन्त्र है ? निस्सदेह केन्द्र की इच्छा के अनुसार ही ऐसा षडयन्त्र रचा गया।

यह खेद की बात है कि हमारे राज्यपाल केन्द्र की कठपुतली मात्र बनकर रह गये हैं। वे केन्द्र का निदेश पालन करने वाले महिमान्वित अवर सचिव मात्र बन गये हैं। स्वतन्त्रता के बाद जिन राजभवनों को हस्पतालों में बदला जाना चाहिए था वे इस समय सामन्तवादी शानोशौकत के प्रतीक बन गए है और षड्यन्त्र के केन्द्र बन गये हैं। इस समय ऐसी स्थिति है कि संविधान की अवहेलना की जा रही है। हर छोटे-मोटे बहाने पर राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाता है।

पश्चिम बंगाल सदा केन्द्र पर आश्रित रहा है और उसने उसके प्रति उपनिवेशवादी रवैया अपनाया है। जब से देश ने स्वतन्त्रता प्राप्त की है तब से केन्द्र ने पश्चिम बंगाल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। पश्चिम बंगाल की सामान्य जनता और पश्चिम बंगाल की भलाई चाहने

वाले सभी व्यक्तियों की यही शिकायत है। हमें एक लाख लोगों को रोजगार देने का वचन दिया गया था, किन्तु उन परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए वास्तव में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। पश्चिम बंगाल का भविष्य क्या है। हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। पश्चिम बंगाल की ऐसी स्थिति में लाने वाला कौन है? किसी राजनीतिक दल को भला-बुरा कहते रहने से कोई लाभ नहीं होगा उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। यह सही तरीका नहीं है। पश्चिम बंगाल की समस्या को राजनीति प्रचार का रूप देना और उसकी आज की स्थिति के लिये किसी राजनीति दल, विशेषकर साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल को उत्तरदायी ठहराने का प्रयास करना सत्तारूढ़ दल का फैशन-सा बन गया है।

आज स्थिति क्या है? पश्चिम बंगाल में हत्या की राजनीति अपनाई जा रही है उसे सत्तारुढ़ दल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य में कुछ विभिन्न प्रकार के लोगों ने एकजुट होकर मुस्लिम लीग को पुनः जीवित कर दिया है और विधान सभा में उनके सात सदस्यों में से तीन को मन्त्रालय का कार्यभार सौंपा गया।

गत आठ या नौ महीनों में बर्दवान शहर में साम्यवादी दल(मार्क्सवादी) के 14 व्यक्तियों की हत्या की गई। उन्होंने मरते समय प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के सामने अपराधियों के नाम तक बता दिये थे किन्तु उनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया यद्यपि उन्हें बर्दवान की गलियों में घूमते हुये देखा गया। जब कभी साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो क्या उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता? क्या उनका कोई परिवार नहीं होता? क्या उसकी मृत्यु का किसी को अनुभव नहीं होता? सांई बाजार वाले मामले में सभी को राजनीतिक विरोध के कारण पकड़ा जा रहा है। गत दिन अलादीपर में क्या हुआ? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस गांव को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। उनका तर्क यह था कि वे उस गांव में बन्दी अपने एक कार्यकर्ता को बचाना चाहते थे? क्या इस कार्य के लिए पांच या छः ट्रकों में भर कर लोगों को वहां ले जाना उचित था

श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण) : यह सर्वथा झूठ है। मैं इस बात से इंकार करता हूँ। तथ्य बताये जाएं और कोई बात छिपाई न जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे इस बात के बारे में जानकारी थी कि उस दिन बर्दवान में गड़बड़ी होगी। मैंने जिला मजिस्ट्रेट को तार भेजा था। मैंने पुलिस के महानिरीक्षक को टेलीफोन भी किया था कि बर्दवान में गड़बड़ी होने की आशंका है। मैंने एक दिन पहले सूचना दी थी। हुआ क्या? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पांच या छः ट्रक भर कर अपनी आम बैठक को समाप्त करके उस गांव में गये और साथ पेट्रोल ले गये। वहां पर झगड़ा हुआ और सारे गांव को भस्मसार कर दिया। अपराधियों में से किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, अपितु गांव वालों को गिरफ्तार किया गया। क्या इस तरीके से प्रशासन चलेगा। कालना में क्या हुआ? साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के एक सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता महादेव बनर्जी की निर्मम हत्या की गई। उसे छुरे से 65 घाव पहुंचे। उसे कालना स्टेशन के स्टेशन मास्टर के कमरे में मारा गया। जब वह स्टेशन

से निकल कर साइकिल रिक्शा में बैठ रहा था तो उस पर हमला किया गया। वह अपनी जान बचाने के लिए स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर भागा। उसका पीछा किया गया और उसको मार-मार कर उसकी हत्या की गई। वह भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के स्थानीय यूनिट के सचिव थे। मैं माननीय मंत्री से पूछता हूँ कि इस सम्बन्ध में किसे गिरफ्तार किया गया ?

सरकार को पश्चिम बंगाल अथवा वहां के लोगों को निम्न दर्जे का नहीं मानना चाहिए। यदि पश्चिम बंगाल के प्रशासन में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया तो सरकार को लोगों के सहयोग की आशा नहीं रखनी चाहिए। हम कानून तथा व्यवस्था की स्थिति सुधारना चाहते हैं। हम पश्चिम बंगाल का आर्थिक विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल फले-फूले।

प्रधान मंत्री ने 29 जून को संसद में घोषणा की थी कि केन्द्र का जिन मामलों में प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है उनकी देखभाल श्री सिद्धार्थ शंकर राय करेंगे। जहां तक उद्घोषणा का सम्बन्ध है, संविधान में इस बात का उपबन्ध है कि प्रशासन चलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वह राज्यपाल की शक्तियों का प्रत्यायोजन करता है। किन्तु संविधान के अन्तर्गत केन्द्र के किसी मंत्री की राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन की देखभाल के लिए नियुक्ति का कोई उपबन्ध नहीं है। यह सम्भव नहीं है। ऐसा करने का अभिप्राय राष्ट्रपति की शक्तियों का किसी विशेष मंत्री द्वारा अनुचित उपयोग माना जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल की समस्याओं का एकमात्र हल यह है कि सरकार को यहीं और अभी यह घोषणा करनी चाहिए कि उद्घोषणा 30 नवम्बर के बाद जारी नहीं रहेगी। इसके लिए मैंने एक संशोधन पेश किया है। चुनाव यथा शीघ्र कराये जाने चाहिए।

*श्री डी० एन० महाता (पुरूलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिम बंगाल बजट का समर्थन करता हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले अध्यादेश का समर्थन करता हूं। हमें 1967 में पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन का कटु अनुभव है जबकि सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से पुलिस कर्मचारी, अप्रभावी बनाये गये। अतः राज्य में व्यापक अशान्ति तथा अव्यवस्था है।

पश्चिम बंगाल में गाँवों में किसानों के आन्दोलन के नाम पर व्यापक हत्याएं तथा लूट-पाट की गई। एक बार पुरुलिया जिले में साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ता एक व्यक्ति की खड़ी फसल काट रहे थे। गांव वालों ने उसको ऐसा करने से रोका। परिणामस्वरूप वहां पर

* बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Bangali.

झगड़ा हुआ। साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का एक कार्यकर्ता मारा गया। इस घटना के बाद किसान आन्दोलन समाप्त हो गया। अतः इस तरह से पुरूलिया जिले में साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ताओं ने आतंक मचा रखा है और गांवों के लोगों को अपनी भूमि अथवा खड़ी फसल से वंचित होने का निरन्तर डर बना हुआ है।

पहले कुछ राजनीति दलों की श्रमिक आन्दोलनों में रुचि थी। श्रमिक आन्दोलनों के माध्यम से उन्होंने कई लोगों को अपने गुट में शामिल किया। अब वे किसानों को अपने राजनीतिक प्रभाव में लाने के लिये अपना ध्यान किसान आन्दोलन की ओर ले गये हैं। अतः हमें किसान आन्दोलनों के बारे में सजग होना चाहिए।

भारत के किसी भाग में भी मिली-जुली सरकारें स्थायी सिद्ध नहीं हुई हैं। देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में मिली-जुली सरकारें हमेशा असफल रहेंगी।

पश्चिम बंगाल में आज बड़ी संख्या में हत्याएं की जा रही हैं और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित अनुभव नहीं करता है। किसी भी समय उसकी हत्या हो सकती है। पहले बमों और तलवारों का प्रयोग किया जाता था, किन्तु अब बन्दूकें खुले रूप से प्रयोग की जा रही हैं।

जब तक पश्चिम बंगाल में जीवन की सुरक्षा नहीं होती तब तक वहां लोगों के कल्याण सम्बन्धी कोई भी कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय सरकार ने अब राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया है। श्री सिद्धार्थ शंकर राय पश्चिम बंगाल के मामलों के प्रभारी मन्त्री हैं। हमें आशा है कि केन्द्रीय सरकार की निगरानी में पश्चिम बंगाल में शान्ति तथा व्यवस्था बनाई रखी जा सकेगी।

हमें खाना मिले अथवा नहीं, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल में शान्ति कायम की जाये। केन्द्रीय सरकार द्वारा ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् इस राज्य में शान्ति और व्यवस्था कायम करने के उपायों को ढूंढ निकालने के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

मेरे कुछ मित्रों ने पश्चिम बंगाल में चुनाव शीघ्र कराने की दलील दी है। परन्तु उन्हें स्मरण रहे कि हमारा दल चुनावों से डरने वाला नहीं। 1967 के चुनाव में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ने विधान सभा में 55 स्थान जीते थे। इनमें चुनाव के लिए बहुत अधिक उम्मीदवार खड़े नहीं किये थे। 1971 के चुनाव में कांग्रेस (सत्तारूढ़) को 105 स्थान प्राप्त हुए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आप अपना भाषण पुनः जारी रख सकते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान वायुयान द्वारा भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर रक्षा-मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

पाकिस्तानी वायु सेना के दो मिराज वायुयानों की श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ान का समाचार।

श्री जगजीवन राम : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तानी वायुसेना के दो विमानों ने 20 जुलाई 1971 को लगभग 1 बजे (दोपहर) में काश्मीर घाटी के ऊपर भारतीय वायु क्षेत्र का अतिक्रमण किया। एक दूसरा अतिक्रमण जम्मू के ऊपर में 21 जुलाई को लगभग उसी समय हुआ। हमारी प्रेक्षण व्यवस्था द्वारा पाकिस्तानी वायुयानों को देख लिया गया था।

2. पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों द्वारा भारतीय वायु क्षेत्र का यह अतिक्रमण स्पष्ट और संकलपित है। सरकार इन अतिक्रमणों को गंभीर समझती है और पाकिस्तान सरकार से कड़े विरोध प्रकट कर दिये गए हैं। और यह मांग की गई है कि वे ऐसे अतिक्रमणों के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कारगर कार्यवाही करे। भारत सरकार पाकिस्तान सरकार को इन अक्रामक कार्यवाहियों के फलस्वरूप होने वाले परिणामों के लिए पूर्णत: उत्तरदायी ठहराती है।

3. जैसा कि सदन को मालूम है, श्रीनगर हवाई अड्डा मुख्यत: असैनिक कार्यों के लिए व्यवहार में लाया जा रहा है। असैनिक विमानों के प्रति हमारा दायित्व हम पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। पाकिस्तान की भड़काने वाली कार्यवाहियों एवं धमकियों का सामना करने के लिए समुचित कार्यवाही की गई है। मुझे आशा है कि सदन मुझे इस विषय पर और विस्तार से कहने के लिए इच्छा प्रकट नहीं करेगा। और यह भी समझा जायगा कि एक विस्तृत विचार-विनिमय हमारे हित की अपेक्षा दूसरों के हित में होगा।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : माननीय मन्त्री ने राष्ट्रहित की बात कहकर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। माननीय मन्त्री ने कहा है कि अगर भारत पर आक्रमण हुआ तो देश उसका मुकाबला करने में किसी तरह से पीछे नहीं रहेगा। अब मैं उस सन्दर्भ में पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान वायुयान द्वारा भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण भारत की सुरक्षा सम्बन्धी प्रणाली की परीक्षा के लिए किया गया था और क्या हमारी प्रेक्षण प्रणाली को इसका पता चल सका था ?

पाकिस्तान ने 1965 के संघर्ष के दौरान भी इस तरह की कुछ उड़ानें की थीं जिनका हमारी प्रेक्षण प्रणाली को पता नहीं चला था। अरब-इसराइल युद्ध में भी इस की उड़ानें हुई थीं। पाकिस्तान उसी तरह के दांव पेच दिखला रहा है। क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि हम इस तरह के अचानक हवाई हमलों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं?

श्री जगजीवन राम : पाकिस्तान धोखा देने वाली कार्यवाहियां कर सकता है। इसमें सन्देह नहीं। चूंकि बंगला देश में स्वतन्त्रता सेनानियों का दबाव पाकिस्तानी सेना पर बढ़ रहा है, चूंकि स्वतन्त्रता सेनानी छापामार युद्ध द्वारा बंगला देश में पाकिस्तानी सेना का ठहरना मुश्किल कर रहे हैं। अतः राष्ट्रपति याहिया खां का मानसिक सन्तुलन खराब हो गया है। इसलिये वह युद्ध की धमकी और इसी तरह की बातें कर रहे हैं।

पाकिस्तान के इन विमानों द्वारा हमारी वायुसीमा का अतिक्रमण करने की घटना का पता हमारी प्रेक्षण प्रणाली को चल गया था। अतः हमारी प्रेक्षण प्रणाली का कोई दोष नहीं है।

हमने एहतियाती कदम उठाये हैं और हमारी भूमि तथा वायु रक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सुदृढ़ बनाई जा रही है। हमारे हाल ही के प्रबन्ध के साथ ही साथ सशस्त्र सेनाओं को पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से लैस किया गया है। हमारी वायु सेना की शक्ति और कार्यकुशलता बढ़ गई है। किन्तु पाकिस्तान और चीन से हमारी सीमाओं पर निरन्तर खतरे को देखते हुए हमें निरन्तर यह प्रयास करना है कि हम दोनों क्षेत्रों में अपनी पूरी तैयारी करें। जब हमारी सुरक्षा को चुनौती दी जायगी तब हम उसका मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे और इन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : 20 तथा 21 जुलाई को पाकिस्तानी वायुयानों द्वारा हमारी भारतीय वायुसीमा के अतिमक्रण किये गये वह नये नहीं हैं। 25 मार्च और 24 मई के बीच पाकिस्तान ने 16 बार भारतीय वायुसीमा का अतिक्रमण किया है। जून और जुलाई में भी अतिक्रमण हुए होंगे। हम जानते हैं कि हमारी सैन्य तथा वायु शक्ति पाकिस्तान से अधिक है। किन्तु संयुक्त अरब गणराज्य की भी शक्ति इजराइल से अधिक थी परन्तु इजराइल की इलैक्ट्रोनिक प्रणाली संयुक्त अरब गणराज्य प्रेक्षण प्रणाली को जाम कर किया और युद्ध पहले एक दो घन्टों के दौरान अरब की समस्त वायुशक्ति नष्ट कर दी गई। और तब पांच दिन संयुक्त अरब गणराज्य को वायु शक्ति के बिना ही लड़ना पड़ा और परिणाम स्वरूप संयुक्त अरब गणराज्य को भारी क्षति उठानी पड़ी। क्या पाकिस्तान ने भी ऐसी किसी इलैक्ट्रोनिक प्रणाली की सहायता से हमारी प्रेक्षण प्रणाली का चलना बन्द कर दिया है? अगर प्रेक्षण प्रणाली से पता चल गया था तो उसे क्यों नहीं मार-गिराया गया? क्या हमारी वायुसेना को इस तरह के विमानों को न मार-गिराने का कोई निर्देश दिया गया था?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्यों ने अनेक प्रश्न उठाये हैं। किन्तु मेरी कुछ सीमायें हैं। मैं शायद सब का उत्तर नहीं दे सकता। ऐसा करने के स्पष्ट कारण है।

पाकिस्तानी विमान जिस समय हमारी सीमा में घुसे थे, उसी समय उन्हें देखा गया था। मैं इस मामले में अधिक विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता। मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी रक्षा-तैयारी निरन्तर हो रही है। हमने अपनी वायुसेना की शक्ति बढ़ा दी है और संयुक्त अरब गणराज्य तथा इजराइल की तुलना हमारे मामले मे नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे जवानों और सैनिक अधिकारियों की कुशलता और युद्ध दक्षता सर्वविदित है। इस वर्ष 22 जुलाई तक पाकिस्तानी विमानों ने 43 बार हमारी वायुसीमा का उल्लंघन किया है।

श्री विक्रम चन्द महाजन (कांगड़ा) : इस समय हमारा देश संकट की स्थिति से गुजर रहा है और लोगों में विश्वास उत्पन्न करना आवश्यक है ताकि हमारे देश को चीन और पाकिस्तान से जो खतरा है उसका सामना किया जा सके। राष्ट्रपति याहिया खां बार-बार लड़ाई की धमकियां दे रहे हैं। चीन पाकिस्तान की सात नई डिविजनों को ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान खाइयां खोद रहा है। उसे हथियार दिये जा रहे हैं। इस तथा बंगला देश के सन्दर्भ में क्या पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसीमा का उल्लंघन गम्भीर घटना नही है।

इतिहास साक्षी है कि उदारता का व्यवहार हमारे राष्ट्र के हित में कभी नहीं रहा। हमें पाकिस्तानी विमानों को मार गिराना चाहिए था। हम उनके विमानों को चाहे वापस जाने दें परन्तु यदि हमारा विमान पाकिस्तानी सीमा में चला गया तो वह कभी उसे वापस नहीं आने देंगे। क्या आप सदन को आश्वासन देंगे कि अगर पाकिस्तान के किसी विमान ने भविष्य में कभी भारतीय वायुसीमा का उल्लंघन किया तो उसे मार गिराया जाएगा।

श्री जगजीवन राम : जैसे ही पाकिस्तानी विमानों द्वारा अपनी वायुसीमा के उल्लंघन की घटना मैंने सुनी, मैंने सेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष तथा नौसेनाध्यक्ष के साथ बातचीत की। इसमें मशीन अथवा व्यक्ति किसी ओर से भी गलती नहीं हुई है। मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यह अनुदेश दिये जायेंगे कि यदि इस तरह का अतिक्रमण भविष्य में हो तो इस विमान को मार गिराने की कोशिश की जानी चाहिये।

पाकिस्तान द्वारा सीमा पर जोरदार तैयारियां की जा रही है, वहां बंकरों की मरम्मत की जा रही है, खाइयां खोदी जा रही हैं तथा विविध प्रकार के युद्धाभ्यास किये जा रहे हैं। हमने भी रक्षा की तैयारियां करने के लिये इन सभी बातों पर विचार किया है।

श्री रण बहादुर सिंह (सिधी) : आठ मिनट तक पाकिस्तानी वायुयान श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ता रहा किन्तु उसे मारकर गिराया नहीं गया। इस तरह का उदार रवैया भारत को नहीं अपनाना चाहिये। पाकिस्तान में अगर हमारा वायुयान चला जाये तो वह उसे अवश्य मार

गिरायेंगे। माननीय मन्त्री का यह आश्वासन देना चाहिए कि जब पुनः पाकिस्तान का वायुयान भारतीय वायुसीमा का अतिक्रमण करे तो विरोध-पत्र भेजने के स्थान पर उस विमान को मार गिराया जायेगा।

राष्ट्रपति याहिया खां ने युद्ध की धमकी दी है और यह धमकी देते हुये उन्होंने कहा है "संसार को यह जान लेना चाहिये"। क्या यह हमें सुनहरी अवसर नहीं मिला था कि हम विमानों को गिराकर संसार भर को बता देते कि हम विस्थापितों को मानवता के नाते शरण दे रहे हैं वरना सैनिक शक्ति में हम किसी से कम नहीं हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस इलैक्ट्रानिक उपकरणों के युग में भी व्यक्ति का मूल्य कतई कम नहीं हुआ है। अतः कभी यदि प्रेक्षण प्रणाली असफल हो जाय तो हमें अपनी सीमाओं पर कुछ ऐसी प्रणाली लागू करनी चाहिये जिसमें व्यक्तियों को लगाया जा सके।

श्री जगजीवन राम : जहाँ तक प्रेक्षण प्रणाली का सम्बन्ध है, हमारा देश इस सम्बन्ध में पूर्णतया तैयार है और हम इसे थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सशस्त्र सेनाओं के लिए आधुनिक उपकरण सप्लाई करने के मार्ग में किसी अन्य बात के बाधक बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

स्वतन्त्रता सेनानी (सेवाओं की सराहना) विधेयक

FREEDOM FIGHTERS (APPRECIATION OF SERVICES) BILL

श्री सक्सेना (महाराजगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वतन्त्रता सेनानियों की सेवाओं की सराहना करते हुये उन्हें राज्य द्वारा सम्मानित करने वाले विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि स्वतन्त्रता सेनानियों की सेवाओं की सराहना करते हुए उन्हें राज्य द्वारा सम्मानित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री शिब्बन लाल सक्सेना : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

चीनी उद्योग के लिए दूसरे मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें विधेयक

SECOND WAGE BOARD RECOMMENDATIONS FOR SUGAR INDUSTRY BILL

श्री डी. के. पंडा (भजनागर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चीनी उद्योग के लिये दूसरे मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित करने तथा देश में चीनी उद्योग में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से उन्हें सांविधिक बनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि चीनी उद्योग के लिए दूसरे मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित करने तथा देश में चीनी उद्योग में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से इन्हें सांविधिक बनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री डी. के. पांडे : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

आयुध (संशोधन) विधेयक

ARMS (AMENDMENT) BILL

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Arms Act, 1959.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि आयुध अधिनियम, 1959 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Dr. Laxminarain Pandey : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 58, 66 आदि का संशोधन)

श्री चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुर. स्थापित करता हूं।

उपहार-कर (संशोधन) विधेयक जारी
GIFT-TAX (AMENDMENT) BILL CONTD.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जहां तक श्री सामन्त के उपहार-कर के लिए मध्यस्थता सम्बन्धी प्रक्रिया को समाप्त करने वाले विधेयक के खण्ड 3 का सम्बन्ध है, सरकार ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है और इसे प्रस्तावित कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक में शामिल कर लिया जायेगा। इसे इस सभा में पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई है। अत: श्री सामन्त से अपना विधेयक वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : जब कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति मेरे विधेयक पर विचार में व्यस्त थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। मैं सरकार से उन सदस्यों को बुलाने का अनुरोध करूंगा जिन सदस्यों के विधेयकों पर सरकार, प्रवर समिति या सरकार द्वारा गठित किसी अन्य समिति द्वारा विचार किया जाता है।

अब जबकि सरकार विधेयक पर पुनर्विचार कर रही है तो माननीय मन्त्री ने मुझे कहा है कि मैं अपने विधेयक को इस सभा द्वारा स्वीकृति के लिये जोर न दूं।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The Bill was, by leave, withdrawn

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक
INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

श्री एस० सी० सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अन्तर्गत आत्महत्या करने का प्रयत्न करना एक अपराध है और ऐसा अपराध करने सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही दंडनीय है। वर्तमान संशोधन

का अभिप्राय एक ऐसा उपबन्ध करना है ताकि किसी गुप्त प्रयोजन को लेकर भूख-हड़ताल अथवा अनशन करने वाले को उचित दण्ड दिया जा सके और उसके विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही की जा सके ।

इस विधेयक को प्रस्तुत करने का कारण यह है कि आत्महत्या करना भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत पहले से ही एक दंडनीय अपराध है और यदि यह दंडनीय है तो ऐसे लोगों को, जो भूख-हड़ताल करके दूसरे लोगों को अपनी मांगें स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं नहीं तो स्वयं मर जाते हैं, क्यों न दंड दिया जाना चाहिये । वर्तमान में ऐसा करना अपराध नहीं है या तो धारा 309 को समाप्त किया जाना चाहिए या भूख-हड़ताल सम्बन्धी कार्य को इसमें शामिल किया जाना चाहिए ।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari on the Chair]

एक व्यक्ति ने यह घोषणा की कि जब तक उसकी कतिपय मांगें स्वीकार नहीं की जातीं तब तक वह आमरण अनशन करेगा जहां तक उसके अनशन के आशय की घोषणा का सम्बन्ध है, यह आत्म-हत्या करने का प्रयत्न नहीं है, परन्तु जब वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी स्थान पर धरना देता है तो यह अपराध की भावना है तथा अपराध की सिद्धी है । अत: ऐसा करना अपराध समझा जाना चाहिए ।

यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के उपबन्धों में समुचित संशोधन नहीं किए जाते हैं तो यह अपराध भविष्य में भी होता रहेगा और सम्बन्धित व्यक्ति सजा से बचता रहेगा ।

यदा कदा अक्सर ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर लोग आमरण अनशन करने की धमकी देते हैं और कभी-कभी अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए धरना देते हैं चाहे वे मांगें तुच्छ अथवा बड़ी ही क्यों न हों । इस प्रकार आत्म-हत्या करने का प्रयत्न सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों द्वारा अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिए । इस प्रकार के अपराधों की ओर भी अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए ।

या तो आत्महत्या करने के सभी प्रयत्नों को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त रखा जाना चाहिए या आत्महत्या के इस विशेष प्रकार के प्रयत्न को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए ताकि अपराधी दंड से बच न सके ।

ये मामले धारा 309 के अन्तर्गत पहले ही आ चुके हैं । किन्तु आत्महत्या करने का एक नया तरीका सामने आ रहा है । यह किसी न किसी उद्देश्य से एक धमकी या आमरण अनशन है ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

"कि विधेयक को 30 अक्तूबर, 1971 तक राय डालने के प्रयोजन के लिये परिचालित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव और संशोधन दोनों सभा के समक्ष हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : श्री सामन्त भूख हड़ताल को धारा 309 के अन्तर्गत लाना चाहते हैं । महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और भूख हड़ताल शुरू की थी । यदि भूख हड़ताल करने वाला व्यक्ति दोषी पाया जाये, तो उसे अवश्य ही दंड दिया जाना चाहिए । मेरे विचार में अनशन या भूख हड़ताल करने वाले सभी व्यक्ति दोषी नहीं होते हैं ।

लोकतन्त्र में संख्या का महत्व होता है । यहां तक कि यदि अल्पसंख्यकों का कारण उचित है, तो भी वह असफल हो जायगा, क्यों कि उनकी संख्या कम है । उन्हें न्याय प्राप्त करने के लिए अनशन या भूख हड़ताल करनी पड़ती है । ऐसा विशेषकर श्रमिक संघों में होता है । कर्मचारियों को नियोजकों से न्याय प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल करने के लिये विवश होना पड़ता है । यदि इस धारा 309 के अन्तर्गत लाया जाता है तो भूख हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को सजा हो सकती है । मैं समझता हूं कि प्रस्तावक का आशय यह नहीं होता है । अतः मैं विधेयक का विरोध करता हूं ।

Shri M. C. Daga (Pali) : Mr. Chairman, the object of the present Bill is to bring hunger strike or fast upto death within the ambit of Section 309 of Indian Penal Code. To go on hunger strike is not an offence. But if a hunger striker openly declares that he wants to die, he will come within the ambit of the present section 309. My amendment is that this Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion of the public.

So far as suicide is concerned, there is no need to make any amendment in it. This Section 309 is itself sufficient. There is no need to bring hunger strike within the ambit of this section and there is also no need for the present Bill.

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : मैं विधेयक का विरोध करता हूं । विधेयक का प्रस्तावक चाहता है कि भूख हड़ताल करने वालों को दण्ड दिया जाये । परन्तु ऐसा क्यो ? एक ऐसे समाज में जहां अन्याय बढ़ रहा है और जहां पर दिन-प्रतिदिन दमन तथा उपेक्षा का व्यवहार हो रहा हैं, वहां ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए यदि कोई व्यक्ति भूख हड़ताल करता है तो उसे दण्ड क्यों दिया जाए ? यह उचित नहीं है । अतः में उनसे अनुरोध करता हूं कि वह विधेयक को वापस ले लें ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Chairman, person who resorts to hunger strike in support of a particular demand, does not want to die. His intention is not to commit suicide. He simply wants to influence the Administration to get his demand accepted. If the present Bill is passed, such person would be punished.

Suicide is bad on moral and legal grounds. Section 309 is based on human values. This section is intended to check suicide.

There is no need for the present Bill and I request him to withdraw the Bill.

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : सभापति महोदय, वास्तव में मुझे बड़ा आश्चर्य है कि यह विधेयक एक ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किया गया है जो गांधी युग का है। मुझे विश्वास है कि वह एक महान क्रांतिकारी हैं और इन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया होगा। परन्तु मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक संविधान में निहित मूल अधिकारों के विरुद्ध है। भूख हड़ताल करना कोई अपराध नहीं है। इसे धारा 309 के अन्तर्गत नहीं लाया जाना चाहिए। अन्यथा सरकार का ध्यान किसी भी मांग की ओर आकृष्ट करना बहुत कठिन हो जायेगा। यह एक बड़ा अधिकार है जिसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र में व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिये भूख हड़ताल होनी चाहिए। इस समय ऐसे अनेक उद्योग हैं जिनमें प्रबन्धक सरकार की सहायता से श्रमिकों को कठिन स्थिति में डाल देते हैं। इस तरह श्रमकों को नुकसान होता है। यदि श्रमिक अपनी मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल करके जनता का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकृष्ट करते हैं तो यह कदापि अपराध नहीं है। अतः मैं समझता हूं कि धारा 309 भूख हड़ताल पर लागू नहीं की जानी चाहिए।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : सभापति महोदय, इस विधेयक के प्रस्तावक या तो भूल गये हैं अथवा उनको मालूम नहीं है कि हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान सत्याग्रह काफी प्रभावशाली हथियार था। सत्याग्रह एक प्रकार का बलिदान है, जिसमें एक व्यक्ति अपने आप यंत्रणा सहन करना पसन्द करता है, ताकि लोगों का कुछ कल्याण हो सके। अनशन करने के लिए बड़े साहस और उच्चस्तर के अनुशासन की आवश्यकता होती है।

सौभाग्य की बात है कि भूख हड़ताल के कारण अधिक व्यक्तियों की मृत्यु नहीं हुई है। यदि हम जनसाधारण को उनके भूख हड़ताल करने के अधिकार से वंचित कर देंगे, तो यह गांधी जी के आदर्शों के विरुद्ध होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनशन द्वारा विरोध करने का मूल अधिकार तो अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

गृहमंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : इस विधेयक के प्रस्तावक ने विधेयक को इसलिए पेश किया है कि सभी प्रकार के व्यक्ति भूख हड़ताल और इसी तरह के अपनाये गये अन्य तरीकों का दुरुपयोग न कर सकें। गत कुछेक वर्षों से भूख हड़ताल और इस तरह के तरीकों को अपनाने की प्रवृत्ति काफी अधिक बढ़ गई है। इस प्रवृत्ति को रोकना है। किन्तु लोग सत्याग्रह के पीछे मूलभूत आदर्शों तथा नैतिक अनुशासन को, जिन्हें प्रत्येक सत्याग्रही को अपनाना पड़ता है, भूल जाते हैं। अतः सामाजिक

और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए अहिंसात्मक तरीकों के प्रति सम्मान की पूरी धारणा, जो हमें महात्मा गांधी से विरासत में मिली है, कोई ऐसा हथियार नहीं जिसे छोटे से बहाने पर बिना किसी तैयारी के अथवा हिंसा का आश्रय लेने वालों की सद्भावना प्राप्त किए बगैर प्रयोग में लाया जा सकता हो ।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या आप इस संशोधन का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं समर्थन नहीं कर रहा । मैं उन माननीय सदस्यों को उत्तर दे रहा हूं जो माननीय सदस्य के उद्देश्यों को शंका की दृष्टि से देखते हैं और जो इस विधेयक की हंसी उड़ाना चाहते हैं । मूलभूत धारणा यह है कि प्रस्तावक जनता की शिकायतों या तथा-कथित शिकायतों के समाधान के लिए सभी अतिरिक्त संविधानिक उपायों का अनुमोदन करते हैं । इस दृष्टि से विधेयक के पीछे जो धारणा है वह सराहनीय है ।

विधि आयोग ने भारतीय दण्ड संहिता का पूर्ण रूप से विचार किया है हाल ही में उन्होंने अपना प्रतिवेदन पेश किया है । यह प्रतिवेदन विचाराधीन है । जब यह प्रतिवेदन छप कर तैयार हो जायगा तो इसकी प्रतियां माननीय सदस्यों में परिपालित कर दी जाएंगी ।

विधि आयोग ने यह सिफारिश की है कि आत्म-हत्या करने के प्रयास को अपराध नहीं मानना चाहिए अपितु सरकार अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी अधिकारी को किसी कार्य के लिए विवश करने हेतु आत्म-दाह करने की धमकी को दण्डनीय बनाया जाना चाहिए । हम भारतीय दण्ड संहिता की पूर्णतया समीक्षा करेंगे जोकि विधान का एक अति प्राचीन अंश है । सरकार केवल धारा 309 पर ही नहीं अपितु भारतीय दण्ड संहिता की अन्य सभी धाराओं पर भी विचार कर रही है और समुचित समय पर हम इन्हें संसद के समक्ष पेश करेंगे । इस दृष्टि से प्रस्तावक को यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : महोदय, मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि विधि आयोग भारतीय दण्ड संहिता पर: पुन विचार कर रहा है । मुझे आशा है कि धारा दण्ड 309 में भी इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि जो कोई भी अपने किसी परिवार के सदस्य को निर्दयतापूर्ण ढंग से आत्म-हत्या करने के लिए मजबूर करता है उसे तीन वर्ष की सजा और जुर्माना किया जा सकता है ।

चूँकि इस मामले पर विधि आयोग विचार कर रहा है, इस लिए मुझे विधेयक वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं । विधेयक वापस लेने के लिए मैं माननीय सभा की अनुमति चाहता हूँ ।

सभापति महोदय : श्री एम. सी. डागा के नाम में एक संशोधन है । क्या वह उस पर जोर देना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The Bill was, by leave, withdrawn.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अष्टम अनुसूची का संशोधन

Shri Bhongendra Jha (Jainagar) : Mr. Speaker I move my Bill for amending the Eighth Schedule of the Constitution for consideration of the House.

The Bill seeks to include in the Eighth Schedule is the Constitution Maithili, Rajasthani and Bhojpuri, the three important languages of our Country. There is widespread illiteracy in our country. It will be in the fitness of things to give encouragement to the languages, which are spoken and understood by a large number of people. Hindi as a National language will get more strength by including these languages in the Eighth Schedule.

It is very difficult for a poor and illiterate person to seek justice and education in the Courts and Schools respectively as it is very costly. Though he is illiterate, he is not dumb. He can speak and understand his mother tongue. In the circumstances, it is essential to encourage the mother tongues in order to provide facilities to a large chunk of our population which is illiterate. It will enable the masses to take more and more part in the affiairs of the state. It will also strengthen the roots of democracy in our country. The Bill has been brought forward with this background.

Maithili is a very old and rich language. It is a living language. It is the mother tongue of lakhs of people. In case this language is given its due place, it will serve as a link between the people and the administration. Besides, this is the mother tongue of a large and populous part (Trai) of Nepal. By including this language in the Constitution we would be strengthening our friendly relations with Nepal.

There have been some controversies in regard to Maithili. In the previous census the number of persons whose mother tongue was shown as Maithili was 49 lakh. In fact this number is much more. Any way 49 lakh. Maithili speaking people should have the right to work in their mother tongue.

Rajasthani is a language of great importance and is spoken by an overwhelming majority of the people of Rajasthan. As such it deserves to be included in the Constitution.

Similarly Bhojpuri also is an old language. It is spoken in the western part of Bihar and eastern part of Uttar Pradesh. The belief that it is not a sweet language, has also been falsified.

In view of the facts stated above I would request you to consider this tongue seriously and include these languages in the Eighth Schedule of the constitution.

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है कि :—

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Dr. Kallash (South Bombay) : I welcome this Bill. It is wrong to think that the interests of Hindi will be jeopardised if these three Languages are included in the Eighth Schedule. These three languages, Maithili, Bhojpuri and Rajasthani have made great contribution to the cultural development of the country and moral uplift of the people whenever, the country had to face difficulties. Rajasthani language had been helpful in enhancing the honour of the country. Besides these three languages, Government should consider the inclusion of rights of those languages in the Schedule which are rich and had contribuled a lot towards strengthening the Indian culture. Government should bring forward a comprehensive bill in this regard.

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Linguists all over the world agree that Rajasthani is an independent language. Ravindra Nath Tagore and the Language Commission headed by Dr. Suniti Kumar Chatterji had also accepted that Rajasthni was an independent language.

Rajasthani language has its own grammar. Shri Sitaram Lalas, a scholar of Rajasthani language had prepared a dictionary which contained 2½ Lakh words of Rajasthani language. Rajasthani is a rich language.

Though this language has not found its place in the Eighth schedule of our constitution, yet the fact is that it is already the language of Rajasthan. Judges, teachers and doctors who do not know Rajasthani language are not able to work in Rajasthan. Parchayats are also conducting their work in this language. So much so that same members speak in Rajasthan Assembly in this language. Sahitya Academy has also recognised it as a separate language. This language has become a defacto language of Rajasthan in different walks of life. It would therefore, be improper not to give to Rajasthani its due place in the Constitution.

Hindi is our national language. Rajasthan has accepted it. If Rajasthani language is given its due place in the constitution, Hindi will not be weakened but would become richer though there are many dialects in Rajasthani language but there is a standard Rajasthani language.

It is argued that in case, Rajasthani, Maithili and Bhojpuri languages are included in the Eighth schedule of the constitution, inclusion of another language will also be demanded. It is wrong to think that inclusion of more languages in the 8th schedule will jeopardise the unity of the country. But on the other hand, our cultural unity will be strengthened due to it. Therefore these languages should be given their due place in the 8th schedule of the constitution.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari):I support the bill moved by Shri Bhogendra. The Bhojpuri, Maithili and Rajasthani are wonderful languages. The people who speak these three

languages conduct all their work in them, no matter where they live. They use Hindi or English only for official wo k. The Bhojpuri-speaking people are about 5 crores. It is spoken in Nepal, Uttar Pradesh, Madya Pradesh and undoubtedly in Bihar. This language is easy to learn and its grammar is also very simple. In fact, the development of this language should be encouraged.

These languages have got its own importance. It were these languages which were responsible for inspiring political awakening in the rural areas.

If these languages are included in the Eighth schedule, there is no harm. Hindi will continue to be the national language. Rajasthani is very simple language. We can understand it if it is spoken slowly, though I belong to Bihar. Similarly, Maithili, which had a number of Sanskrit words could be understood.

If these languages are included in the Eighth schedule of the constitution, it will help the development of its literature, preparation of the high standard books, and these books can be prescribed for Universities' Education.

Government should honour the wishes of the people and accept this Bill.

श्री दशरथ देब (त्रिपुरा पूर्व) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । सिद्धान्तः भोजपुरी, मैथिली तथा राजस्थानी को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए तथा देश में यदि कोई अन्य और ऐसी भाषायें बोली जाती हों, जिनका विकास किया जा सके, तो उन्हें भी अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, क्यों कि इससे राष्ट्रीय एकता को हानि नहीं होगी, अपितु राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ होगी । न केवल भोजपुरी, अपितु नेपाली भी एक विकिसित भाषा है । इसे भी शामिल किया जाना चाहिए ।

सब बोलियों का भाषा के रूप में विकास करना सरकार की जिम्मेदारी है तथा उसका विकास किये जाने के बाद उन्हें संविधान में शामिल किया जाना चाहिए । यदि सरकार ऐसा करने में समर्थ हो जाए तो इससे राष्ट्रीय एकता घटने के बजाय और बढ़ेगी ।

Dr. Ranen Sen (Varsat) : I had gone to Rajasthan and stayed there for some days. I have seen the people speaking Rajasthani there. I can say that it is a different language. Person who knows Hindi may not understand Rajasthani language. There fore, this language should be included in the 8th schedule.

Maithili is very melodious language and a large number of people in Mithila speak, write and study this language. There is also one department of this language in each of Calcutta, Patna, Allahabad and Banaras Universities. This language should be given recognition.

As far as Bhojpuri is concerned, we know this language in Calcutta very well. Films made in Bhojpuri language are also very popular. This language should also be given place in the 8th schedule.

There is another language Nepali which has already been recognised in west Bengal and even speeches are delivered in this language in West Bengal Legislative

Assembly. This language should also be included in the 8th schedule of the constitution.

Shri Mool Chand Daga (Pali) : Mr. Chairman, sir, distinction should be made between a language and a dialect. People advocating the inclusion of these languages in 8th schedule should try to see to it that these languages get proper place in the states where these are being spoken. People of these states should use them for conducting administrative work and also in courts.

We should also understand that the languages came of their own. Their own charm and influence brought them up. Languages which had got literature would naturally come to the fore.

The states are at liberty to adopt any language. The question of including a language in the constitution could be considerd only if the state concerned adopts that language. It is a fact that each and every work is being done in Hindi in Rajasthan though there may be different dialects there.

Shri M. Satya Narayan Rao (Karim Nagar) : I have come to know just know that Rajasthani, Bhojpuri and Maithili are also languages. They are really the spoken languages of a large number of people. These languages must be developed and given the status equivalent to that of the official language. The development of these languages will not have any adverse effect on Hindi which will be kept as a link language.

डा० कर्ण सिंह (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र नाथ का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने इस सभा के समक्ष इस विधेयक को एक बार फिर प्रस्तुत किया है। पिछली संसद में जब मैंने राजस्थानी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए एक विधेयक पेश किया था तब इस सभा में सदस्यों ने बहुत रूचि दिखाई थी परन्तु किन्हीं कारणों से यह विधेयक पारित नहीं हो सका था। मुझे प्रसन्नता है कि इसी प्रकार का एक विधेयक एक बार फिर इस सभा के समक्ष लाया गया है जिसमें मैथिली, भोजपुरी और राजस्थानी को अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग की गई है।

पिछली बार मैंने यह तर्क दिया था कि यदि पंजाब तथा गुजरात अपनी भाषाओं को मान्यता दिला सकते हैं तो 2 करोड़ से अधिक राजस्थानी लोगों ने क्या अपराध किया है कि राजस्थानी को मान्यता न मिले। इस धारना को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राजस्थानी एक बोली है और एक भाषा नहीं है। भाषा के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका अपना एक शब्द कोष होना चाहिए और हमने राजस्थानी में चार शब्द कोष तैयार करवाए हैं। राजस्थानी में चलचित्र भी बने हैं और समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। केवल राजस्थान में ही नहीं अपितु अन्य राज्यों में और देश के बाहर भी 2 करोड़ से अधिक लोग यह भाषा बोलते हैं। अत: राजस्थानी को संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई राज्य सरकार हिन्दी को अपने राज्य की भाषा बनाने का निर्णय ले लेती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी हम हिन्दी को समूचे देश

की भाषा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और मेरे विचार में केवल इस तरीके से देश की एकता को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। परन्तु यदि कुछ अन्य राज्यों की भाषाओं को मान्यता दी जाती है तो राजस्थानी भाषा के प्रति अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। अन्त में मैं अपने मित्र के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और इस सभा से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए।

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : यह वाद विवाद अत्यन्त रोचक रहा है। मैं राजस्थानी, मैथिली और भोजपुरी भाषाओं के महत्व को कम नहीं आँकता किन्तु कुछ व्यवहारिक कारणों से मुझे माननीय सदस्यों से अनुरोध करना होगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें।

ऐसा लगता है कि आठवीं अनुसूची के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो गई हैं। सदस्य यह समझते हैं कि किसी भाषा के विकास के लिए उसका आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना आवश्यक है। किन्तु वास्तविकता यह है कि आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना केवल हिन्दी के विकास के लिए ही तर्कसंगत प्रतीत होगा सभी भाषाओं के विकास के लिए नहीं। अनुच्छेद 244, 251 का आशय यह है कि हम यह देखें कि हिन्दी के विकास के लिए अन्य भाषाओं से किस प्रकार सहायता की जा सकती है। जब आठवीं अनुसूची तैयार की गई थी तब इन भषाओं को हिन्दी के विकास के लिए आवश्यक समझा गया था। अतः यह धारणा ठीक नहीं है कि यदि इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया तो इनका विकास रुक जाएगा।

चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने ये बात स्वीकार की है कि कुछ विश्वविद्यालय इन भाषाओं को उच्चशिक्षा के लिए अपना रहे हैं। चाहे इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है अथवा नहीं, परन्तु इन्हें समुचित स्थान दिया गया है।

हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारे विशाल देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और अनेक बोलियाँ हैं और इस प्रकार के विधेयक पर विचार कर के यदाकदा एक या दो भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कर के हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इन तीनों भाषाओं के सम्बन्ध में ही नहीं, अपितु अन्य अनेक भाषाओं के बारे में भी हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

मैं इस समय यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इन भाषाओं के महत्व को कम आँकना या कम करना नहीं चाहती और सरकार यह भी नहीं समझती कि यदि इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया तो इनका विकास रुक जाएगा। वास्तव में जैसा कि सदस्यों ने स्वयं उल्लेख किया है इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किए बगैर भी इन भाषाओं का काफी विकास हुआ। आठवीं अनुसूची इन भाषाओं के विकास की दृष्टि से नहीं रखी गई। इस अनुसूचा में हिन्दी के विकास में सहायक भाषाओं का उल्लेख किया गया है।

राजस्थानी राजस्थान में 149.30 लाख व्यक्तियों द्वारा, मैथिली उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 49.85 लाख व्यक्तियों द्वारा तथा भोजपुरी बिहार में 79.65 लाख व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। यदि इन भाषाओं को बोलने वाले लोग इनका विकास चाहेंगे और उनके विकास के लिए कुछ करना चाहेंगे तो उसका वास्तविक उपाय यह है कि वे अपने सम्बन्धित राज्यों पर इन भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए जोर दें। संविधान के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता है चाहे वह भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल हो अथवा नहीं। संविधान के अनुच्छेद 245 में इस प्रकार व्यवस्था की गई है कि राज्य उस भाषा को, जिसे उस राज्य के लोग बोलते हों राजभाषा के रुप में अपना सकता है।

सरकार इन भाषाओं के महत्व को भली भाँति समझती है किन्तु इन तीन भाषाओं पर ही अपितु अन्य भाषाओं पर नहीं विचार करना होगा। केवल यही भाषाएं नहीं अपितु मणिपुरी, संथाली, नैपाली, कोंकनी, बुन्देलखन्डी, मालवी इत्यादि अन्य भाषाएं भी हैं जिन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रश्न पर विचार करना होगा।

श्री अमृत नाहारा (बाड़मेर) : जब सिन्धी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था तब अन्य भाषाओं पर विचार क्यों नहीं किया गया था। तब भी इस तर्क में इतना ही बल था

श्री एच० आर० गोखले : मैं यह मानता हूँ किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सिन्धी भाषा को अनुसूची में शामिल करने के पश्चात यह तर्क प्रभावहीन हो गया है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रश्न को व्यवहारिक दृष्टि से देखें और सरकार को इस समूचे प्रश्न पर व्यापक दृष्टि से विचार करने का अवसर दें। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपना विधेयक वापस ले लें।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Speaker, I would like to draw Government's attention to the fact that almost one crore people of Madhya Pradesh speak Bundelkhandi. It very important and sweet language. Malwi is also an important language of Madhya Pradesh. I would like to know whether these languages would also be included in the Eighth schedule along with the others.

श्री एच० आर० गोखले : मैंने जो कुछ अन्य भाषाओं के लिए कहा है वह इन भाषाओं पर भी लागू होता है।

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, I am not satisfied with the reply given by Minister. Moreover many members, who were to support this Bill are not present in this House as they did not expect his Bill today. The Cabinet do not yet have the time to consider this Bill. I would, therefore, request that it would be better if the views expressed by the Members on this Bill are conveyed to the Cabinet for their consideration by the 5th August. On that day the Minister should place Government's view point before the House and only then we shall conclude this debate.

Maithili, Bhojpuri and Rajasthani are all very old languages with rich literatures. Although the British Government did their best to crush the native languages. Yet these languages are still alive and are spoken by a large number of

people. There is no use saying that there is no need to include these languages in the Eighth schedule of the Constitution. If that is so, why have the other 15 languages been included therein ? These languages are richer than the other languages included in the schedule.

Mr. Speaker : You may now speak next to me.

* गण्डक परियोजना पर व्यय

Expenditure on Gandak Project

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I have been trying my level best and have been asking the Government since 1952 to sanction the Gandak Project. I am glad that the work on Gandak Project was taken up at the time when Shri Jawaharlal Nehru was the Prime Minister.

[श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुईं
Shrimati Sheela Kaul in the chair]

In 1961 the expenditure on Gandak Project was estimated to be of Rs. 52.03 crores. In 1969 the estimated expenditure rose to Rs. 158.50 crores. Today it has risen even further. It has been estimated that Rs. 8 crores will be spent on drainage system alone. In the State of Bihar a sum of Rs. 80.60 crores has been spent till 1970-71 on the above project while the expenditure included in Uttar Pradesh on this score is Rs 33.59 crores over the same period. Irrespective of this huge amount spent on the above project the total income derived from this canal so far is Rs. 1.26 lakhs.

It has also been said the water from the canal is not being utilised. It is entirely wrong. In fact the water is not given at proper time when farmers need it.

I shall further state that the Government has not made any estimate of the money spent on this project. Government has also no evaluation report in this regard. It is, therefore, necessary to appoint an evaluation Committee to enquire into the expenditure on the above project and to see whether the money is spent properly.

I further state that it is also wrong to say that local population is obstructing the work and is creating difficulties. In fact the officers engaged in the project have done a lot of bungling and there is mismanagement on a large scale.

The remaining work of the Gandak Project should be taken over by the Central Government, so that it can proceed smoothly and expeditiously. This canal covers two States and the kingdom of Nepal. It involves huge expenditure. It is, therefore, necessary that its management should be looked into by Central Government. A Board comprising the Members of Parliament of Gandak Command Area should be appointed to look and guide the affairs of this project.

---

* आधे घंटे की चर्चा

Half an hour discussion

The headquarter of the Chief Engineer should be located in the Gandak Command Area. The drainage scheme should be given under the charge of an independent engineer. This scheme should be expedited. All necessary arrangements should be made so that the work can proceed according to the schedule. Arrangements should also be made for early payments of compensation to these people whose land has been acquired for the purpose.

Shri L. M. Madhukar (Kesaria) : Mr. Chairman, this question has been raisem in this House several times and Hon Minister has also replied to it. This project covers Bihar, Uttar Pradesh and Nepal. Honourable Minister had stated that that was a cheap project. Even then I am sorry to state that the work on this project is not being carried on properly and smoothly. Hon. Minister and the members of Parliament from that area should go there and look into the matter.

The work on this project should be done on priority basis. There are some Assistant and Executive Engineers who are providing employment to their own relatives there in and thus they are earning money. It snould be checked. A deadline should also be fixed to complete it.

Water is not being utilised sufficiently in the absence of a good drainage systeP and thus people are facing difficulties. The hon. Minister snould look into the matter

Gandak Project is a big project. It will benefit three States. I, therefore, suggest that the management of this project should be taken over by the central. Government.

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह (छपरा) : बिहार सरकार ने किसी समय यह सुझाव दिया था कि यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू की जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार भी यही चाहती थी। अब इसे केन्द्रीय योजना के रूप में चलाने में क्या आपत्ती है ?

श्री मधुकर ने यह बताया कि यद्यपि नहरें बनाई गई हैं, तथापि वे ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ?

लोगों की भूमि इस कार्य के लिए अर्जित की गई है परन्तु मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से इस संबन्ध में स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री के० एल० राव) : जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। श्री विभूति मिश्र तथा अन्य सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। गंडक परियोजना की स्वीकृति 1961 में दी गई थी। 1961 में इसके लिए 52 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। 1969 में यह अनुमान 159 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था और आज मैं समझता हूं कि इसकी लागत 206 करोड़ रुपये होगी। योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में इस परि योजना को पूरा करने के लिये अपेक्षित समूचे व्यय की व्यवस्था की है।

संसद में तथा संसद के बाहर इस बात पर जोर दिया गया कि चूंकि यह एक विशाल परियोजना है और इसके अन्तर्गत दो राज्य आते हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को यह परियोजना अपने हाथ में लेनी चाहिए (दुर्भाग्यवश) सरकार की निति यह रही है कि सिंचाई परियोजनाओं का कार्य राज्य सरकारों को करना चाहिए और केन्द्रीय सरकार इसके लिए केवल वित्तीय सहायता देगी। इस कारण परियोजना हाथ में नही ली जाती है। मई, 1968 में मैंने सुझाव दिया था कि मैं कम से कम निमंत्रण बोर्ड को अपने हाथ में ले लूंगा ताकि हम चम्बल नियंत्रण बोर्ड की तरह नियंत्रण रख सकें। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ने इसे स्वीकार नहीं किया। जब केन्द्रीय सरकार इन परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए दे रही है, तो फिर इसे इन परियोजनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। सम्भवतः बेहतर यह होगा कि बड़े बड़े निर्माण कार्यों को, जिनमें बड़ी भारी धनराशि लगाई जाती है, केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले। किन्तु इस समय ऐसा नहीं किया जा रहा है। कम से कम ऐसी परियोजना पर जो बड़ी बड़ी हैं और जिनकी लागत 30 करोड़ रुपए से अधिक हो, केन्द्र का कुछ न कुछ नियंत्रण रहना ही चाहिए।

गंडक परियोजना पर केवल बिहार ने अकेले 75 करोड़ रुपये व्यय किये हैं और केवल 50,000 एकड़ भूमि की ही सिंचाई की जा रही है। बिहार में सिंचाई की जाने वाली 30 लाख एकड़ भूमि में से केवल 5 ,000 एकड़ भूमि की ही सिंचाई हो रही है। इसका मतलब यह है कि अवश्य ही वहां कुछ गड़बड़ी है। हमें इस पहलू की जांच करनी होगी।

मैं श्री मिश्र से इस बात पर पूर्णतया सहमत हूं कि हमें एक मूल्यांकन समिति बनानी चाहिए। मेरी भी यही सिफारिश है कि समूचे मामले की जांच करने के लिए हमें एक मूल्यांकन समिति बनानी चाहिये और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धन किस प्रकार खर्च किया जाए।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि मुझे वहां जाना चाहिए। मैं वर्षा ऋतु समाप्त होते ही शीघ्र वहाँ जाऊंगा और मैं माननीय सदस्यों को भी वहां आने के लिये आमंत्रित करता हूं।

मैं एक बात और बताता हूँ। विभिन्न इंजीनियरों और बिहार सरकार से निरन्तर अभ्यावेदन आ रहे हैं कि किसान उनके कार्य में बाधा डाल रहे हैं। वे अपनी भूमि नहीं देते हैं और वे यह चाहते हैं कि प्रत्येक स्थान पर पुल बनाये जायें। मैं कहता हूँ कि माननीय सदस्य इन कठिनाइयों को दूर करें। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रत्येक जिले में एक सम्मेलन बुलायें और प्रचार करें।

मैं एक बात और कहता हूँ। वह यह है कि बिहार में एक कठिनाई पैदा हुई है। कोसी परियोजना के सम्बन्ध में 14 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने का इरादा था और आज केवल लगभग 4 लाख भूमि की सिंचाई की जा रही है। इसका कारण यह है कि किसानों को जल नहीं मिलता। वहां पर सट्टा पद्धति भी चालू है। किसान जल ले अथवा न ले इस बात पर विचार न

करते हुए उस भूमि के सम्बन्ध में, जिसकी सिंचाई की जा रही है, किसानों को खरीफ फसल के लिए 16 रुपए या कोई नियत राशि देने के लिए कहा जाए और इसी तरह रबी फसल के लिए नियत राशि देने के लिए कहा जाए। इससे किसानों से सहयोग प्राप्त होगा और उनमें जल लेने की इच्छा भी पैदा होगी। अन्यथा इस समय कोई व्यक्ति जल नहीं ले रहा है। कोसी परियोजना के बारे में अनुभव यही है। अनेक नहरें तैयार हैं। 14 लाख एकड़ में से हम केवल लगभग 4 लाख एकड़ भूमि सींच रहे हैं। यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह देखा जाए चूंकि हम अधिकाधिक धन व्यय कर रहे हैं, अतः हमें उससे लाभ भी मिले।

श्री विभूति मिश्र : मूल्यांकन समिति की स्थिति क्या है ?

डा० के० एल० राव : मैं बिहार सरकार को लिख रहा हूँ।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हो गए—

सभापति महोदय : समय समाप्त हो गया है और अब चर्चा समाप्त होनी चाहिए।

डा० के० एल० राव : मुझे खेद है कि मैंने अधिक समय ले लिया है।

सभापति महोदय : सभा सोमवार, 11.00 बजे म० पू० समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 27 जुलाई, 1971/4 श्रावण, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 26th July 1971/Sravana 4, 1893 (Saka).

Jagdish Printers, New Delhi-5